C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. IX, Fourth Session, 2020/1942 (Saka)
No. 09, Tuesday, September 22, 2020/ Bhadrapada 31, 1942 (Saka)

SUBJECT	PAGES
SUBMISSION BY MEMBERS	
Re: Farm Bills and fixing of MSP for 22 agricultural crops	18-32
PAPERS LAID ON THE TABLE	33-58
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	59-745
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	
5th Report	746
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION	
4th to 7th Reports	747
STATEMENTS BY MINISTERS	
(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2019-2020) pertaining to the Ministry of Steel	748

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Steel

Shri Faggan Singh Kulaste 748

(ii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2019-20) and 3rd Report on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti 749

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti 749

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti 750

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 13th Report of the Standing Committee on Water Resources on "Indigenous and Modern Forms of Water Conservation - Techniques and Practices" pertaining to the Ministry of Jal Shakti

Shri Rattan Lal Kataria 750

MATTERS UNDER RULE 377 751-779

(i) Need to set up an Indian Institute of Technology and a National Institute of Technology in Darbhanga, Bihar

Shri Gopal Jee Thakur 751

(ii) Need to augment railway services in Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency, Haryana

Shri Dharambir Singh 752

(iii) Need to honour detainees of Emergency period with the title of "Lok Tantra Senani"

Shri Bhagirath Choudhary 753

(iv) Need to set up an Airport in Maldaha Uttar Parliamentary Constituency, West Bengal

Shri Khagen Murmu 754

(v) Need to set up a full-fledged Akashvani Kendra in Meerut

Shri Rajendra Agrawal 755

(vi) Need to set up industries in Kodarma district, Jharkhand

Shrimati Annpurna Devi 756

(vii) Regarding socio-economic development of weavers of Subarnapur district of Odisha

Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 757

(viii) Regarding implementation of FRA Act in West Bengal

Shri Raju Bista 758

(ix) Need to take stringent action against perpetrators of crimes against women in Odisha

Shrimati Aparajita Sarangi 759

(x) Need to confer Bharat Ratna Award on Dr. Shivling Shivacharya Maharaj Ahmedpurkar, the great saint of Lingayat sect

Shri Sudhakar Tukaram Shrangare 760

(xi) Need to ensure payment of compensation to land oustees in Anand Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Mitesh Patel (Bakabhai) 761

(xii) Need to provide funds under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) to Maharashtra in a time-bound manner

Shri Ramdas Tadas 762

(xiii) Need to amend the official Languages Act, 1963

Shri Ajay Misra Teni 763

(xiv) Need to set up multi-purpose sports halls in Pali Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri P.P. Chaudhary 764

(xv) Regarding connecting Deoghar with Eastern Dedicated Freight Corridor

Dr. Nishikant Dubey 765-766

(xvi) Need to establish a Fishery University in Eastern Uttar Pradesh particularly in Gorakhpur

Shri Ravi Kishan 767

(xvii) Need to expand the number of days of employment under MGNREGA

Shri Rajmohan Unnithan 768

(xviii) Regarding compensation to flood victims in Kuttanad region of Kerala

Shri Kodikunnil Suresh 769

(xix) Regarding alleged inadequate compensation paid for land acquired for National Highway project in Tamil Nadu

Shri P. Velusamy 770

(xx) Regarding privatisation of LIC

Shri Gautham Sigamani Pon 771-772

(xxi) Regarding assent to DISHA Act of the Government of Andhra Pradesh

Shri Margani Bharat 773

(xxii) Need to shift the Waste Treatment Facility at Deonar in Mumbai to other place

Shri Rahul Ramesh Shewale 774

(xxiii) Need to take adequate remedial measures to prevent land erosion caused by Ganga, Kosi and Mahananda rivers in Katihar Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Dulal Chandra Goswami 775

(xxiv) Need to de-silt Chittaurgarh and Kohargaddi dams in Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh and make Chittaurgarh dam as a tourist spot

Shri Ramshiromani Verma 776

(xxv) Need for upgradation of Base Tower Stations of BSNL

Shri Kesineni Srinivas 777

(xxvi) Need to look into the alleged irregularities by a cement company in Nagaur district, Rajasthan

Shri Hanuman Beniwal 778

(xxvii) Need to waive off fee of students of private schools/colleges during lock down period

Shri Chandra Prakash Choudhary 779

OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORKING CONDITIONS CODE, 2020;

INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020

AND

CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020 780-881

Motion to consider 780-781, 785

Shri Santosh Kumar Gangwar 781-785, 866-877

Shri Pallab Lochan Das 786-795

Shri Pinaki Misra 796-803

Shri Margani Bharat 804-810

Dr. Virendra Kumar 811-818

Shri Dileshwar Kamait 818-820

Shri Dilip Ghosh 820-824

Shri Jayadev Galla 825-831

Shri Vinod Kumar Sonkar 832-837

Shri P. Raveendranath Kumar 837-840

Shri Raju Bista 841-844

Shrimati Navneet Ravi Rana 845-847

Shri Hanuman Beniwal 848-850

Shri C.P. Joshi 851-854

Shri Ramesh Bidhuri 855-857

Shri Jagdambika Pal 858-860

Shri Manoj Kumar Tiwari 861-863

Dr. Nishikant Dubey 864-866

OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORKING CONDITIONS CODE, 2020

Clauses 2 to 143 and 1 878

Motion to pass 878

INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020

Clauses 2 to 104 and 1 879

Motion to pass 880

CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020

Clauses 2 to 164 and 1 881

Motion to pass 881

JAMMU AND KASHMIR OFFICIAL LANGUAGES BILL, 2020 882-898

Shri G. Kishan Reddy 882, 885-889, 895-897

Shri Hasnain Masoodi 882-885, 889-892

Dr. Jitendra Singh 892-895

Shri Pinaki Misra 895

Motion to consider 889-897

Clauses 2 to 4 and 1 897

Motion to pass 898

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER 898

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Unstarred Questions

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

---

* Available in Master copy of the Debate placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, September 22, 2020/Bhadrapada 31, 1942 (Saka)

The Lok Sabha met at One Minute past Fifteen of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Baalu, please be seated.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, हमारी पार्टी के सदस्य श्री रवनीत सिंह जी बोलेंगे।

माननीय अध्यक्ष : आप सभी के सहयोग से सदन बहुत अच्छे से चलाया है। आप एक-एक करके बोलिए।

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Speaker, Sir, I want to bring an important issue to your knowledge. I am staying in old Tamil Nadu House in New Delhi. Sir, at 1.45 pm today, 2-3 people barged into my room. They called themselves Intelligence Bureau(IB) people. They started questioning me about what is going to be our Party performance in the Parliament; what issues I am going to raise in the Parliament …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं, वे फर्जी आदमी हैं।

…(व्यवधान)

SHRI D.M. KATHIR ANAND : They also asked what issues we are going to discuss in today's subject; what our stand is on the local issues in Tamil Nadu …(*Interruptions*)

Sir, they were trying to interrogate me and find out all the information …(*Interruptions*) They also asked me questions about my …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संसद में वही बात करें, जो प्रमाणिक हो। आप संसद की गरिमा को मत गिराइए। यदि कोई विषय है, आप मुझे लिखकर दीजिए। मैं उसकी जांच कराऊंगा। अगर ऐसी कोई बात होती है, तो उसकी इंक्वायरी करवाऊंगा, लेकिन इस तरह से बिना तथ्यों के आरोप लगाना सही नहीं है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, Baaluji. Please write to me.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप मुझे लिखकर दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, आप सीनियर लीडर हैं। यदि कोई बात हो, तो आप मुझे लिखकर दीजिए। सभी माननीय सदस्यों का संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है। जब भी कभी सांसद मुझसे किसी व्यक्तिगत बात के लिए मिलते हैं, मैं हर माननीय सदस्य की बात सुनता हूं और उस पर एक्शन लेता हूं। आपने जो बात कही है, आप मुझे लिखकर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसे

एग्जामिन कराऊंगा। यदि ऐसी कोई घटना किसी सांसद के साथ होती है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी जांच कराऊं।

श्री रवनीत सिंह बिट्टू।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): अध्यक्ष जी, आप हमारे कस्टोडियन हैं, आप सारे हाउस के कस्टोडियन हैं। मेरे साथ हमारी पार्टी के तीन एमपीज सर्वश्री संतोख चौधरी जी, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है, जसबीर सिंह डिम्पा जी और गुरजीत सिंह औजला जी थे।

हम चारों फार्मर्स का इश्यू लेकर, जैसा कि आपको पता है हमने इसे हाउस में भी उठाया है। हम लोग चार आदमी सात बजे गेट नम्बर एक से कैंडल मार्च के लिए जा रहे थे। धारा 144 भी पाँच लोगों पर लगती है। साथ में न कोई पीए, न कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं था। चार आदमी यहाँ से सात बजे निकले हैं। जब लगभग 15 मीटर आगे गए, हम लोगों को विजय चौक पर कैंडल लगानी थी और किसानों के लिए इस मार्च को खत्म करना था। हम किसानों की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक 10 मिनट के अन्दर लगभग सौ की संख्या में खाकी कपड़े में दिल्ली पुलिस के लोग थे। मैं उनको पुलिस तो नहीं कहूँगा, वे तो एक तरह से ... * ही थे। पर मैं कोई गैर-जिम्मेवारी की बात नहीं करूँगा। हुआ क्या, बीजेपी वाले आप लोग भी सुनें, यह तो एमपीज का मामला है, हम किसी पार्टी के अगेंस्ट तो कुछ नहीं कर रहे थे। हम तो पैदल मार्च करके राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे, उनसे मुलाकात के लिए टाइम लेना चाहते थे। सर, हम चार आदमी थे। एकदम से दिल्ली पुलिस घबरा गई, उन्हें यह नहीं पता लगा कि ये एमपीज हैं या कहीं से चार किसान आ गए हैं। ये किसानों से इतने भयभीत हैं, किसानों के इश्यू से इतने डरे हुए हैं।...(व्यवधान) सर, आप मालिक हैं हमारे, हम लोग तो आपके परिवार हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं।...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: बुजुर्ग?

श्री रवनीत सिंह : सॉरी सर। ...(व्यवधान) आप हमारे बड़े भाई हैं सर, बड़े भाई हैं।

एक तो इन्होंने पहले सुबह में टुकड़ा फेंककर देखा, एमएसपी के नाम पर किसानों को टुकड़ा फेंका।

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी घटना की बात कह दें।

श्री रवनीत सिंह : ठीक है। सर, किसान कभी मानेंगे नहीं। फिर क्या हुआ, इनको पता ही नहीं चला, यह कितना बड़ा फेल्योर है, जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके सामने चार एमपीज को ब्रुटली सौ लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर साहब सात नम्बर गेट से आते-जाते हैं। हम पीएम की सिक्योरिटी जानते हैं। उनकी सिक्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, वे सब के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उन्होंने कुछ देखा नहीं। हमने कहा, हम पार्लियामेंट से आए हैं, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठते हैं। सर, एक तो इतनी बड़ी गलती है, उनको यह भी नहीं पता है कि पार्लियामेंट के सामने ये एमपीज हैं या किसान हैं। मतलब अगर कोई किसान होता, मेरा इतना बुरा तरह से फ्रैक्चर हुआ था, अभी मैं ठीक था, लेकिन अब फिर से फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने किसानों का नाम लेकर हमारे तीनों एमपीज को इतनी बुरी तरह से पीटा, वे बोलते रहे कि अगर किसानों की आवाज उठाओगे, तो आपका गला दबा देंगे। अगर आप किसानों की बात करेंगे, तो आपको उठाकर ले जाएंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नो-नो मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

माननीय सदस्यगण, मुझे रवनीत सिंह जी और संतोख सिंह चौधरी जी का पत्र मिला। सदन कल रात को साढ़े बारह बजे तक चल रहा था। अगर आप सदन में भी आकर मुझे यह बताते जब मैं लास्ट में जाने लगा तो एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि ऐसी-ऐसी घटना घटी है, तो मैंने

इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट मंगाई। आपका पत्र मुझे मिला है। मैं निश्चित रूप से सदन के सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि सदन के सभी सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इस संबंध में, मैं पूर्ण रूप से आधिकारिक जानकारी मंगा रहा हूँ। आपके द्वारा यह मुद्दा उठाने के पहले मैंने जानकारी मंगाई है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप विश्वास करें, आपकी यहाँ पर बोलने की सुरक्षा और बाहर की भी सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी बनती है, जब पार्लियामेंट चल रहा हो। यूं भी व्यक्तिश: रूप से जब कोई माननीय सदस्य मिलते हैं, कोई बात बताते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर माननीय सदस्य का सम्मान और विश्वास कायम रखूँ। मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई मुझसे व्यक्तिश: रूप से मिला हो और मैंने उसकी बात नहीं सुनी हो। मैंने हर माननीय सदस्य का विश्वास कायम रखा है। आप निश्चिंत रहें, मैं इस विषय को व्यक्तिश: रूप से देखूँगा।

आप बताएं।

श्री रवनीत सिंह : सर, हमारा यही विश्वास था कि जब आपके सामने हम सारे एमपीज रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो ब्रूटेलिटी, मैं समझता हूँ कि खाकी लोगों को बचाने के लिए है, उनकी रक्षा करने के लिए है। आगे से ऐसा न हो, क्योंकि किसानों को यहाँ पर आने से रोका जा रहा है।**...(**व्यवधान**)** अब इस संबंध में बड़ी बात हमारे लीडर ऑफ द हाउस करेंगे। लेकिन किसानों के नाम पर ऐसा न करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने जो विषय उठाया है, वह व्यक्तिश: हर माननीय सदस्य की मेरी जिम्मेदारी है।

श्री रवनीत सिंह : सर, हमें तो आप बचा लेंगे, लेकिन किसानों को कौन बचाएगा? ये जो उन्हें पीट रहे हैं**।** ...(व्यवधान)

15.10 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Farm Bills and fixing of MSP for 22 agricultural crops

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री अधीर रंजन जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, बात यह है कि तोमर जी ने सदन में छ: रबी फसल के एमएसपी पर इज़ाफे के लिए बहुत वाहवाही ली है। मैं शुरू में कहूंगा - यह हाथी के पेट में इलायची का दाना है। गेहूं में 50 रुपए का इजाफा किया। पिछले 11 साल में सबसे कम 1.85 परसेंट इजाफा हुआ।

दूसरी बात यह है, पिछले कई दिनों से सदन के अंदर, देश के हर प्रांत में खासकर पंजाब, हरियाणा और वैस्टर्न यूपी में किसानों के मुद्दे को लेकर, एमएसपी और प्रोक्योरमेंट के मुद्दे को लेकर लोग उत्तेजित हैं, लोग सड़क पर उतरे हैं। पंजाब के 90 परसेंट लोग सड़क पर उतरे हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस विषय पर 17 सितम्बर को पांच घंटे इसी सदन में चर्चा हुई थी। मैंने हर माननीय सदस्य को पर्याप्त समय और अवसर दिया।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज़, मेरी बात सुनी जाए।…(व्यवधान)

हमारी मांग थी, हमारी पार्टी की मांग थी कि किसानों की मांगे एमएसपी को विधेयक में शामिल किया जाए। आप कहते हैं कि सबको एमएसपी मिलेगा। इतने सालों से हर किसान तो मंडी में नहीं

जाता था, प्राइवेट ट्रेड तो होते हैं। क्यों इतने सालों से प्राइवेट ट्रेड में सबको एमएसपी दिलाने का बंदोबस्त नहीं किया गया? लोगों का आप पर से भरोसा उठ गया। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप विषय पर डिबेट न करें।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपने कल भी कहा था कि किसान को डबल रोजगार करना चाहिए, डबल इनकम होनी चाहिए, इसमें सीटू प्लस 50 परसेंट का इंतजाम नहीं किया। आपने कहा था कि सरकार दो करोड़ हर साल नौकरी देगी, जो नहीं हुआ।**…(**व्यवधान**)** हर व्यक्ति को 15 लाख विदेश से लाकर देंगे, वह भी नहीं हुआ। किसानों का आप पर भरोसा नहीं है।**…(**व्यवधान**)** हमारी मांग है कि विधेयक को वापस लें। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोरोना संक्रमण वायरस चल रहा है। हमें सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी है।

…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): This is a very serious matter. I support the views expressed by the hon. Members of the Congress Party. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मैं सभी माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों की सुरक्षा की चिंता कर रहा हूं। इतने दिनों तक मैंने सुरक्षा की चिंता की है। आप सब स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। देश और राष्ट्र की सेवा करें।

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आज यहां जो बात किसानों के लिए उठाई गई है उसे सारा देश जानता है। …(व्यवधान)

यहां जो बात आज अधीर जी ने उठाई है, हम उन बातों का फुली सपोर्ट कर रहे हैं। …(व्यवधान) इसे देखना होगा। सुन लीजिए, हम सब एक हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सबके स्वास्थ्य की चिंता को देखते हुए सभा की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

15.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirteen Minutes past Sixteen of the Clock.

16.15 hrs

The Lok Sabha reassembled at Fifteen Minutes past Sixteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

16.15 ½ hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Farm Bills and fixing of MSP for 22 agricultural crops … Contd.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि हम सभी ने कोरोना संक्रमण के काल में जिस तरह से सदन चलाया, सबने इसमें मेरा सहयोग किया, देश ने देखा कि किस तरह से रात के बारह बजे तक आप लोगों ने देश-राष्ट्र हित में चर्चा की, तो हम यहाँ से क्यों ऐसा संदेश देकर जाएं?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, कहावत यह है कि हमारे बगल में अगर किसी दूसरे के घर में आग लग जाए, तो हमारा घर भी नहीं बचता है। हमारे पड़ोसी को तकलीफ होगी, तो हमें भी तकलीफ होती है। ... *

हमारा मुद्दा यह था कि जो कृषि बिल है, उसे वापस लिया जाए। हमारा यही मुद्दा था और कुछ नहीं था। कम-से-कम इसमें एमएसपी शामिल किया जाए। बहुत मेहनत करने के बाद हमारे देश में हरित क्रांति आई थी, मण्डीकरण हुआ था और एमएसपी था। अभी मण्डीकरण का मण्डीहरण होने लगा है। किसान बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। सारा पंजाब जल रहा है। दूसरी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री शरद पवार जी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। आप मानें या न मानें, इधर या उधर बात तो एक ही है न? ... *… ** इसलिए अगर श्री तोमर साहब यह वायदा करें कि हम कृषि बिल वापस लेंगे, क्योंकि

---

* Expunged as ordered by the Chair.

** Not recorded.

अभी तक इस पर माननीय राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर नहीं हुआ है। यदि आप कृषि बिल वापस लेंगे, तो हमें सदन चलाने में कोई असुविधा नहीं है।...(व्यवधान) इसलिए मैं सरकार से गुज़ारिश करता हूँ, विनती करता हूँ ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक सीनियर सदस्य हैं। लोक सभा में पाँच घंटे तेरह मिनट तक इस पर चर्चा हो चुकी है। सदन इस विधेयक को पारित कर चुका है। आप सीनियर नेता हैं, ऐसी बात न करें। आप सबने ही इस सदन में इस विधेयक को पारित किया है। पाँच घंटे तेरह मिनट तक इस पर चर्चा हुई है। सदन में चर्चा करना आपका अधिकार है। मैं हर विषय पर चर्चा कराना चाहता हूँ। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, देश के मजदूरों के विषय पर बिल लगे हुए हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, वाद-विवाद होना चाहिए। सहमति और असहमति हमेशा लोकतंत्र की परम्परा रही है। मैं आप सबको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठकर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह सरकार किसान का विरोध करती है, ...(व्यवधान) यह सरकार मजदूरों का भी विरोध करती है।...(व्यवधान) ये जो दोनों बिल लाए गए हैं, यह किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी और मजदूर विरोधी है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नो। आप चर्चा कीजिए।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Whatever has happened or transacted in the other House has never been discussed in this House. It is highly unfortunate that this is being discussed now….(*Interruptions*)

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह जो बिल है, उस पर ... * मैं उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। ... * मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बिल के बारे में चर्चा हो। माननीय नरेन्द्र मोदी जी को**…(**व्यवधान**)**

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): ... *

माननीय अध्यक्ष: डॉ. फारूख अब्दुल्ला जी, आप बोलिए।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: ज़नाब अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया।

आज भी सेन्ट्रल कश्मीर में एनकाउंटर हो रहे हैं। वहां कोई पीस नहीं है। जब तक हम लोग यह नहीं सोचेंगे कि हमने पिछले साल 5 अगस्त को जो कदम उठाए हैं, उनको वापस लिया जाए, तभी अमन आएगा, उसके बगैर अमन नहीं आने वाला है।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, my only question or clarification from the Parliamentary Affairs Minister is this. What is the Bill? The Bill has been discussed in the Lok Sabha as well as ... * Am I correct? …(*Interruptions*) Only after getting the consent of the Lok Sabha and the Rajya Sabha the Bill has to be

* Expunged as ordered by the Chair.

sent to the President of India for his assent. …(*Interruptions*) What has happened here? We have discussed the Bill. Yesterday, ... * but after discussing the Bill, it has not been given proper consent to by the Members of Parliament. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: नो, वहां की चर्चा यहां नहीं होगी।

…(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Yes. …(*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU : Sir, this is not good. …(*Interruptions*) This is not the practice. …(*Interruptions*) It cannot be sent to the President of India. …(*Interruptions*) It is very bad. …(*Interruptions*)

Sir, it is very badly constituted. …(*Interruptions*) We cannot allow such a legislation to be passed. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Member, you are a senior Member of Parliament.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

… (*Interruptions*)

* Expunged as ordered by the Chair.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, राज्य सभा की चर्चा इस सदन में नहीं होनी चाहिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, the farmers all over India are fighting against the Bill. There may be brutal majority of the Bharatiya Janata Party (BJP), लेकिन इस तरीके से फार्मर्स के ऊपर जो हो रहा है। …(व्यवधान) सर, आपने मुझे 15 सेकेंड्स भी नहीं बोलने दिया। ... *…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: फिर राज्य सभा? आप सीनियर मेंबर हैं, एडवोकेट हैं।

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: सर, मेरी बात सुनिए न। …(व्यवधान) यह जो मुद्दा है, ... * …(व्यवधान) उनकी हिम्मत नहीं हुई। …(व्यवधान) यह गलत बात है। …(व्यवधान) यह गलत है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप क्या बोलना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठकर बोलिए। क्या मैंने आपको बोलने के लिए पूरा समय नहीं दिया?

…(व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

माननीय अध्यक्ष: मैंने इस सदन में चर्चा के लिए पांच घंटे का समय दिया है।

…(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अध्यक्ष जी, आपने बिलकुल समय दिया है। …(व्यवधान) उसके लिए आपका धन्यवाद। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी केवल इतनी मांग कर रही हैं कि ये जो खरीफ में आपने दाम बढ़ाने का काम किया है, आदरणीय अध्यक्ष जी, इसको विधेयक में लाया जाए, तब ही किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी की बात सुनिए।

…(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के … *…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी एक मिनट के लिए रुकिए।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): थैंक-यू स्पीकर साहब। आज आपने कहा कि मजदूरों के बहुत महत्वपूर्ण बिल्स लगे हुए हैं। …(व्यवधान) इन मजदूरों में एग्रीकल्चर्ल मजदूर भी हैं। …(व्यवधान) आज के बिल्स में इन एग्रीकल्चर्ल मजदूरों के बारे में कुछ भी नहीं है। …(व्यवधान)

* Not recorded.

16.24 hrs

(*At this stage, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

माननीय अध्यक्ष: जब बिल्स पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तब ही तो पता चलेगा।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव: सर, एक मिनट और बोलने दीजिए। …(व्यवधान) हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है कि देश में 'जय जवान, जय किसान' का नारा था, हमारे जवान बॉर्डर्स पर फाइट कर रहे हैं, हमारे किसान रोड पर आए हैं। …(व्यवधान) इसलिए, हम गवर्नमेंट से विनती करना चाहते हैं कि वह कम से कम किसानों के बारे में थोड़ा पॉज़िटिव-वे में सोचे। …(व्यवधान) आपके सारे बिल्स पास हो जाएंगे। …(व्यवधान) यह बिल भी पास हो जाएगा, लेकिन बिल्स पास करना एक बात है और सबकी सहमति से पास होना अलग बात है। …(व्यवधान) गवर्नमेंट एक दफा इस बारे में सोचे, रीथिंक करे। …(व्यवधान) देश के किसान के बारे में थोड़ा सोचे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सबकी सहमति से बिल पास होगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने इस सदन के अंदर सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, ताकि आप सब यहां चर्चा करें। मैं आज के विधेयक पर भी चर्चा कराना चाहता हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: राज्य सभा के बारे में की गई कोई भी टिप्पणी रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जैसा पूर्व में कह रहा था, कांग्रेस के … *…(व्यवधान) कांग्रेस सदन के भीतर कुछ कहती है, जनता के बीच में जाकर कुछ कहती है। …(व्यवधान) आज जो आंदोलन चल रहा है, उसमें किसान नहीं हैं। …(व्यवधान) ये कांग्रेस प्रेरित लोग हैं और सारा देश इस बात को जानता है। …(व्यवधान) मैंने उस दिन अपने जवाब में कहा था कि जिन सुधारों को लेकर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हाउस में आए थे, उन सुधारों से निश्चित रूप से किसान का भला होने वाला है, किसान आगे बढ़ने वाला है, खेती की ग्रोथ-रेट बढ़ने वाली है।

किसान की माली हालत में सुधार आने वाला है। … (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाला है। खेती के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। मैं बार-बार कांग्रेस के लोगों को भी समझाने का प्रयास कर रहा था।…(व्यवधान) मैं देश के किसानों को भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ दुष्प्रचार कर रही है। कांग्रेस के समय में भी एमएसपी एक्ट का भाग नहीं थी। हमने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी।…(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने भी देश को कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। कल आपने देखा कि रबी की एमएसपी बुआई से पहले ही भारत सरकार ने घोषित कर दी है। समर्थन मूल्य के प्रति जो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है, वह इससे प्रकट होती है।…(व्यवधान)

---

* Not recorded.

यह भी सारा देश जानता है कि कांग्रेस, यूपीए की सरकार 10 वर्षों तक शासन में रही। इन्होंने स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार नहीं किया। मोदी जी ने ही आकर उस रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और डेढ़ गुना एमएसपी बढ़ाई। तब से लेकर लगातार एमएसपी बढ़ती आ रही है।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं और कांग्रेस के लोगों को भी यह समझना चाहिए कि वर्ष 2009 से वर्ष 2014 के बीच में एमएसपी के माध्यम से किसानों को जो पेमेंट हुआ था, उससे तीन गुना पेमेंट सात लाख करोड़ रुपये हम लोगों ने छ: वर्षों में किसानों को दिया है और भारत सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है। ...(व्यवधान) हमने सिर्फ कानून ही रिफॉर्म नहीं किए हैं, बल्कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहले एमएसपी को बढ़ाया, उसके बाद पीएम किसान योजना के माध्यम से 75 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष भारत सरकार के खजाने से निकालकर किसानों की जेब तक पहुंचाने का काम किया। वहीं दस हजार एफपीओ बनाकर किसान की आवाज को ताकत देने की जो घोषणा की है और उस पर निश्चित रूप से अमल किया जा रहा है। ...(व्यवधान)

महोदय, एक लाख करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड जो गांव-गांव तक पहुंचना है, किसान के पास टेक्नोलॉजी पहुंचनी है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचना है, वेयरहाउस पहुंचना है और कोल्ड स्टोरेज पहुंचने हैं। ये सब ठीक से क्रियान्वित हों, खेती और किसानी आगे बढ़े, इसके लिए कानूनी रिफॉर्म्स जरूरी थे। ये कानूनी रिफॉर्म्स कांग्रेस भी चाहती थी, लेकिन दलालों के प्रभाव और दबाव के कारण कांग्रेस यह हिम्मत नहीं कर पाई। ...(व्यवधान) इसी वजह से नरेन्द्र मोदी जी को यह कदम उठाना पड़ा। कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, मैं उसे देखकर निश्चित रूप से हैरान हूं।

कांग्रेस के लोग अपने मेनिफेस्टो में इन्हीं रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी इसी रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। शरद पवार साहब का वर्जन इसी रिफॉर्म के बारे में है, 'नेशनल कमीशन फॉर' का वर्जन इसी रिफॉर्म के बारे में है। शरद जोशी जी, जो किसान नेता थे, वह इन रिफॉर्म्स के बारे में कहते थे। ...(व्यवधान) जब हम इसको लेकर आए और जब इनको लगा किसान अब भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा हो जाएगा, नरेन्द्र मोदी जी के पीछे खड़ा हो जाएगा, किसान के जीवन स्तर में बदलाव आएगा, तो कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के लोगों का जो ... * ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हमें तोमर साहब से बहुत उम्मीद थी कि कम से कम हिन्दुस्तान के किसानों को राहत देने के लिए वह कुछ कहेंगे, लेकिन बड़ा दुख हुआ कि तोमर साहब ने फिर भी ... **का सहारा लेते हुए आम लोगों को, किसानों को गुमराह करने का प्रयास जारी रखा। जब वर्ष 2014 से आप सत्ता में आए हैं, उसके बाद हिन्दुस्तान के किसान, हिन्दुस्तान का मजदूर, हिन्दुस्तान के बेरोजगार दुखी हैं और सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी क्या मांग थी? हमारी यह मांग थी कि आप एमएसपी को बरकरार रखें। आपने यहां बिल पास करा दिया। ... * आपकी सरकार वहां चाहे जो भी नेतृत्व दे, लेकिन आपकी सरकार के आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता है।

इसलिए हम हमारे ... * के साथ खड़े हुए हैं। हम सभी विरोधी पक्ष के लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।...(व्यवधान) हमें बहिष्कार करने के लिए आपने मजबूर किया है।...(व्यवधान)

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

** Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : राज्य सभा के बारे में की गई कोई भी टिप्पणी सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगी।

…(व्यवधान)

16.29 hrs

(At this stage Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.)

16.30 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 2740/17/20]

(ख) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सापोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्ससपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2741/17/20]

(3) (एक) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2742/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2743/17/20]

(3) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रणम, अधिनियम, 1980 की धारा 32 के अंतर्गत श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विनियम, 2019 जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएण्डए. ।/रेगुलेशन/एमेंड./एससीटीआईएमएसटी/2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2744/17/20]

(4) (एक) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एण्ड रीच, शिलांग के वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एण्ड रीच, शिलांग के वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2745/17/20]

(6) (एक) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2746/17/20]

(8) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2747/17/20]

(10) (एक) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2748/17/20]

(12) (एक) नॉर्थ ईस्ट र्न इंस्टीट्यूट ऑफ फॉक मेडिसीन, पासीघाट के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फॉक मेडिसीन, पासीघाट के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2749/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री किरेन रिजीजू की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2750/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री राज कुमार सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबूलर फ्लोरेसेंट लैम्स्निय के लेबलों के ब्यौरे और उन्हें प्रदर्शित करने की रीति) संशोधन विनियम, 2020 जो 18 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीईई/एसएण्डएल/टीएफएल/63/2020-21 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 2751/17/20]

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. एल-1/18/2010-सीईआरसी जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 के 1 जून, 2020 अथवा आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तारीख से लागू होने के बारे में है।

(दो) अधिसूचना सं. एल-1/250/2019-सीईआरसी जो 31 अगस्ता, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और क्षतियों की भागीदारी) विनियम, 2020 के 1 नवम्बर, 2020 से लागू होने के बारे में है।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए प्रशुल्क निर्धारण के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020 जो 19 अगस्तश, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आरए-14026(11)/14/2020-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना सं. एल-7/105(121)/2007-सीईआरसी जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण में मुक्त पहुंच) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 के 1 जून, 2020 अथवा आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तारीख से लागू होने के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 2752/17/20]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टी)ट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2753/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2818(अ) जो 19 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कोरिडोर-1 के संरेखण के बारे में है।

(दो) का.आ. 2819(अ) जो 19 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के उपबंधों का विस्तार गुजरात राज्य, में सूरत शहर विकास प्राधिकरण क्षेत्र तक किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 2754/17/20]

(2) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2755/17/20]

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार सामान्य पूल रिहायशी आवास (संशोधन) नियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 489(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2756/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री मनसुख एल. मांडविया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2020/01 जो 5 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रशासनिक और अकादमिक मामलों को शासित करने वाली संविधि और अध्यादेशों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2757/17/20]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 543(अ) जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 335ड. के साथ पठित धारा 335घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्तर शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामुद्रिक राज्यों में जलयानों के लिए रजिस्ट्रार घोषित किये गये हैं।

(दो) का.आ. 2986(अ) जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 9(1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सामुद्रिक राज्यों को शक्तियां दिये जाने के सामान्य आदेश के बारे में है।

(तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (पशुधन की ढुलाई की शर्तें) नियम, 2020 जो 17 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 453(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) का.आ. 2378(अ) जो 17 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 434 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेलिंग वेसेल्स की संशयात्मक स्थिति को दूर करने के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 2758/17/20]

(3) नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. जी/अमेंड./12879 जो 13 फरवरी, 2020 के

महाराष्ट्र प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "बंबई उच्च न्यायालय (ऑरीजिनल साइड) नियम, 1980" में संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2759/17/20]

(4) अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 74 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलयान प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2020 जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 440(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2760/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण).

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2761/17/20]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नललिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1409(अ) जो 2 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-चार के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (पुराना एन.एच.-29ई) के डिज़ाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 17.660 तक गोरखपुर बाईपास के चार लेन की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ. 1416(अ) जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के कि०मी० 41.500 से कि.मी. 115.290 (लंबाई 73.790 कि.मी.) तक हजारीबाग से रांची सेक्शन के टॉलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (टीओटी मोड) की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1417(अ) जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के कि०मी० 440.000 से कि.मी. 520.000 (लंबाई 80.000 कि.मी.) तक कोटवा से मुजफ्फरपुर सेक्शन के टॉलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (टीओटी मोड) की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ. 1418(अ) जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के कि.मी. 49.700 से कि.मी. 99.005 (लंबाई 49.305

कि.मी.) तक झाँसी से ललितपुर सेक्शन के टॉलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (टीओटी) मोड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1419(अ) जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 49.700 (लंबाई 49.700 कि.मी.) तक झाँसी से ललितपुर सेक्शन के टॉलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (टीओटी) मोड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ. 1420(अ) जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के कि.मी. 180.000 से कि॰मी॰ 243.470 (लंबाई 63.470 कि.मी.) तक मदुरै से कन्याकुमारी सेक्शन के टॉलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (टीओटी मोड) की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ. 1421(अ) जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में हाइब्रिड एन्यूलटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (नया एन.एच.-9) के हापुड़ बाईपास के 3.522 कि.मी. को छोड़ कर राष्ट्रीय राजमार्ग-235 कि॰मी॰ 8.800 (डिज़ाइन कि.मी. 8.800) से कि.मी. 66.482 (डिज़ाइन सीएच. कि.मी. 73.512 के मेरठ-बुलंदशहर सेक्शन की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1435(अ) जो 9 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनएचडीपी फेज-पांच (पैकेज–दो) के अंतर्गत राजस्थान राज्य में डीबीएफ़ओटी (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-79 के कि.मी. 90.000 से कि॰मी॰ 214.870 तक किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद सेक्शन को छह लेन वाला बनाए जाने की संशोधन शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1436(अ) जो 11 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के कि॰मी॰ 52.300 से कि.मी. 116.500 (लंबाई 64.200 कि.मी. तक मदुरै से कन्याकुमारी सेक्शन के टॉलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ. 1514(अ) जो 18 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में हाइब्रिडएन्यूटी मोड पर कि.मी. 0.000 से कि.मी. 80.820 (डिज़ाइन चेनेज) तक राष्ट्रीय राजमार्ग-344ए के फगवाड़ा-रूपनगर सेक्शन की चार लेन वाली परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ.1696(अ) जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएचडीपी-IV के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-211 पर किमी.284.000 से किमी.335.713 तक खारवांडी कसर से जंक्शन खंड को ईपीसी मोड पर चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का.आ.1697(अ) जो 1 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-41 के कोलाघाट से हल्दिया (किमी. 0.000 से किमी.53.472) में राष्ट्रीय राजमार्ग-41 के अंत में किमी.52.080 से किमी.53.472 तक ओएमटी आधार पर परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ.1757(अ) जो 5 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर किमी. 0.000 से किमी. 231.600 तक मदुरै से कन्याकुमारी खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ.2046(अ) जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-709ए पर डिजाइन किमी. 6.875 से किमी. 68.857 (विद्यमान किमी. 6.875 से किमी. 68.660) तक भिवानी-मुंदल-जींद खंड और डिजाइन किमी. 68.875 से किमी. 154.219 (विद्यमान किमी. 68.660 से किमी. 153.700) तक जींद-करनाल खंड को दो लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ.2063(अ) जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर किमी. 116.500 से किमी. 180.00 तक मदुरै से कन्याकुमारी खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का.आ.2272 (अ) जो 8 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएचडीपी-IV के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-221 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-30) पर किमी. 71.200 से किमी. 121.000 तक आंध्र प्रदेश/तेलंगाना सीमा से रूद्रामपुर खंड को (ईपीसी) आधार पर परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का.आ.2286(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर किमी. 185.150 से किमी. 134.400 तक चिरचा-खड़गपुर खंड और किमी. 134.400 से किमी. 129.600 तक विद्यमान चार लेन के पुनर्वास सहित ईपीसी मोड पर परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह) का.आ.2342(अ) जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-361 पर डिजाइन चेनेज किमी. 320.580 से किमी.

400.575 तक महागांव से यवतमाल खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ.2343(अ) जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-70 पर किमी. 0.000 से किमी. 46.000 और किमी. 82.600 से कि.मी. 310.467 तक (डिजाइन चेनेज) तक मुनाबाओ-टनोट खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का.आ.2482(अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-334बी पर किमी. 44.800 से किमी. 80.250 तक (डिजाइन चेनेज) (लंबाई 35.450 किमी.) तक रोहना-हसनगढ़-झज्जर खंड को एचएएम मोड (पैकेज-2) पर चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ.2561(अ) जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-66) पर किमी. 0.000 से किमी. 43.00 तक तिरूवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा खंड को चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस)का.आ.2563(अ) जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-23 पर डिजाइन किमी. 3.450 से किमी. 26.000 (विद्यमान किमी. 3.450 से किमी. 26.000) तक पिस्का मोड़ से पालमा खंड को चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का.आ.2564(अ) जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-76 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-27) पर कोटा बाईपास की परियोजना के लिए दिनांक 30 जनवरी, 2018 की अधिसूचना का.आ.440 (अ) के माध्यम से शुल्क अधिसूचना के संशोधन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ.2780(अ) जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएचडीपी चरण-IV के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-79ए पर किमी. 0.000 से किमी. 35.000 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग-79ए और राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर किमी.15.000 से 69.730 तक किशनगढ़ – गुलाबपुरा खंड को डीबीएफओटी (टोल) आधार पर छह लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए दिनांक 20 जुलाई, 2017 की अधिसूचना का.आ.2272 (अ) के माध्यम से शुल्क अधिसूचना के संशोधन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ.2868(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-8ई पर डिजाइन किमी. 379.100 से किमी. 496.848 तक (विद्यमान चेनेज किमी. 356.766 से किमी. 473.000 तक) पोरबंदर द्वारका खंड को चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ.2875(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-8ई पर डिजाइन किमी. 6.945 से किमी. 54.990 तक (विद्यमान चेनेज किमी. 7.090 से किमी. 53.585 तक) भावनगर-तलाजा खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ.3106(अ) जो 11 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-214 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-216) पर डिजाइन

किमी. 127.300 से किमी. 136.520 तक (विद्यमान किमी. 126.510 से किमी. 135.740) ढिंडी से दिगामारू और राष्ट्रीय राजमार्ग-214ए (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-216) पर डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 32.900 तक (विद्यमान किमी. 0.000 से किमी. 34.320) दिगामारू से लोसारी की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ.3107(अ) जो 11 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-226 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-136) पर डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 24.370 तक, किमी. 29.210 से किमी. 38.000 और किमी. 38.350 से किमी. 66.200 तक (विद्यमान किमी. 0.000 से किमी. 66.200) पेरमबलूर – थंजावुर खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतीस) का.आ.3108(अ) जो 11 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-87 पर किमी.0.00 से किमी. 43.446 तक रामपुर-काठगोदाम खंड को हाइब्रिड एनुईटी मोड (पैकेज-एक) पर चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीस) का.आ. 3131(अ) जो 15 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड (पैकेज-1) पर एनएचडीपी-5 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्य में चार लेन के किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग-73 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-344) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 35.400 और राष्ट्रीय राजमार्ग-72क के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 17.900 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-72क के छुटमलपुर-गणेशपुर खण्ड को चार लेन का करने वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकतीस)का.आ. 3132(अ) जो 15 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-47) के कोल्लम बाईपास डिजाइन किलोमीटर 486.500 से किलोमीटर 499.500 (वर्तमान किलोमीटर 486.500 से किलोमीटर 499.500) तक की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 3133(अ) जो 15 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-532 के मानवलनल्लूर से चिन्नासलेम खण्ड के किलोमीटर 57.800 से किलोमीटर 110.942 तक दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 1010(अ) जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के लखनऊ से रायबरेली खण्ड के किलोमीटर 12.700 से किलोमीटर 82.700 (लम्बाई 70.000 कि.मी.) तक की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौंतीस)का.आ. 1011(अ) जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में डीबीएफओटी (एन्युटी) आधार पर एनएचडीपी चरण-तीन के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के कृषनगर से बहरामपुर खण्ड के डिजाइन किलोमीटर 115.342 से किलोमीटर 191.700 तक की चार लेन वाली परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 1012(अ) जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-05 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-95) के खरार-लुधियाना खण्ड के डिजाइन किलोमीटर 10.185 से किलोमीटर 86.199 (वर्तमान

कि.मी. 0.000 से कि.मी. 76.000) तक की चार/छह लेन वाली परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छत्तीस)का.आ. 1035(अ) जो 11 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-352क के जिंद-गोहाना खण्ड के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 50.505 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 50.505) तक की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैतीस) का.आ. 1722(अ) जो 3 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-4 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-49) के (ग्राम ठेका/दर्रीघाट से ग्राम बनारी खण्ड) के किलोमीटर 127.500 से किलोमीटर 178.944 तक चार/दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तीस)का.आ. 2146(अ) जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बीओटी (टोल) आधार पर महाराष्ट्र के भंडारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के वाणगंगा नदी के नागपुर-रायपुर खण्ड के किलोमीटर 491.000 में संशोधन करने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 2273(अ) जो 8 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के कबरई-बांदा के डिजाइन किलोमीटर 180.600 से किलोमीटर 217.600 (वर्तमान कि.मी. 178.00 से कि.मी. 215.00) तक ईपीसी मोड के अन्तर्गत पेव्ड शॉल्डर के साथ दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चालीस)का.आ. 2283(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-325 के बालोतरा से जालौर होते हुए संदेराव खण्ड के किलोमीटर 16.200 से किलोमीटर 91.600 तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 2284(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-730 के बहराइच-श्रावस्ती खण्ड के (कि.मी. 248.400 से कि.मी. 310.00) तक ईपीसी मोड के अन्तर्गत पेव्ड शॉल्डर के साथ दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बयालीस)का.आ. 2285(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-96 के प्रतापगढ़ से इलाहाबाद तक बाईपास रोड जंक्शन खण्ड के वर्तमान किलोमीटर 100.800 से किलोमीटर 135.230 (डिजाइन सीएच 100.800 से सीएच 135.500) तक ईपीसी मोड के अन्तर्गत पेव्ड शॉल्डर के साथ चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतालीस)का.आ. 2344(अ) जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-67 के मुद्दुनूर से जम्मलमदुगु खण्ड डिजाइन किलोमीटर 513.000 से किलोमीटर 545.150 (वर्तमान कि.मी. 513.000 से कि.मी. 546.550) तक की दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चवालीस)का.आ. 2414(अ) जो 23 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर हुबली-धारवाड़ बाईपास की परियोजना के लिए

प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना से संबंधित 5 जुलाई, 2018 के का.आ. संख्या 3253(अ) के बारे में है।

(पैंतालीस)का.आ. 2562(अ) जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के बांदा-इलाहाबाद के डिजाइन चैनेज किलोमीटर 326.400 से किलोमीटर 379.842 (वर्तमान कि.मी. 326.000 से कि.मी. 379.555) तक दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छियालीस)का.आ. 2588(अ) जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-709ई के राजगढ़-हरियाणा बॉर्डर खण्ड के डिजाइन चैनेज कि.मी. 5.150 से कि.मी. 36.150 (वर्तमान चैनेज कि.मी. 3.650 से कि.मी. 34.650) और डिजाइन चैनेज किलोमीटर 42.850 से कि.मी. 57.425 (वर्तमान चैनेज कि.मी. 43.750 से कि.मी. 58.325) तक की दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतालीस)का.आ. 2589(अ) जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-365ख के जनगांव-तिरूमलागिरि खण्ड के डिजाइन कि.मी. 0.970 से कि.मी. 40.150 (वर्तमान कि.मी. 0.970 से कि.मी. 40.410) तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 2648(अ) जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-325 के बालोतरा से जालौर होते हुए संदेराव खण्ड के कि.मी. 118.900 से कि.मी. 156.955 (कि.मी. 151.100 से 154.730 तक को छोड़कर) तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 2717(अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में ईपीसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-353ग के महादेवपुर-भूपलपल्ली खण्ड के कि.मी. 25.467 से कि.मी. 59.200 तक की चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पचास) का.आ. 2718(अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में ईपीसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-163 के हैदराबाद-भोपालापट्टनम खण्ड के कि.मी. 159.00 से कि.मी. 165.403 और कि.मी. 186.00 से कि.मी. 214.287 तक की चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 2719(अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-42 के कर्नाटक बॉर्डर से अनंतपुर खण्ड के डिजाइन कि.मी. 4/350 से कि.मी. 75/400 तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बावन) का.आ. 2781 (अ) जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-365ख के तिरूमलागिरि-सूर्यपेट खण्ड के डिजाइन कि.मी. 40.150 से कि.मी. 84.037 तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 2874 (अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-234 वेल्लोर को तिरूवन्नामलाई से जोड़ने वाली और विल्लुपरम पर समाप्त होने वाली (कि.मी. 81.000 से कि.मी. 202.600 तक) की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौवन)का.आ. 2876 (अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-42 के मुदीगुब्बा से अनंतपुरमु डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर खण्ड के डिजाइन कि.मी. 134/000 से 201/930 (वर्तमान कि.मी. 134/000 से कि.मी. 202/050) तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 जो 15 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 298(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 जो 24 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 523(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2762/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री बाबुल सुप्रियो की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2763/17/20]

16.30 ½ hrs

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Q. Nos. 1841 to 2070)

(pages 59-745)

---

*Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

16.31 hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

5th Report

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गृह मंत्रालय (गृह विभाग) से संबंधित "नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन" विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2020-2021) का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

16.31 ½ hrs

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

4th to 7th Reports

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation:-

(1) The Fourth Report on the Insurance Ombudsman Rules, 2017.

(2) The Fifth Report on the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Paramedical and General Categories (Group C Posts) Recruitment Rules, 2015.

(3) The Sixth Report on the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016.

(4) The Seventh Report on the Bhakra Beas Management Board Amendment Rules, 2017.

_____

16.32 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2019-2020) pertaining to the Ministry of Steel*

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं कि इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Steel *

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं कि इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 2765/17/20 and 2766/17/20 respectively.

16.33 hrs

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2019-20) and 3rd Report on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti*

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन और अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti*

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं कि पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनदानों की मांगों (2019-20) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 2767/17/20 and 2768/17/20 respectively.

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti*

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं कि पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति ।

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 13th Report of the Standing Committee on Water Resources on "Indigenous and Modern Forms of Water Conservation - Techniques and Practices" pertaining to the Ministry of Jal Shakti*

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं किजल शक्ति मंत्रालय से संबंधित "जल संरक्षण के स्वदेशी और आधुनिक रूप - तकनीके और पदधतियां" विषय के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 2769/17/20 and 2770/17/20 respectively.

16.33 ½ hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गयी है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिश: रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

आइटम नंबर 14 से 16 एक साथ लिए जा रहे हैं। श्री संतोष कुमार गंगवार।

(i) Need to set up an Indian Institute of Technology and a National Institute of Technology in Darbhanga, Bihar

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि मिथिला के केंद्र दरभंगा, बिहार में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण स्तर को बढ़ाने हेतु भारतीय प्रोधौगिकी संस्थान (IIT) एवं राष्ट्रीय प्रौधोगिकी संस्थान (NIT) जैसे संस्थानों की स्थापना की जाए।

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to augment railway services in Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency, Haryana

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): ट्रेन संख्या 12323/12324 हावड़ा आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन का लोहरू जंक्शन और महेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव करने का कष्ट करें ताकि दोनों संसदीय क्षेत्रो (भिवानी-महेन्द्रगढ़ और झुंझनु) के रेल यात्रियों को इस ट्रेन का लाभ मिल सके।

ट्रेन न. 14795/96 एकता एक्सप्रेस (कालका - भिवानी) का विस्तार जयपुर तक (वाया चरखी दादरी, रेवाड़ी, लोहरू, सीकर और रींगस) किया जाए। भिवानी से आनंद विहार/तिलक ब्रिज/हजरत निज़ामुद्दीन के बीच वाया रेवाड़ी, चरखी दादरी मीटर गेज के समय हिसार से दिल्ली (099/100) हरियाणा एक्सप्रेस चलती थी लेकिन इसे अब बंद कर दिया गया है। इसे दोबारा से चलाया जाए।

(iii) Need to honour detainees of Emergency period with the title of 'Lok Tantra Senani'

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): देश में 26 जून 1975 से 21 मार्च तक रहे आपातकाल के दौरान आजादी की दूसरी लड़ाई अर्थात लोकतंत्र की रक्षार्थ लड़ी गई लड़ाई में भाग लेने वाले राजनीतिक एवं सामाजिक बंदियो को भी स्वतंत्रता सेनानियों के समान देश के लोकतंत्र सेनानी के रूप में सम्मानित किया जाना आवश्यक है।

माननीय चूंकि लोकतंत्र सेनानियों को तत्समय की कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लगाकर, तानाशाही प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य किया था। इसलिए मैं सदन में अब इस विषय पर केन्द्र सरकार से ही उचित संज्ञान लेकर इन कर्म योद्धाओं को यथा सम्मान प्रदान करने की मांग करता हूँ। यह आजादी के बाद की एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी जिसमें देश के लोकतंत्र की रक्षा हेतु एक पुनीत कार्य किया गया था। गत वर्ष केरल हाईकोर्ट ने माननीय न्यायाधीश ए. मोहम्मद मुस्ताक ने भी याचिका क्रमांक एमपी (सी) नं. 34412/ 2018/ 23.7.2019 पर निर्णय देते हुए केन्द्र सरकार को आपातकाल के समय संघर्ष करने वालों को "लोकतंत्र सेनानी;" घोषित करने हेतु 06 माह में निर्णय लेने के निर्देश भी दिये गये थे।

(iv) Need to set up an Airport in Maldaha Uttar Parliamentary Constituency, West Bengal

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मालदा उत्तर पश्चिम बंगाल के विकास एवं सामरिक हित के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी एयरपोर्ट की स्थापना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र अत्यंत पिछडा हुआ है यहां से आवागमन अत्यंत दुरूह होने के कारण व्यापार और आर्थिक गतिविधियां भी काफी सीमित मात्रा में हो पाती है। हमारे यहां से निकटतम हवाई अड्डा 190 किलोमीटर की दूरी पर बागडोगरा में स्थित है जहां तक जाने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। हमारा सबसे संसदीय क्षेत्र एक सीमा क्षेत्र होने के कारण राष्ट्र सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं अपने क्षेत्र मालदा के विकास के लिए सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपर्ण एयरपोर्ट की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से मांग करता हूं।

(v) Need to set up a full-fledged Akashvani Kendra in Meerut

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): गत वर्ष दिनांक 6 मार्च 2019 को मेरठ में एफ एम स्टेशन का लोकार्पण हुआ था। वर्तमान में इस केंद्र से किसी मौलिक कार्यक्रम के स्थान पर केवल दिल्ली केंद्र के कार्यक्रम रिले हो रहे हैं। प्रारम्भ से ही मेरठ में आकाशवाणी के सम्पूर्ण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था। प्रस्तावित ग्राउंड फ्लोर प्लान से इसकी पुष्टि भी होती है।

यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति को परिलक्षित करने वाले कार्यक्रमों यथा लोकनाटय, लोकगीत तथा लोक संगीत स्थानीय कृषि एंव व्यापार उधोग से संबंधी विषयों का निर्माण एंव प्रसारण किया जाना अपेक्षित है। इससे क्षेत्र के कलाकारों तथा विशेषज्ञों को एक उचित मंच भी उपलब्ध हो सकेगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ के आकाशवाणी केंद्र को एक सम्पूर्ण केंद्र के रूप में उच्चीकृत करने की कृपा करें।

(vi) Need to set up industries in Kodarma district, Jharkhand

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): झारखण्ड राज्य के कोडरमा जिले में पूर्व से कई औद्यौगिक इकाईयां कार्यरत हैं लेकिन इस जिले में कोई भी क्षेत्र पूर्ण रूप से उद्योग के लिए स्थापित नहीं किया जा सका है, भारत सरकार के द्वारा कोडरमा में आयुधनिर्माणी फैक्टरी के लिए स्थल का चुनाव किया गया था लेकिन कुछ कारणवश यह स्थापित नहीं हो सका, कोडरमा में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि भी उपलब्ध है अगर केन्द्र सरकार अपने स्तर से कोडरमा में उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा करती है तो कई तरह के उत्पाद के लिए इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायिक तथा औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो जायेंगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

अतः भारत सरकार से मेरी मांग है कि झारखण्ड राज्य के कोडरमा जिले में उपलब्ध भूमि पर उद्योग स्थापित करने की सकारात्मक पहल करें साथ ही कोडरमा जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा औद्यागिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का कार्य करें।

(vii) Regarding socio-economic development of weavers of Subarnapur district of Odisha

SHRIMATI SANGEETA KUMRI SINGH DEO (BOLANGIR) : In Subarnapur district of Odisha, the handloom industry is very old and weavers of the district are very artistic and produce intricate design sarees both in cotton and silk in tie and dye (IKAT) and bomkai design. Around 13112 weavers and 1500 ancillary workers are working in the district and they produce cloth worth Rs. 65 crores annually. One Padmashree, 20 National awardee and around 50 state awardee weavers are in the district.

I request the Ministry of Textiles to consider the following demands for the socio economic development of Weavers of Subarnapur district of Odisha.

- to set up a sub centre of National Institute of Fashion Technology, Bhubaneswar at Sonepur.
- to establish offices like Weavers Service Centre, Textile Committee, NHDC at sonepur
- to provide working capital loan to weavers at low interest
- special project for weavers covering benefits like equipment, solar lights, education for children
- Marketing of handloom fabric from doorsteps of weavers.

(viii) Regarding implementation of FRA Act in West Bengal

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING) : FRA 2006 states that all forest villages inhabited by people must be converted into revenue village, and land rights and ownerships must be transferred to forest dwellers.

In 2013, West Bengal Government issued a notification to convert forest land to revenue villages across the state. Even though the Parja Patta is being handed to forest dwellers in the neighbouring districts of Jalpaiguri and Alipurduars since 2014, no such step has been taken till date to confer Parja Patta rights to about 2.6 lakh dwellers living in Darjeeling and Kalimpong districts. Recently, Kalimpong district administration issued a certificate to some people as 'Title for Forest Land Under Occupation'. These forest lands are not occupied, because they form part of the heritage and historical roots of our people. Depriving people of their rights to their ancestral land is injustice.

The discriminatory policy adopted by West Bengal Government in implanting FRA 2006, needs urgent investigation and intervention by Ministry of Tribal Affairs.

(ix) Need to take stringent action against perpetrators crimes against women in Odisha

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Our Government has time and again reiterated the importance of women's rights in a developing country. However, the number of crimes committed against women have seen a persistent growth despite the Government's continuous efforts. The National Crime Records Bureau had released the crime statistics for 2018. The data indicates an increasing trend in the number of crimes committed against women in Odisha since 2016 with a dismal conviction rate of 8.3% and a pendency percentage of 94.7%. With the crime rate of 91.3 crimes per one lakh population, Odisha records the third highest in the Country, lagging far behind the states like Nagaland at 7.3 and Tamil Nadu at 15.4. I implore the minister of Home Affairs to urge the State to direct its officials to take stringent action as deemed necessary to prevent such incidents.

(x) Need to confer Bharat Ratna Award on Dr. Shivling Shivacharya Maharaj Ahmedpurkar, the great saint of Lingayat sect

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): लिंगायत समुदाय के महान संत डा. शिवलिंग शिवाचार्य महाराज अहमदपुरकर का विगत 1 सितम्बर, 2020 को स्वर्गवास हो गया है। अपने पूरे जीवन वह पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र धर्म और देशभक्ति के सिद्धांतों पर चले। पूरे देश में उनके करोड़ो अनुयायी हैं। आजीवन वह देश भर में शिक्षा व समाज के उत्थान के लिए तन मन धन से कार्य करते रहे। लिंगायत समुदाय ही नहीं अपितु पूरे देशवासियों के लिए वह प्रेरणा श्रोत रहे। उन्होने सत्य, राष्ट्र धर्म और समाज सेवा की एक ऐसी जिंदा मशाल प्रज्जवलित की जो हमेशा जलती रहेगी और लोगों के जीवन को आलोकित करती रहेगी।

देश के प्रति उनकी भक्ति व समर्पण के मद्देजर यह उचित ही होगा कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्रदान की जाए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह महान संत डा. शिवलिंग शिवाचर्य महाराज अहमदपुरकर को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि शीघ्रतिशीघ्र प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(xi) Need to ensure payment of compensation to land oustees in Anand Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आनंद): आनंद जिला स्तर पर मेरे आनंद लोक सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सिक्स लेन बनाने के लिए 2010 में काला (CALA) में भूमि अधिग्रहण किया था, हाइवे निर्माण का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और कुछ अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण की काला द्वारा तैयारी की जा रही है। पुराने जमीन अधिग्रहण में अभी तक पूरे किसानों को अवार्ड या मुआवजा नहीं मिला है। बोरियावी गांव और आनंद के किसान हर रोज मेरे संसदीय क्षेत्र के कार्यालय में अवार्ड हेतु गुहार लगा रहे हैं।

NHAI मैनुअल के प्रावधान के अनुसार जिला स्तर पर एक भूमि अधिग्रहण सहायक इकाई की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है, जो भू अधिग्रहण अवार्ड संबंधी समस्याओं एवं किसानों को इस संबंध में सहयोग कर मुआवजे के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने इस संबंध में डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट, काला और एनएचए.आई के अधिकारियों के पत्राचार और व्यक्तिगत रूप से मिलकर कई बार समस्या के समाधान हेतु बातचीत की है। मैंने सुझाव दिया है कि तीन से चार व्यक्तियों की टीम बनाकर एक अस्थायी कार्यालय खोलकर किसानों के अवार्ड संबंधी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाये। मैं केन्द्रीय राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया इस मामले का संज्ञान लें और किसानों के हित में जल्द से जल्द अवार्ड संबंधी समस्या के समाधान हेतु आदेश जारी करें।

(xii) Need to provide funds under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) to Maharashtra in a time-bound manner

श्री रामदास तडस (वर्धा): मैं माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा, लोक सभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना नागरी क्षेत्र में कार्यरत है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए निधि वितरण प्रक्रिया में देरी होने के कारण लाभार्थी वर्ग को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। आवास निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने तक एक कालबद्ध. समय सीमा में निधि की उपलब्धता आवश्यक होती है। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निधि वितरण प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण लाभार्थी वर्ग को बड़े पैमाने पर परेशानी होने की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अतः अनुरोध है कि प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी को अधिक गतिमान बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारा को निधि आवंटन प्रक्रिया को गति प्रदान करने की कृपा करें।

(xiii) Need to amend the official Languages Act, 1963

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तथा देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली समझी व दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा तथा पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा अहिन्दी भाषी नेताओं जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस आदि द्वारा हिन्दी भाषा का प्रयोग किया गया था। अपेक्षा भी थी कि प्रेरणा व प्रोत्साहन द्वारा जहाँ हिन्दी भाषा, राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर लेगी, वहीं अन्य स्थानीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा। परन्तु अपेक्षित सफलता न मिलने पर राजभाषा अधिनियम सहित कई उपाय हिन्दी भाषा को राजभाषा बनाने हेतु किए गए। संघ के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के स्वंतत्र विभाग में राजभाषा विभाग के जून 1975 में स्थापाना की गई थी तभी से भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 व राजभाषा अधिनियम 1963 के विभिन्न उपबन्दों द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परन्तु राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) व विज्ञापन आदि में हिन्दी विज्ञापन पर 50 प्रतिशत न्यूनतम विज्ञापन राशि खर्च करने सहित कई ऐसे प्रावधान व नियम हैं जिनके कारण भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग कामकाज में बड़े पैमाने पर करने के कारण न स्थानीय भाषाओं को लाभ हो रहा है, न ही हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है। अतः माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त कठिनाईयों को दूर करने के लिए कार्यविधि व राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

(xiv) Need to set up multi-purpose sports halls in Pali Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मेरे लोकसभा क्षेत्र पाली के अन्तर्गत दो जिले आते है, पाली व जोधपुर, जिसका अधिकांश हिस्सा ग्रामीण एवं आदिवासी है । इस क्षेत्र में स्टेडियम व खेल अवसंरचनाए स्थापित करने की मांग काफी समय से चलती आ रही है। स्थानीय खेलकूद प्रतियोगिताएं बड़े परिसर वाले विद्यालयो में आयोजित की जाती रही है । ओसियां ब्लॉक में 49.09 बीधे में ऐथलेटिक्स, फुटबॉल, बालीवाल, कबड्डी आदि के लिए मल्टीपरपस हॉल, बिलाड ब्लॉक में 20.06 बीधे में ऐथलेटिक्स, फुटबॉल, बालीवाल, कबड्डी हॉकी, हैण्डबॉल, टेनिस तथा बैडमिंटन आदि हेतु मल्टपरपरस हॉल, भोपालगढ ब्लॉक में 10.18 बीधा में ऐथलेटिक्स, फुटबॉल, बालीवाल, कबड्डी हॉकी, हैण्डबॉल, टेनिस तथा बैडमिंटन आदी हेतु मल्टपरपरस इनडोर हॉल, बावडी ब्लॉक मे 10.18 बीधा में ऐथलेटिक्स, फुटबॉल,, वॉलीवाल, कब्बडी, खो-खो हेतु मल्टीपरपस इनडोर हॉल स्थापित करने की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि आदिवासी एवं ग्रामीण बाहुल्य संसदीय क्षेत्र पाली में खेल व खेल अवसंरचनाओं के विकास के लिए उक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

(xv) Regarding connecting Deoghar with Eastern Dedicated Freight Corridor

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA) : As per the announcement, the inter-ministerial group was to examine the feasibility of setting up the Amritsar-Delhi-Kolkata Industrial Corridor along with the structural and financing arrangements that would be required.

The Amritsar-Delhi-Kolkata Industrial Corridor will use the Eastern dedicated freight corridor as the backbone. The Eastern DFC extends from Ludhiana in Punjab to Dankuni near Kolkata. Therefore, the Amritsar-Delhi-Kolkata Industrial Corridor will be structured around the Eastern DFC and also the highway network that exists on this route. It will also leverage the Inland Waterway System being developed along National Watenvay-I, which extends from Allahabad to Haldia.

It will cover Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand and West Bengal. This is one of the most densely populated regions in the world and houses about 40% of India's population.

Interestingly, the corridor is to cover the cities of Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Ambala, Saharanpur, Delhi, Roorkee, Moradabad, Bareilly, Aligarh, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Hazaribagh, Dhanbad, Asansol, Durgapur and Kolkata.

While originally, the alignment was being considered differently, changes seem to have been suggested. These changes would result in this vital corridor bypassing the Santhal Pargana region and that too by just 100-odd Kilometers. While the Corridor is proposed to link Patna, I would urge the Government to consider connecting DEOGHAR in Jharkhand, which is less than 100 Kilometers to the proposed alignment. The area is in extreme need of infrastructure and just a slight change in alignment would make a huge difference to the lives of the poor tribals of the region. The tribals of Santhal Pargana will forever thank the Government of India for this.

(xvi) Need to establish a Fishery University in Eastern Uttar Pradesh particularly in Gorakhpur

श्री रवि किशन (गोरखपुर): निषाद समाज हमारे देश का एक महत्त्वपूर्ण समाज है। रामायण काल में भी इस समाज ने भगवान राम की सेवा की थी और उनकी मित्रता अर्जित की थी। परंतु आज इस समाज की अवस्था अच्छी नहीं है। मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग 13 प्रतिशत आबादी इस समाज के लोगों की है और मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर और आसपास के इलाकों में इस मछली पालन ही है परंतु इस पूरे क्षेत्र में मछली पालन के संबंध में कोई संस्था सरकार की तरफ से स्थापित नहीं की गई है। जिसके कारण उन्हें अपने कार्य में उसे उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है और वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन नहीं कर पाने के कारण उन्हें आर्थिक तंगी होती है। इसलिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पूर्व उत्तर प्रदेश विशेषकर गोरखपुर में एक मत्स्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इससे ना सिर्फ मत्सय पालन के क्षेत्र में नए अनुसंधान और शिक्षण हो पाएंगे में बल्कि उस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रोजगार देने वाले व्यवसाय को अधिक संगठित और वैज्ञानिक रूप से चलाया जा सकेगा।

(xvii) Need to expand the number of days of employment under MGNREGA

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Indian economy is facing unprecedented crisis and is on the verge of a depression. In this context, it is high time to revamp the MGNREGA, India's rural employment guarantee programme. Expanding the scale of work under MGNREGA will enhance purchasing power of the rural poor. In 2019- 20, around 578 lakh households demanded employment under MGNREGA across major states, but around 512 lakh households received employment. In 12 major states (out of 19), average wage rate under the MGNREGA was 50%-75% of the legally prescribed minimum wage for the unskilled workers. Hence, I request the Government of India to expand the number of days of employment to 200 days with legal minimum wage rate to every household that demands work. It will lead to a wage bill of Rs 3,13,741 crore which is more than thrice the allocated amount of Rs 1,01,500 crore. This is about 1.4% of the GDP.

(xviii) Regarding compensation to flood victims in Kuttanad region of Kerala

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The repeated floods in Kerala have wrought havoc, in Kuttanad region witnessing a massive scale of destruction. Hundreds of acres of paddy cultivation have been damaged and washed away, leading to heavy losses for farmers. Outer bunds of numerous paddy polders stand breached and houses were submerged. Persons who were victims of earlier floods have not been allocated fair compensation as yet. Kuttanad region relies upon agriculture and allied activities as its prime source of livelihood. I urge the government to provide a fiscal package for compensating the losses and help in reviving Kuttanad region. A special package composed of pragrammes for revival of agriculture, dairy, animal husbandry and other vocations along with fiscal support package may be implemented.

(xix) Regarding alleged inadequate compensation paid for land acquired for National Highway project in Tamil Nadu

SHRI P. VELUSAMY (DINDIGUL) : After easing of the restrictions of lock down by the Central Government, NHAI has undertaken 3 major projects for upgradation of national highways in Tamil Nadu at an estimated cost of Rs.2800 crores. The four-laning of Pollachi- Coimbatore section of NH 209 is yet to be completed. The compensation paid for the land acquired from the villages for this Karnalapuram-Pollachi highway project is insignificant and the rate applied is equal to the cost of acquisition or possession prevalent decades back. Instead of applying the market value, the amount settled is inadequate. As per the norms, for land acquired in rural areas, the compensation should be 2 times of the market value and 4 times of the market value in urban area.

(xx) Regarding privatization of LIC

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI) : From the very beginning, the Union Government is very keen on privatising public sector companies. Government is not bothered to save the profit making Navratna public sector companies.

The latest announcement by Finance Minister during Corona crisis management involving 22.5 lakh crores economic / financial packages included an announcement about privatisation of all Public Sector companies.

LIC is not just a profit earning public sector but has a larger role to play in the lives of several crores of ordinary citizens. Among the life insurance companies, its services are far better than most other private health and life insurance companies.

LIC nationalised in 1956 with a capital of just Rs. 5 crores has grown to the size of Rs. 32,06,000 crores and shows the support and faith it has gained from the people.

It's everybody's knowledge that a major portion of the funds of LIC are effectively invested in govt projects like Railways and others. In fact, LIC has a big role in managing financial crisis at various points of time. It is one of the biggest

employment sources as well. It provides direct employment to 1.25 lakh people and an indirect opportunity to several lakh agents.

Hence indiscriminate privatisation of such profit earning co. is in no way a noble act. Even the preliminary step of devolution of shares of LIC will ultimately lead to absolute privatisation. So, the Government should desist from doing this now.

(xxi) Regarding assent to DISHA Act of the Government of Andhra Pradesh

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY) : Taking inspiration from Nirbhaya Act, the CM of Andhra Pradesh has enacted more stringent legislation to create fear psychosis in the minds of offenders and passed the Disha Act and sent it to the Home Ministry for getting assent of President.

Disha Act provides death sentence for rape/gang rape. It envisages expediting trial in serious rape cases within 21 days; mandates investigating officer to complete investigation in 7 days. If there is conclusive evidence, even judgment time has been reduced to 21 days. It also provides life imprisonment for sexual assault on children. This clearly indicates the resolve to wipe out crime against women in AP. After completing all formalities, GoAP sent the Bill on 17-01-2020 to Home Ministry for obtaining assent of President. People of AP are eagerly waiting for assent of the Bill. Hence, I request Home Minister to quicken the process and obtain assent of President.

(xxii) Need to shift the Waste Treatment Facility at Deonar in Mumbai to other place

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): कोरोना संकट में बायोमेडिकल कचरे की अपशिष्ट भस्म इकाई मुम्बई के देवनार संयंत्र में भंडारण की समस्या हो गई है। 2,000 किलोग्राम कोविड-19 कचरा BMC द्वारा नियुक्त निजी अपशिष्ट ऑपरेटर संचालित निजी संयंत्र में प्रतिदिन जमा हो रहा है। कचरे में वृद्धि लोगों की आवाजाही को रोकती है, सफाई कर्मचारियों को कोविड 19 बड़ी मात्रा में संक्रमित करती है। इसकी मात्रा जून में 12,200 किलोग्राम से बढ़कर अगस्त में 24,880 किलोग्राम प्रतिदिन हो गई। एनजीटी द्वारा अप्रैल में नियुक्त समिति ने राज्यों को कोविड 19 कचरे को अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान देने का निर्देश दिया। मुम्बई स्थित देवनार में ट्रीटमंट प्लांट पिछले दो महीनों से मोटे धुएँ को फेंक रहा है, जिससे इस क्षेत्र के निवासियों में सांस और त्वचा संबंधी समस्याएँ हो गई है। जनजीवन की सुरक्षा के लिए एनजीटी को देवनार ट्रीटमेंट प्लांट को शहर के बाहर शिफ्ट करने का बीएमसी को निर्देश देना चाहिए।

(xxiii) Need to take adequate remedial measures to prevent land erosion caused by Ganga, Kosi and Mahananda rivers in Katihar Parliamentary Constituency, Bihar

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): बिहार राज्य के अंतर्गत हमारे संसदीय क्षेत्र कटिहार में गंगा, कोशी और महानन्दा तीन प्रमुख नदियां बहती हैं तथा कारी कोशी, बरहन्डी नदी तथा कोशी नदी हमारे कटिहार में आकर गंगा नदी में मिलती हैं। इससे कटिहार जिला अन्तर्गत मनिहारी प्रखण्ड के गोलाघाट, मेदिनीपुर तथा कुर्सेला प्रखण्ड में पत्थर टोला और अमदाबाद प्रखण्ड में बहुत से ऐसे दर्जनों गाँव हैं जो हर वर्ष गंगा नदी के तेज बहाव तथा भीषण कटाव से प्रभावित होते हैं।

मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से मांग करता हूँ कि गंगा नदी एंव कोशी और महानन्दा नदी के कटाव से बचने के लिए कटाव रोधक/बोल्डर पिचिंग, रिंग बांध (ठोकर) द्वारा इसका स्थायी निर्माण कराया जाये।

(xxiv) Need to desilt Chittaurgarh and Kohargaddi dams in Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh and make Chittaurgarh Dam as a tourist spot

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): मैं सरकार का ध्यान किसानों की फसल सिंचाई की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती में चितौड़गढ़ जलाशय एंव कोहरगड्डी जलाशय काफी लंबे जलाशय हैं। इन जलाशयों से हजारों किसानों की फसलों सिंचाई की जाती है परंतु इन बांध में सिल्ट (बालू) जमा हो जाने के कारण बांध में पानी बहुत कम रूकता है जिससे फसलों की सिंचाई प्रभावित हो जाती है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती में दोनों बांधों में जमा सिल्ट (बालू) को निकलवाया जाए, जिससे गैसडी व पचपेदवा के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, और चितौड़गढ़ जलाशय को पर्यटन स्थल बनाया जाए, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके।

(xxv) Need for upgradation of Base Tower Stations of BSNL

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA) : It is a well known fact that the infrastructural expansion of BSNL's 4G roll-out has been facing impediments for many years now. In October last year, the Central Government came out with a Revival Plan for BSNL and MTNL. There have been many delays in meeting the targets of the plan. Of the five points mentioned in the plan, only one pertaining to sovereign bonds has been met — that too a few months back. Apart from this, it has been eleven months since the Plan was announced and it is nowhere near completion.

In this regard, I would urge for the immediate upgradation of Base Tower Stations making them 4G enabled. In addition to this, the surplus land monetisation ought to be taken out at market price and through fair and transparent means. Taking such steps would pump life into the dormant industry and help in its revival.

(xxvi) Need to look into the alleged irregularities by a cement company in Nagaur district, Rajasthan

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर):राजस्थान के नागौर जिले के मुंडवा में एक सीमेंट कंपनी द्वारा कथित रूप से गलत तथ्य व झूठे शपथ पत्रों के आधार पर ली गई पर्यावरण अनापति को निरस्त करने हेतु निवेदन है कि उक्त स्थान पर वर्ष 1988 से एक कंपनी के नाम से केपेटीव सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु केईसी जारी करवाई और उसके बाद इसे अन्य नाम की कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया और इस प्रकार तालाब की स्थिति, आबादी की स्थिति और शहर से दूरी सहित कई तथ्यों को दरकिनार करके ली गई इसी clearance की जांच हेतु तत्काल भारत सरकार दिल्ली से कमेटी भेजकर एक-एक तथ्य की जांच करे व संबन्धित कंपनी की ईसी निरस्त करके कंपनी के खिलाफ गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करे।

(xxvii) Need to waive off fee of students of private schools/colleges during lock down period

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह): पूरे देश में लॉकडाउन में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है, मैं इस विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव आए और इसकी मार अभिभावक और विद्यार्थी झेल रहे हैं। लॉकडाउन के समय ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई जिसके लिए अभिभावक के पास मोबाईल फोन के साथ इंटरनेट होना जरूरी है या लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। जिनके एक से ज्यादा बच्चे हैं उनके सामने उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। निजी स्कूल फीस उतना ही ले रहे हैं जबकि ऑनलाइन पढ़ाई की फीस आमतौर पर कम होती है क्यूंकि इसमें इंफास्ट्रक्चयर और बाकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। लेकिन निजी स्कूल कॉलेज मनमानी कर फीस ले रहे हैं जिनसे अभिभावक और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा आग्रह है कि शिक्षा मंत्रालय इसमें संज्ञान ले और लॉकडाउन के समय से निजी स्कूल और कॉलेजों में लिए जा रही फीस को माफ करे।

16.35 hrs

OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORKING CONDITIONS CODE, 2020; INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020 AND CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

"कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

"कि संगठित या असंगठित या किन्हीं अन्य सेक्टरों में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का

संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : आप एक बार छोटा-सा वक्तव्य दे दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, मैं तीन लेबर कोड्स को सदन के समक्ष कन्सिडरेशन और पासिंग के लिए रखते हुए यह कहना चाहूंगा कि यदि किसी भी व्यवस्था को समय के साथ-साथ परिवर्तनशील और गतिशील नहीं रखा जाएगा, तो बदलते परिवेश में उद्देश्यों को प्राप्त करने में वे निष्प्रभावी हो जाती है। इसी मौलिक सिद्धांत के अनुरूप आज़ादी के 73 वर्षों के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान के जटिल श्रम कानूनों के स्थान पर एक सरल, ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और बदलते तकनीक के दौर के अनुरूप ही श्रम कानूनों की बेहतर व्यवस्था का सृजन किया गया है।

जब इन श्रम सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था, तो 44 श्रम कानूनों में से अधिकतम श्रम कानून ऐसे थे, जो 50 से भी अधिक वर्षों से ज्यादा पुराने हो गए थे तथा लंबे समय से उनमें बदलाव की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। 44 केन्द्रीय श्रम कानून अपने आपमें इतनी बड़ी संख्या है, जिससे इनके क्रियान्वयन में समस्याएं आती हैं। इन कानूनों में आ रही अनेक परिभाषाएं, अथॉरिटीज़, अनेकों अनुपालन व्यवस्थाएं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, कल्याणकारी प्रावधान के लिए अलग-अलग थ्रेशहोल्ड इत्यादि की वजह से कठिनाई आ रही थी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आज़ादी के 73 वर्षों की यात्रा में आज के नए भारत का वातावरण, तकनीकी दौर, काम करने का तरीका, कार्य जगत की सुविधाएं तथा काम के स्वरूपों में भी अप्रत्याशित परिवर्तन हो गया है। आज से 70 वर्षों पहले किसी ने भी इस बात की

कल्पना भी नहीं की थी कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठकर भी काम किया जा सकता है, या एक ही समय पर कर्मचारी एक से अधिक एम्पलॉयर्स के लिए काम कर सकते हैं। इस बदले हुए कार्य जगत के स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय कार्य जगत ने भी स्वीकार किया है तथा फ्यूचर ऑफ वर्क के अनुसार उन्होंने भी अपने श्रम कानूनों में काफी बदलाव किए हैं।

इस संदर्भ में, यदि भारत अपने श्रम कानूनों में समय के अनुरूप परिवर्तन नहीं करता है, तो हम श्रमिकों के कल्याण तथा उद्योगों के विकास दोनों ही उद्देश्यों में पीछे रह जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ वर्तमान श्रम कानूनों को चार लेबर कोड्स में परिवर्तित करने का ऐतिहासिक कार्य शुरू किया गया था। हम चार लेबर कोड्स में 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर रहे हैं। इन चार लेबर कोड्स में श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। पहला, वेजेज़ कोड में वेतन की सुरक्षा, ओएसएच कोड में कार्य करने के लिए सुरक्षित वातावरण, इंड्रस्ट्रियल रिलेशन्स कोड में प्रभावी विवाद निस्तारण की व्यवस्था और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन चारों लेबर कोड्स में पहला कोड ऑन वेजेज़ दोनों ही सदनों द्वारा पहले ही सहमति से पास किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि इन 4 लेबर कोड्स को बनाने की प्रक्रिया में यह विशेष ध्यान रखा गया है कि एक व्यापक कंसल्टेशन प्रक्रिया का पालन हो। हमने इस कंसल्टेशन प्रोसेस के अंतर्गत ट्रेड यूनियन्स, एम्पलॉयर्स एसोसिएशन्स, राज्य सरकारें, इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स, श्रम के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सबसे महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी आम जनता के सुझावों को भी ध्यान में रखते हुए प्रावधानों को बनाया गया है।

16.39 hrs (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

महोदय, इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमने करीब 9 ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन्स किए हैं। चार सब कमेटी मीटिंग्स और दस रीज़नल कांफ्रेंसेज़ भी किए हैं। इनमें देश के विभिन्न स्थानों पर लेबर कोड्स के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इन लेबर कोड्स पर दस बार इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन भी हुआ है, जिनके माध्यम से दूसरे मंत्रालयों तथा विभागों के सुझाव भी लिए गए हैं। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि सभी लेबर कोड्स को मंत्रालय की वेबसाइट पर दो से तीन महीने के लिए पब्लिक डोमेन में भी रखा गया है। जिसके दौरान सभी हितधारकों से करीब छह हजार से ज्यादा कमेंट्स प्राप्त हुए हैं। इतनी विस्तृत कंसल्टेशन प्रक्रिया के बाद ही हमने लेबर कोड्स के प्रावधानों को उचित स्वरूप दिया है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के मेरे सभी साथी अवगत हैं कि मंत्रालय की इस प्रक्रिया के बाद ही तीनों लेबर कोड्स को पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमेटी को भी रेफर किया गया था तथा पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमेटी ने सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा करने के उपरांत 233 रिक्मेंडेशंस दी थीं। इसमें मंत्रालय ने 74 प्रतिशत से अधिक रिक्मेंडेशंस को स्वीकर कर लिया है। इसी आधार पर लेबर कोड्स के प्रावधानों में सभी जरूरी परिवर्तन भी किए गए।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि श्रमिक और उद्योग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए बदलते परिवेश में हमारे श्रमिक के लिए उद्योगों की आवश्यकताओं में भी संतुलन होना चाहिए। इन लेबर कोड्स में जहां एक तरफ श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों को सरलता से चलाने के लिए एक सरल अनुपालन की व्यवस्था की गई है। अब उद्योग लगाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अतंर्गत अलग-अलग रजिस्ट्रेशंस या कई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक संभव है, अब हम सभी रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंस इत्यादि को

समयबद्ध सीमा में और ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदान करने का कार्य करने जा रहे हैं। हमने श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अनेकों ऐसे कदम उठाए हैं, जो वर्तमान के श्रम कानूनों में नहीं थे। जैसे सभी श्रमिकों को एपॉइंटमेंट लेटर का अधिकार प्रदान किया जा रहा है। इससे हम अपने कार्य जगत में फॉर्मल एंप्लायमेंट को बढ़ावा दे पाएंगे। यह एक बड़ी पहल है जो आजादी के 73 वर्षों के बाद और 44 कानून होने के बावजूद भी आज तक नहीं की गई हैं। श्रम कानूनों के इतिहास में कई प्रावधान तो पहली बार ही किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख मैं अभी करना चाहूंगा, जैसे प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को ज्यादा व्यापक बनाना। अब ऐसे श्रमिक, जो कि बिना कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से भी एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाते हैं, वे भी अब प्रवासी श्रमिक की परिभाषा में आ पाएंगे। साथ ही साथ वे अब प्रवासी श्रमिकों के लिए निर्धारित कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र भी हो पाएंगे। इसी तरह से काम से हटाए जाने वाले श्रमिक के लिए भी रीस्किलिंग की व्यवस्था की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे नए तरह के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। विवाद निस्तारण के लिए ट्रेड यूनियन की महत्ता को समझते हुए और स्वीकार करते हुए, श्रम कानूनों में पहली बार उनके संस्थान के स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर यानी तीनों स्तरों पर मान्यता देना।

अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों, उद्योग जगत तथा इससे संबंधित सभी हितधारकों के अधिकारों तथा आवश्यकताओं में एक सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हुए इन तीनों लेबर कोड्स को लाया गया है।

मैं आशा करता हूँ कि यह श्रम संहिता वास्तव में श्रमिक कल्याण की प्राप्ति के उद्देश्यों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरा सदन के सभी साथियों से आग्रह है कि इन लेबर कोड्स पर आवश्यक चर्चा और अपनी बातें बताने का कष्ट करें।

मैंने यह प्रारंभिक बात कही है। मैं विस्तार से और बातें बाद में भी आपसे करूंगा।

आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

"कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

"कि संगठित या असंगठित या किन्हीं अन्य सेक्टरों में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री पल्लब लोचन दास जी।

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे इस ऐतिहासिक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस बिल की चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे मौका दिया है।

सर, भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मैं माननीय मंत्री संतोष गंगवार जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, यह इतिहास बनने जा रहा है। आज का सत्र श्रमिकों के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा रिफॉर्म कभी भी कहीं हुआ नहीं था। आज तक जितने भी कानून थे, हमारे 44 कानून थे, उनमें से हमने 12 को रिपील किया है। 44 कानून रहने के बाद भी श्रमिक की जो पोजिशन है, स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग है, डिग्निटी ऑफ लेबर आज भारत में क्या है?

इतने कानून रहने के बाद भी आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी नहीं है। हमने इस तरीके से कानून बनाया है, इनमें इतने कॉम्प्लिशन्स हैं, डेफिनेशन में कॉम्प्लिशन है, थ्रेशहोल्ड में कॉम्प्लिशन्स हैं और ट्रेड यूनियन हो या कोई भी एम्प्लॉयर हो या वर्कर्स यूनियन हो, किसी को समझ में नहीं आता है। इसके कारण श्रमिकों को जितनी सुरक्षा देनी चाहिए थी, वह सुरक्षा नहीं मिली। यह जो रिफॉर्म अभी आया है, इस रिफॉर्म के द्वारा एक यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है। पहले जो कोड ऑफ वेजेज आया था, कोड ऑफ वेजेज में हम सभी वर्कर्स को मिनिमम वेज के कवरेज में लाएं। पहले तो मिनिमम वेज भी वर्कर्स को नहीं मिलती थी, पहले खाली सिटी में जितने वर्कर्स हुआ करते थे, उनको ही मिलती थी। हमने यूनिवर्सलाइजेशन किया और उसके कारण आज वर्कर्स को उसका बेनिफिट मिल रहा है। हमने कवरेज बढ़ाया है।

सर, मैं वेजेज कोड के बारे में बोलना चाहूंगा। हम लोगों ने 13 लॉ को समाहित करके एक कोड में डाला है। यहां पर हम लोग जितना सिम्प्लीफाई कर सकें, उसमें सिम्प्लीफाई किया गया है। यह जो लेबर कोड है, इसमें कैसे सिम्प्लीफाई तरीके से रजिस्ट्रेशन हो, कैसे एक लाइसेंस हो, कैसे यहां पर एक रिटर्न हो, इसका यहां पर प्रावधान किया गया है। थ्रेशहोल्ड भी मिनिमम, अगर दस श्रमिक रहेंगे, तो वेजेज कोड वहां पर इम्प्लिमेंट किया जाएगा। उसमें भी प्रावधान है कि अगर कहीं पर हेजाडर्स है या कहीं लाइफ थ्रेटनिंग इस्टेब्लिशमेंट है तो वहां पर एक वर्कर रहने से भी इनको बेनिफिट दे सकते हैं।

सर, यहां पर सबसे बड़ी बात है- माइग्रेंट वर्कर की। माइग्रेंट वर्कर के बारे में सब बोलते हैं। माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन क्या थी? इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, 1979 का जो एक्ट है, उस एक्ट में कान्ट्रैक्ट के थ्रू खाली यह लिखा गया था कि जहाँ पर ऑरिजनल स्टेट है, वहां पर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और जहां काम करने जाएंगे, वहां भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप कान्ट्रैक्ट के थ्रू काम करेंगे, तभी आपको माइग्रेंट वर्कर बोला जाएगा। आज की डेट में सब माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बोलते हैं, पुरानी सरकार ने यह नहीं किया, उन्होंने कभी इनके बारे नहीं देखा। माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन पहली बार मोडिफाई हुई है। आज कोई भी लोग खुद आकर काम करेंगे, तो उनको माइग्रेंट वर्कर का बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयर के थ्रू अगर वे काम करने आएंगे तो उनको माइग्रेंट वर्कर का बेनिफिट मिलेगा। वहां यह प्रोविजन भी डाला गया है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हेल्प लाइन बनाई जाए। वहां पर हम लोग एक पोर्टल बनाएं, जिस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो और वह सेल्फ डिक्लेरेशन कर सके कि मैं माइग्रेंट वर्कर हूँ। माइग्रेंट वर्कर के जितने भी बेनिफिट्स हैं, वे बेनिफिट्स वर्कर्स को मिलेंगे। यह ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने इस बिल में प्रावधान करके लाया है। यह बहुत ही बढ़िया है। एक डेटाबेस बनेगा, पूरी इंडिया में कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं? अगर हम सब का रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं यह आग्रह करूँगा कि सब को एक यूनिक नम्बर भी

देना चाहिए। अगर हम सब को एक यूनिक नम्बर देंगे, तो हमको डेटाबेस मिलेगा कि पूरे इंडिया में कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं। उनको हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। यह ऐतिहासिक कदम है।

इसमें एक और बड़ी बात है कि आज जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, अगर वहां पर इंक्वायरी की जाएगी, तो ज्यादातर लोगों के पास अपॉइंटमेंट लैटर नहीं है। अपॉइंटमेंट लैटर नहीं होने के कारण उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। जो-जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वह वर्कर भी साबित नहीं कर सकता है कि मैं यहां पर काम कर रहा हूं। उसी तरह से वहां पर एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज्यादा होता है। यह पहली बार हुआ है, हम लोग मेनडेटरी प्रोविजन यहां पर लाए हैं, जिससे सब को अपॉइंटमेंट लैटर देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लैटर देने से वर्कर्स की जो सोशल सिक्योरिटी है, उनकी वर्किंग कंडीशन है, जो भी राइट्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इतने सालों तक किसी ने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया।

सर, वर्कर का हेल्थ चैक-अप कभी होता ही नहीं है। यहां पर पहली बार प्रोविजन लाया गया है, अब वर्कर का हैल्थ चैक-अप किया जाएगा। एन्युअली हेल्थ चैक-अप एम्प्लॉयर द्वारा किया जाएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे असम में बहुत ज्यादा टी गार्डन्स हैं। टी गार्डन में जो प्रेगनेंट लेडी हुआ करती है, उनका जो एन्टीनेटल चैक-अप होता है, वह एन्टीनेटल चैक-अप कराने नहीं जाती है। वे चेकअप के लिए इसलिए नहीं जाती हैं, क्योंकि उनकी वेज लॉस होती है। वे चेकअप कराने के लिए नहीं जाती हैं। पिछले इतने सालों तक उनका हेल्थ चेकअप नहीं होता था। असम में हम लोग देखते हैं तो वहाँ मैटर्निटी मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई था। वर्ष 2016 में जब हमारी सरकार आई, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में वहाँ पर बोला गया था कि हम टी गार्डन वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे और आज हमारी गवर्नमेंट एक प्रावधान लाई है, वेज काम्पन्सेशन की एक पॉलिसी लाई है। अगर गर्भवती महिला अपने ऐन्टीनेटल चेकअप के लिए जाएगी तो उनको 12

हजार रुपये का एक पैकेज दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। यह प्रावधान हम लाए हैं, लेकिन इतने सालों तक यह प्रावधान नहीं था। पहली बार यह प्रावधान आया है। अगर हेल्थ चेकअप होगा तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और वर्कर्स अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। बहुत सारे वर्कर्स बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन उनका हेल्थ चेकअप करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब यह हेल्थ चेकअप का जो प्रावधान आया है, यह बहुत ही बड़ा प्रावधान है और बहुत ही अच्छा है।

सर, जो फैमिली की परिभाषा थी, जो डिपेन्डेंट की परिभाषा थी, उस परिभाषा को भी हमने एक्सटेंड किया है। हमने उसमें विडो डॉटर को शामिल किया है, विडो सिस्टर को शामिल किया है और हमने उसमें ग्रैन्डपेरेन्ट्स को भी शामिल किया है। यह बहुत बड़ा प्रावधान यहाँ पर बदला गया है। सेफ्टी के लिए सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं। उसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक प्रावधान बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त कर सकती है। हमारे जितने भी लॉ थे, सबमें हमारी एडवाइजरी कमेटी थी, कमेटी के मेंबर्स अलग-अलग रहते थे तो हर कमेटी की मीटिंग नहीं होती थी, लेकिन हम सारे पॉचों एक्ट्स को बदलकर एक कमेटी बना रहे हैं। हम नेशनल और स्टेट लेवल पर occupational safety and health advisory board बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम सबको बेनीफिट दे सकते हैं और उनको सारा कुछ दे सकते हैं।

यहाँ पर इंस्पेक्शन की जो व्यवस्था थी, इंस्पेक्शन को वेब बेस्ड करने का प्रावधान है कि वेब बेस्ड इंस्पेक्शन हो। मैं असम के कंसर्न में एक बात बोलना चाहूँगा कि असम में प्लांटेशन वर्कर्स हैं और वहाँ प्लांटेशन वर्कर्स की स्थिति बहुत खराब है। इतने युग हो गए हैं, 200 साल से वहाँ प्लांटेशन वर्कर्स हैं, ब्रिटिश तो चले गए हैं, लेकिन ब्रिटिश समय के जो प्रोविजन्स हैं, रूल्स हैं, वे ऐसे ही रह गए हैं। स्टेट विद इन दी स्टेट टी एस्टेट बोला जाता है। स्टेट का जो भी कानून होता है, स्टेट के टी गार्डन में उस प्रोविजन को नहीं डाला जाता है, वहाँ पर काम नहीं होता है। इसे कभी भी किसी ने नहीं देखा। आज जो कांग्रेस की पार्टी बोल रही थी, कांग्रेस की सरकार बहुत साल तक असम में थी, स्टेट

में उनकी सरकार थी और उनकी ही ट्रेड यूनियन भी थी, लेकिन आज भी टी गार्डन वर्कर्स की कंडीशन इतनी खराब है। आज भी आप टी गार्डन में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ की पंचायत का जो भी प्रावधान है, उसके अनुसार डेवलपमेंट हम नहीं कर पाएंगे। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना गार्डन के अंदर नहीं होती है। राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना, यहाँ पर हमारे एमपी हैं, वे वहाँ पर पहले पावर मिनिस्टर भी थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे, उनसे पूछिएगा, कभी भी वहाँ पर लाइट का कनेक्शन नहीं गया। क्यों नहीं गया? पंचायती राज में वोट तो उन्होंने डाले हैं, लेकिन उन्हें बेनीफिट क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने वह प्रोविजन देखा ही नहीं।

सर, प्लांटेशन लेबर एक्ट में मिनिमम वेज का ऐसा प्रोविजन था कि जितने भी टी गार्डन के वर्कर्स हैं, सब बोलते हैं कि प्लांटेशन लेबर एक्ट में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। मैं गर्व से बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए एक नया इतिहास है। आज प्लांटेशन लेबर एक्ट में अमेंडमेंट किया जा रहा है। मेरे लिए तो यह गर्व की बात है कि प्लांटेशन लेबर एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है और उसमें मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। यह ऐतिहासिक है। असम के जितने भी हमारे प्लांटेशन वर्कर्स हैं, सभी की तरफ से मैं भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और गंगवार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा।

सर, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि टी गार्डन में अगर कोई एमएलए या एमपी भी चाहे तो वहाँ पर हम एमपी या एमएलए फंड नहीं दे सकते हैं क्योंकि गार्डन मैनेजमेंट का एनओसी चाहिए होता है। हमने क्या प्रावधान किया, पहले उनको मिनिमम वेज दिया जाता है, मिनिमम वेज के लिए प्लांटेशन लेबर एक्ट में लिखा गया है कि उनको बेनीफिट देना चाहिए, सारा कुछ बेनीफिट है, लेकिन जब वेज निगोसिएशन होता है, तो उसे छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर हमने एजुकेशन की सुविधा दी है, उन्हें घर की सुविधा दी है, मिनिमम वेज में उसको काटकर हमने 50 परसेंट कैश और 50 परसेंट में उस प्रावधान को रखा है।

आज टी-गार्डेन वर्कर्स की जो हालत है, यह ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग थे, उनकी सरकार, उनके ट्रेड यूनियन, सभी लोग इम्प्लॉयर के साथ मिल गए और टी-गार्डेन के वर्कर्स की ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन हुई। यह पहली बार है कि इस एक्सप्लॉयटेशन को हमने रोका है। हमने यहां पर प्रावधान डाला है कि अभी हम टी-गार्डेन में, यदि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपैलिटी या पंचायती राज व्यवस्था में वहां पर डेवलपमेंट करना चाहें तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अब हमें एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका प्रावधान है। हमने वेजेज की परिभाषा को बदला है। यहां पर हम 15 प्रतिशत से ज्यादा काइन्ड नहीं दे सकते हैं। इसे 15 प्रतिशत पर ही प्रतिबंधित किया गया है। यह एक बहुत बड़ा प्रावधान है। इन दो प्रावधानों से हम टी-गार्डेन के वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और बेनिफिट्स दे सकते हैं।

सर, मैं इंडस्ट्रियल कोड के ऊपर बोलना चाहूंगा। इंडस्ट्रियल कोड में भी हमने थ्रेशोल्ड बदला है। सुपरवाइजरी वर्कर्स को हम लोग पहले इंडस्ट्रियल कोड में नहीं लेते थे। लेकिन, यहां हमने उनके वेजेज को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने किया है, ताकि उनके भी ग्रीवांसेज ले सकें। हमने ग्रीवांसेज रिड्रेसल कमेटी बनाई है। इसके माध्यम से हम उनके ग्रीवांसेज को रिड्रेस कर पाएंगे। इसमें एक और बड़ी बात है कि वहां जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, उनमें से महिलाएं भी उस ग्रीवांसेज रिड्रेसल कमेटी में होनी चाहिए।

हम लोग फिक्स्ड-टाइम इम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। इसे हम कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से करते हैं। वे लोग परमानेंट वर्कर्स के बराबर और सिमिलर नेचर के काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। लेकिन, इस बिल में यह प्रावधान है कि सिमिलर वर्क के लिए परमानेंट वर्कर्स को जो बेनिफिट्स उपलब्ध हैं, वे सभी बेनिफिट्स उन्हें दिए जाएंगे। यहां तक कि उन्हें ग्रैच्यूटी बेनिफिट्स भी देने का प्रावधान हमने किया है। यह बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है।

सर, जहां तक ट्रिब्यूनल की बात है तो अभी हम लोगों ने ट्रिब्यूनल में दो मेम्बर्स देने के लिए कहा है क्योंकि ट्रिब्यूनल में मेम्बर न होने से हम काम नहीं कर पाते। हमने यहां पर ट्रिब्यूनल के लिए भी काम किया है। अगर कंसीलिएशन फेल हो जाती है और वह आपके पक्ष में नहीं होती है तो आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, इसका प्रावधान भी हमने इसमें किया है।

हमने रिट्रेंचमेंट बेनिफिट के लिए भी इसमें प्रावधान किया है कि हम रिट्रेंचमेंट बेनिफिट दे सकते हैं या अगर राज्य सरकार चाहे तो उसे बढ़ा भी सकती है। यह नई व्यवस्था है।

सर, स्ट्राइक के लिए भी हमने नई व्यवस्था की है। 14 दिनों का नोटिस दिए बिना हम स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे और लॉकआउट भी नहीं कर पाएंगे। यह एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है।

सर, हम यह बोलना चाहेंगे कि इसमें रि-स्किलिंग फण्ड का प्रावधान भी नया प्रावधान है। अगर किसी वर्कर की छँटनी हो जाती है, उसके अंतिम पन्द्रह दिनों के जो वेजेज हैं, उसके बराबर राशि उसे 45 दिनों के अन्दर देने का प्रावधान किया गया है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम लोग इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं।

सर, मैं सामाजिक सुरक्षा की बात करना चाहूंगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए हमने बहुत बड़ा प्रावधान यह किया है। सभी को ई.एस.आई.सी. और ई.पी.एफ.ओ. का कवरेज देने का हमने प्रावधान किया है। यह बहुत ही अच्छा प्रावधान है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ई.एस.आई. कॉरपोरेशन के माध्यम से हम सभी वर्कर्स को हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं और ई.पी.एफ.ओ. के माध्यम से उन्हें हम सामाजिक सुरक्षा दे सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रावधान हम लोग लेकर आए हैं। यह बहुत ही अच्छा है।

सर, अभी एग्रीकल्चरल वर्कर्स के बारे में बोला जा रहा था। एग्रीकल्चरल वर्कर को भी हम इस सामाजिक सुरक्षा के द्वारा, यदि कोई असंगठित क्षेत्र का वर्कर है, तो उसे भी हम किसी एक्ट या किसी पॉलिसी या किसी स्कीम के माध्यम से ई.पी.एफ.ओ. या ई.एस.आई.सी. के बेनिफिट्स दे सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रावधान हम यहां पर लेकर आए हैं।

सर, हम यह भी बोलना चाहेंगे कि हम ग्रैच्यूटी के ऊपर भी एक नया प्रावधान लेकर आए हैं। पहले केवल एल.आई.सी. में ही हम ग्रैच्यूटी फण्ड रख सकते थे, लेकिन आई.आर.डी.ए. एक्ट के थ्रू हम लोग ग्रैच्यूटी फण्ड को दूसरी जगह भी रख सकते हैं।

17.00 hrs

सर, पहले जो फैमिली की परिभाषा थी, उसको भी हमने बदला है। उनके जितने भी डिपेन्डेन्ट्स हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर शामिल किया है। चाहे अनमैरिड डॉटर्स हों, सिस्टर्स हों, उन सबको शामिल किया गया है। हमने जो फैमिली की परिभाषा चेंज की है, उसके माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है।

सर, अब मैं प्लैन्टेशन वर्कर्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ के एक माननीय सांसद जॉन बाला साहब थे, वह हमेशा बोलते थे कि क्या हम ईएसआईसी के बेनिफिट्स प्लैन्टेशन के क्षेत्र में दे सकते हैं? आज एक बहुत बड़ा दिन है, जहाँ पर हम लोगों ने प्लैन्टेशन के क्षेत्र में भी इसका एक्स्टेंशन किया है। हमने नए शेड्यूल में वर्कर्स के लिए भी एक्स्टेंशन किया है। हमने टी वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से बेनिफिट्स दिये हैं।

सर, वहाँ डेढ़ करोड़ वर्कर्स हैं। उनको भी हमने कवरेज में लिया है। आज सोशल सिक्योरिटी को व्यापक बनाया गया है। वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और इसके ऊपर हमने काम

किया है। उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से हम हर वर्कर्स को बेनिफिट दे सकते हैं। हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, उन सभी को हम इसका बेनिफिट दे सकते हैं।

सर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जो सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया है, इसके माध्यम से हर वर्कर्स को बेनिफिट मिलेंगे। हर वर्कर्स सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करेगा। हर वर्कर्स का स्टैण्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आज इंडिया में वर्कर्स का जो माहौल है, हम उसको बदल रहे हैं। सर, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, वर्कर्स के बारे में हम लोगों ने इतनी व्यापक चर्चा करके उनके लिए बदलाव करने का काम किया है। इतने सालों में वर्कर्स के लिए किसी को काम करने के लिए टाइम नहीं मिला। आज उनकी छोटे-छोटे चीजों पर भी डिस्कशन हो रहा है। सारे ट्रेड यूनियन उनके थे, उनकी ही गवर्नमेंट थी, लेकिन कभी भी सिम्प्लिफाई तरीके से वर्कर्स को समझने के लिए एक्ट नहीं बनाया गया। हमने ऐसा एक्ट बनाया था, जो वर्कर्स को समझ में नहीं आता है। उस एक्ट में हमने ऐसा प्रावधान किया, जिसके बारे में वर्कर्स को मालूम नहीं कि कौन-से एक्ट में क्या प्रावधान है, कहाँ पर क्या राइट है। इतिहास में पहली बार ऐसा एक्ट बनने जा रहा है, जब हम चार कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेबर्स के जितने भी राइट्स हैं, उन सभी राइट्स को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हम सब को मिलकर एक नया इंडिया बनाना है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, उसमें नया इंडिया बनाने के लिए वर्कर्स के लिए रिफॉर्म्स लाने बहुत ही जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी और संतोष गंगवार जी ने इसका पहल आज स्टार्ट कर दी है।

सर, मैं आशा करता हूँ कि इस एक्ट के माध्यम से हम जो प्रोविजन ला रहे हैं, वह देश का पूरा माहौल बदल देगा। इससे वर्कर्स के मन में एक नई जागृति आएगी। वर्कर्स की जो स्टैण्डर्ड ऑफ लिविंग होती है, उसमें वर्कर्स भी डिग्निफाइड तरीके से जीना चाहते हैं। वर्कर्स की जो थिंकिंग है, उसको बढ़ाकर हम और आगे ले जाएंगे। वर्कर्स गर्व महसूस करेंगे कि उनके स्टैण्डर्ड ऑफ लिविंग को

हर लेवल पर बढ़ाया गया है। जो महिला वर्कर्स हैं, उनको भी यहाँ इंक्लूड किया गया है। महिला वर्कर्स के लिए जो हर तरफ से प्रतिबंध था, उसको आज दूर किया गया है। हम लोग वर्कर्स को हर तरह के बेनिफिट्स देने के लिए यह प्रावधान लाए हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि हमने जो परिवर्तन की बात की थी, उसके लिए हमने अपने विजन डॉक्यूमेन्ट में बात की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंडिया के वर्कर्स के बारे में एक कमिटमेन्ट की थी। हमारी पार्टी ने बोला था कि इस विजन डॉक्यूमेन्ट को हम लागू करने जा रहे हैं। इस नए रिफॉर्म्स के माध्यम से हम लोग वर्कर्स के स्टैण्डर्ड ऑफ लिविंग और डिग्निटी को बढ़ाने जा रहे हैं।

सर, इस मौके पर मैं सभी वर्कर्स को बधाई देना चाहूँगा। हमारे असम में जो प्लैन्टेशन वर्कर्स हैं, उनकी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज प्लैन्टेशन वर्कर्स एक्ट में भी अमेंडमेंट हो रहा है और उसमें मुझे बोलने के लिए मौका मिल रहा है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion.

These three Codes that have been brought by the Government today to Parliament consolidate 25 Central laws which is an extraordinary event, I believe. I do not believe that an exercise of this nature has been ever attempted in the past because together these Bills have 411 clauses, 13 Schedules and comprises of 350 pages. It is something extraordinary. I am not sure how many hon. Members have, in this short period of time, been able to read them. I am sure, the Minister has had a painstaking job in putting this together. The Standing Committee, under the Chairmanship of my distinguished colleague Shri Bhartruhari Mahtab, has, of course, laboured literally over many months on many of the key provisions of this Bill. The Government says that it has accepted almost 74 per cent of the recommendations of the Standing Committee.

Sir, be that as it may, there are many novel features which I need to flag before this hon. House for discussion as well as for the hon. House to cogitate upon. There are three Codes that are being brought, the first Code, of course, was, in the entire compendium, the Wages Code which was brought in 2019 and we all welcomed it at that point in time. Now, of these three Codes, one is the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020. One of the criticisms that we have seen has been the excessive use of delegated legislation

that unfortunately is running through most of these Codes. This is something that I have personally seen. Shri Ravi Shankar Prasad ji, the hon. Law Minister, will appreciate that sometimes delegated legislation can create all sorts of problems. For instance, the Code does not specify many of the provisions with regard to the earlier Acts, for example, guaranteed access to drinking water, canteen, washrooms etc. These all have been left out now for delegated legislation, to be done by rules. Some minimum corpus of health and safety standards, I think, ought to have been defined in the Code itself and could very easily have been done and I think, might have been salutary.

The other thing is about clause 127 which allows the Central and the State Governments both or either to exempt by notification any establishment from the provisions of this Code. Now, this growth in economic activity cannot obviously provide a *carte blanche* for suspension of basic health and safety standards. This is something that the House must consider carefully whether this should be permitted and allowed in a Code which is now being brought in.

I must straightway tell the House that in the context of the State of Odisha, the Standing Committee, in fact, has commended the many novel initiatives which have been adopted by the Government of Odisha both inside and outside the State for the benefit of occupational safety, health, and working conditions of the inter-State migrant workers during this period. Many people say that there are a

lot of migrant labourers going out of Odisha to work outside and there are not enough employment opportunities in the State of Odisha. That is entirely wrong. My friends who keep saying that must understand that there is an equally large number of people who come from neighbouring States to work in Odisha. India is one country where there is freedom of movement. Everybody, according to their skill set, works in particular conditions in particular industries. So, let us not say that people go out of Odisha because the State of Odisha has not developed enough. But the point is that many welcome initiatives like the *Shramik Sahayata* helpline, Migrant Labour help desk, Seasonal Hostels of Children for migrant workers, and the strengthening of anti-human trafficking unit are all important provisions that we have brought in which can be considered at some point of time because these Codes will, undoubtedly, see many amendments and changes over the years because these cannot be static and nothing is carved on stone. Therefore, I have no doubt about this.

The other thing that we have done in the State of Odisha, which I also need to flag, is that we have also given a couple of suggestions to the Central Government. The `appropriate government' in clause 2 (i) (d) needs to be relooked by the Central Government because the Central Government seems to now want to appropriate everything to itself. You must understand that law and order is a State subject. Therefore, the State Government ought to be the `appropriate government' for the purpose of occupational safety and health in

Central Government factories and other major ports because these are now all being administered by the State Government. So, you cannot have the State Government administering them and the Central Government be the `appropriate government'. This is something that the hon. Minister will probably need to look into.

Sir, one salutary thing that we have done in Odisha, for instance, is about this whole concept of `Inspector Raj'. Clause 2(i)(k) of the Code still talks of `Chief Inspector/Facilitator'. In Odisha we have now called them `Director'.

I think the word `Inspector' has a certain connotation which harks back to some bad times of 60s, 70s or 80s when the people, who are missing here, used to run an *Inspector Raj* in this country. Those days are now gone. Therefore, perhaps the nomenclature needs to change with the times as well.

Section 2(1)(zz) defines the term "worker". You must re-look into this definition of a worker as one who is drawing Rs. 18,000. I think it is too low a threshold. I think MSMEs etc. will really find a very large number of workers who will go out of the pale of the workers. Workers, I think in today's day and age and as per our level of inflation, should not get less than Rs. 30,000. I think Rs. 30,000 should be a basic benchmark for workers today. Basically, it comes to Rs.1200 a day. So, I think this *dihadi* ought to be there. I think the definition of "worker"

needs to be re-looked into. This is such a large Code that one cannot talk of everything. So, I am only talking about very basic things.

The Second Code, of course, is the Code on Social Security. Now, Clause 142 mandates Aadhar verification. This is something that we have all debated again and again. The Supreme Court has said that it can be done by legislation. Now, this again does not do it by legislation necessarily because you have left it to delegated legislation. So, you insist upon Aaadhar by delegated legislation. Please have a look at it because Odisha has set an example again. During the COVID-19 pandemic, we exempted Aadhar verification for obtaining goods under the PDS system because many people did not have it.

The other thing that I need to show is that there is some delegated legislation again on some other issues, but I am not going into that as it is going to take too much time if I look into it. What I would rather flag is that we have a serious problem with Section 100 (2) of this Social Security Code. These Sections 100(2) and 100(3) are something that the Odisha Government and all State Governments will have a serious problem with. One of the criticisms obviously of this legislation is going to be that there is a lot of encroachment upon the powers of the States. The objective of the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act is to augment the resources of the State BoC Boards constituted under the Building and Other Construction Workers Act. Here again,

the Central Government has sought to move in and says, “as may be prescribed by the Central Government”. Section 100(3) says, “or any other authority in such manner as may be prescribed by the Central Government”. I think this encroaches far too deep into the domain of the State Government. These are basic bulwarks of the State Government which the State Government uses for benefic social causes. Therefore, I urge upon the Central Government to re-visit and re-look into this at some point in time.

The last bit is, of course, the Industrial Code. Now, on the Industrial Code, I have a very serious concern. Hon. Law Minister will again bear with me on this. Clause 55(4) on the dispute resolution mechanism allows the appropriate Government, State or Centre, to modify or reject an award issued by the Tribunals in the interest of `public grounds affecting national economy or social justice’. The hon. Minister will recall it since he is a senior counsel of great eminence. There was an identical provision of Section 17A in the Industrial Disputes Act. This was struck down by the Andhra Pradesh High Court earlier. A similar provision was also struck down by the Madras High Court. This is bound to be challenged. You cannot undo a quasi-judicial court’s order by legislation or by executive action. Therefore, I believe that something like Clause 55(4) is not going to stand and if it is challenged, then it is not going to stand the scrutiny of the courts.

Apart from that, there are many other provisions in Industrial Relations Code which have diluted the provisions with regard to trade unions and strikes. One particular thing which leaves me a little concerned is the fact that theoretically this Code leaves open the possibility of an employee who is working on a fixed term contract almost indefinitely. Now, that is something that is not desirable at all and I think it is something that the Government will probably need to re-look into at some point of time.

Clause 40 also allows the employer to change conditions of service related to suspension, misconduct and means of redress without giving any notice to the worker. This again tilts the balance of power towards the employer leaving the employee in a very vulnerable situation.

Clause 9 is for registration of trade unions. The notes on clauses included towards the end of the Bill require the Registrar to decide on the approval/refusal of registration within 45 days. However, the actual text of the clause, Mr. Minister, does not specify this. The notes require the Registrar to give reasons for refusing registration. This is again missing in the actual text. The reasons are only required to be given in the case of cancellation of certificate or registration and not for refusal of registration. That is not a happy situation.

So, we see that many of the essential features of the law, which were there in 2019 - and now, of course, the Minster has withdrawn - are no longer specified

in the Codes and have been delegated to be prescribed by the Government through rules.

My feeling and the feeling of a number of newspapers today is this. Even today morning, many of the editorials feel that many of these important questions should have been hard coded into the Act itself rather than being left to delegated registration. All I can say is that it has been a painstaking exercise like I said in the beginning. It has creases. Something which runs into 350 pages and 411 Clauses is bound to have creases. I am not therefore shying away from the fact that while the Government's intent is good, for going forward, the Government may need to iron out many of these creases. Be that as it may, our Government is duty bound since it is in the interest of the nation. It is in the interest of furthering the business climate and ease of doing business in India. Therefore, our State Government under Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, is happy to support this piece of legislation brought today but many of these issues need to be ironed out.

I would request the Government to kindly look into these matters and, over a period, try and iron out these issues. Thank you very much, hon. Chairman, for being patient.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on these three historic Codes. Myself and my Party, YSR Congress Party, strongly believe that these reforms will certainly transform the way the world looks at various labour issues in India. We are confident that these reforms would further push us upwards in ease of doing business in our country, help in attracting more FDI, and attract companies who want to migrate especially from China.

Sir, codifying 44 labour laws into just four Codes is a Herculean task and I compliment the hon. Labour Minster, Shri Gangwar, for this noteworthy contribution. I also compliment him for accepting as many as 175 recommendations made by the Standing Committee on Labour. The House must be aware that we had already passed one Code on wages and the remaining three are before the House for consideration and approval.

It really pained me that as many as ten labour unions in the country have gone to the ILO complaining against the Government of India. Their main contention is that, without consulting these labour unions, the Government has gone forward in framing these Codes but it is really unfortunate that we ourselves are taking our internal affairs to the international bodies without any rhyme or reason. If I remember correctly, I am saying this since I have been following these Codes since their draft stage. There were as many as nine tripartite

consultations and ten inter-Ministerial consultations on these Codes. Many suggestions came from the public, and others. I would like to express my views on each Code. I will start with the Code on Social Security, 2020.

Sir, we have been waiting since a couple of decades to see this Bill come up. There are nine enactments on social security. A poor labourer does not know to which Act he has to refer. If there is any issue, he has to run from pillar to post to get justice. But now, with all these nine enactments amalgamating in one Code, it becomes easy for each and every worker to refer to one single legislation for all his problems relating to the social security. So, it is really welcome.

Sir, the second point of this Code covers the gig workers and the platform workers. We have so far kept them outside as far as social security is concerned. Many of us are not aware of these gig workers and the platform workers. Clause 2 (35) defines who constitute gig workers. A gig worker is a person who performs work or participates in work arrangements, and earns some money which is outside the conventional employee-employer relationship. There are almost 1.5 million gig workers in the country, working in delivery start-ups or as a driver-partners in Ola, Uber, e-commerce companies, etc.

The other new category of the workforce is the ‘platform workers’ which is defined under Section 2(61). The platform workers are those who are on the online platform to access organisations or individuals to provide specific services.

So, including these two categories, and providing them social security is also welcome.

Here, one of the main problems is registration of workers. There are lakhs of workers who do not know what the benefits are, be it social security or otherwise, given by the Government of India. For example, under Clause 114 of this Bill, there are exclusive schemes for gig workers and platform workers. But unless and until, they get registered, they cannot avail these benefits. So, I suggest for consideration of the hon. Minister to take up the registration of gig workers and platform workers on a mission mode so that we can see all of them covered under the social security benefits.

Sir, we have been talking about unemployment, and how our GDP is getting low. We need to address the problem of unemployment. I would like to give you a fair example of how our Government in Andhra Pradesh is tackling the system of unemployment under the pragmatic leadership of the hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy*ji*. We have created a formula of Village Secretariat and Volunteer System for every 50 households. We have set an all-time record, and generated 4 lakh jobs in a span of four months. This has all happened after his assuming the Chair.

Sir, the next point I wish to make is relating to the constitution of the Board of Trustees of the EPFO. Here, under Clause 4(1)(c), it is said that 15 Members

from the State Governments would be appointed by the Central Government. It means, it is up to the Government of India to appoint whoever it wishes. In such a case, if it happens to be the NDA in power, it will certainly deny representation on the Board for the Opposition Parties, and it will also happen *vice-versa*.…(*Interruptions*) Sir, please give me five more minutes. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, please conclude in two minutes.

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, there are three Bills.…(*Interruptions*) Please give me five minutes. We have been allotted 15 minutes of time, and the Opposition is also not there. We are supporting the Bill, Sir. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please make it quick.

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, I suggest for the consideration of the hon. Minister to appoint 15 Members from the State Governments on rotation basis so that all the States would be given the opportunity. Then, same is the case with Clause 5(1)(d) and Clause 6 (2)(vi). So, I would request the hon. Minister to appoint them on rotation basis.

Sir, I would like to make one more point regarding the superannuated bank employees. If the hon. Minister of Finance is present here, she can understand the context. We have discussed about the retired bank employees earlier also. I would like to know why the updating of the records of bank pensioners has not

been done. Why has the updating of their records not been done? Where will the poor retired bank employees go and how will they go? Have they not strived for the building of our nation? So, I request the Government to look into this matter of superannuated bank employees and quickly update their records.

I now come to the Industrial Relations Code. As I said in my introductory remarks, implementation of labour reforms is the need of the hour in our country. There are as many as 100 labour laws in the country and most of the companies find it impossible to follow this myriad of laws. So, these four Codes would be handy and easy to interpret.

The workers and the unions have been opposing Clause 28 (1) of this Bill which says that any establishment which employs less than 300 workers can hire and fire workers without any permission from the Government. I feel it is too harsh a provision and simply tripling the number from 100 to 300 is not justified. So, I suggest for the consideration of the hon. Minister to withdraw this Clause.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, there is one more Bill. Please give me two minutes more.

I urge the Minister to withdraw this Clause because a company which employs 300 workers is not a small company. So, we also need to look after the

job security of the workers. Earlier, the same provision was removed from the Bill of 2019. But I do not understand why it has been brought back in this particular Bill.

My next point is about the fixed term contract. There is no doubt that the Code provides that the fixed term employee will get all the benefits like that of a permanent worker, such as gratuity and other social security benefits. But the Government is allowing the companies to hire workers for short term instead of appointing them permanently or even on contract basis. What the companies would is, they will hire people only during the season and fire them once the work is over. So, where will they go? The companies mostly prefer to hire majority of their workers on contract basis. Moreover, in a country like India which has a huge labour force, this will only add to the problems of the workers.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, please give me some more time.

HON. CHAIRPERSON: No; please conclude now. It is enough. Please make your points very quickly.

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, when we fall into the same vicious cycle of unemployment, it will certainly lead to lower GDP also.

I would like to give one more example here. Even in Government undertakings like ONGC, employees like Field Operators, Executives, Medics and Paramedics are being appointed only on contract basis. So, I request the Government of India to absorb them permanently in their organisation.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, kindly give me two minutes more. I will make my concluding remarks.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Bharat, please conclude in two sentences now.

SHRI MARGANI BHARAT : Sir, with your permission, I would like to make few points relating to Andhra Pradesh and I would request the hon. Minister to consider all these points and take appropriate action for resolution.

There are only 38 ESI empanelled private hospitals in Andhra Pradesh. More private hospitals are needed to be empanelled. A new ESI Hospital was sanctioned for Kakinada, Rajahmundry, Guntur, Nellore, Visakhapatnam and Vizianagaram. I would request the hon. Minister to kindly share the present status of these hospitals which are to be started.

HON. CHAIRPERSON: Okay. Thank you.

Shri Virendra Kumar will speak now.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा सहिंता, 2020 विधेयकों पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जाहिर है कि यह बहुत रोचक है, क्योंकि हिन्दुस्तान की आजादी के 73 सालों में कभी भी इस प्रकार का ठोस, रचनात्मक और व्यावहारिक कदम उठाने का पूर्व की सरकारों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया, जो उनकी कार्यशैली और संवेदनशीलता को परिलक्षित करता है। वहीं दूसरी ओर यह अत्यन्त क्रांतिकारी कदम है। यह भारत के असंख्य मजदूरों, कर्मकारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले करोड़ों लोगों के जीवन में मूलभूत तथा दूरगामी सुधार लाएगा। इस कदम को हिन्दुस्तान के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की परिकल्पना और हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के साहस का मूर्त स्वरूप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात इन पक्तियों के साथ प्रारम्भ करना चाहता हूं। हमारे सामने वाले मित्र चले गए हैं। "पहले वे आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वे आप पर हसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे" सभापति महोदय, यह पंक्तियां किसी और की नहीं हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हैं। आज के संदर्भ में महात्मा गांधी जी की पंक्तियां किस प्रकार सार्थक हैं और कितनी सार्थक हैं, उसका विश्लेषण मैं अपने भाषण में करूंगा।

सभापति महोदय, वर्तमान में हिन्दुस्तान की आबादी करीबन 134 करोड़ के आस-पास है। इतनी बड़ी आबादी में बहुत बड़ा प्रतिशत मजदूरों, कर्मकारों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले लोगों का है। इन सभी की वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्यदशा इत्यादि को

संचालित करने के लिए देश के आजाद होने के तत्काल बाद से प्रयास किए गए। इस दिशा में कारखाना अधिनिमय एक सर्वोत्तम प्रयास था। जिसे वर्ष 1948 में इसी संसद द्वारा बनाया गया। उसके पश्चात वर्ष 2013 तक यानी कि हिन्दुस्तान में मोदी सरकार के बनने के ठीक पहले तक देश के पास 29 केन्द्रीय श्रम अधिनियम थे। यह रोचक बात है कि इन 29 केन्द्रीय श्रम अधिनियमों में से आधे से अधिक 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं और कुछ तो 70 वर्ष पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ने इन्हें बदलने का प्रयास नहीं किया, परन्तु वास्तविकता यह है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने समय-समय पर इनमें परिवर्तन तो किए, लेकिन ये परिवर्तन किस प्रकार के थे, मैं बताना चाहता हूं। मैं एक सामान्य मजदूर परिवार से आया हूँ। मेरी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी तो मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। इनके द्वारा जो प्रयास किए गए, वे ऐसे किए गए कि कभी साइकिल का पहिया बदल दिया, कभी उसका हैंडल बदल दिया, कभी उसका ब्रेक बदल दिया तो कभी उसका टायर बदल दिया। एक समय ऐसा भी आया कि न तो वह साइकिल रही और न ही मोटरसाइकिल बन पाई। ऐसी दशा हमारे सभी केन्द्रीय श्रम अधिनियमों की हुई। विगत वर्षों में इन केन्द्रीय श्रम अधिनियमों में इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाई गईं कि ये न तो कर्मकारों को कोई अल्पकालिक या दूरगामी लाभ पहुँचा सकें और न ही नियोक्ताओं को कोई प्रेरणा दे पाएँ। हम हिन्दुस्तान में काम करने से अपने साथ देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। इन श्रम अधिनियमों से देश में लिटिगेशन यानी विवादों की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली, जिससे किसी को लाभ नहीं हो पाया बल्कि इससे सभी वर्गों को हानि उठानी पड़ी।

सभापति महोदय, इन केन्द्रीय श्रम अधिनियमों में समय के साथ मूलभूत परिवर्तन न करने की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण देश को अभूतपूर्व क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि कई केन्द्रीय श्रम अधिनियम तो आपस में इतने विरोधाभासी हो गए थे कि इन विरोधाभासों के कारण जहां एक ओर कर्मकारों में काफी असंतोष था, वहीं नियोक्ताओं में भी काफी निराशा थी। ऐसी दशा में देश के यशस्वी

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम की नींव रखी और इस दिशा में कार्य करना प्रारम्भ किया। इन परस्पर विरोधाभासी 29 केन्द्रीय श्रम अधिनियमों पर समग्र रूप से विस्तृत अध्ययन किया जाए और एक आसान तरीके से समन्वय स्थापित करके केवल चार संहिताओं में समावेश किया जाए, जो सर्वव्यापी हो।

सभापति महोदय, जब सरकार की यह मंशा मीडिया के माध्यम से परिलक्षित हुई तो ठीक उसी समय से हमारे उस ओर सामने बैठने वाले मित्र एक्टिव हो गए और उनके द्वारा हमारे ऊपर तरह तरह से उपहास किए गए, हँसी उड़ाई गई, इसके पश्चात हमारे मित्र लड़ने की मुद्रा में आ गए और कहने लगे कि हमारी सरकार कर्मकारों के हितों को ध्यान में न रखकर नियोक्ताओं के हितों को संरक्षित कर रही है।

सभापति महोदय, इन सभी घटनाक्रमों को एक क्रमवार रूप में देखकर ही मैंने अपने भाषण के प्रारम्भ में महात्मा गांधी जी की उन पंक्तियों को उद्धृत किया था कि "वे पहले आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वे आप पर हँसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और जब ये संहिताएं मूर्त रूप लेने जा रही हैं तो इस पंक्ति के तीन शब्द भी सत्य प्रतीत होते हैं कि आप जीत जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन संहिताओं से संबंधित कानून बनने से हम नहीं जीतेंगे, बल्कि हमारा देश जीतेगा, हमारे मजदूर भाई जीतेंगे और हमारा नियोक्ता वर्ग जीतेगा।

सभापति महोदय, समय के साथ हमारी यह उड़ान किसी भी दशा में नीचे गिरने के भय से ग्रसित नहीं थी। मुझे ये पंक्तियां याद आ रही हैं:

"परिन्दों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की,
वे खुद ही तय करते हैं मंज़िल आसमानों की ।

रखता है जो हौसला आसमां को छूने का,

नहीं होती है परवाह उसे गिर जाने की ।"

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, आज के विषय के तीनों श्रम कानूनों – उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और औद्योगिक संबंध संहिता की कुछ मूलभूत विशेषताओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस संहिता में 13 महत्वपूर्ण अधिनियमों, जिनमें कारखाने, खान, यार्ड, कर्मकार, भवनों एवं सन्निर्माण कर्मकार, बागान श्रम, ठेका श्रम, प्रवासी कर्मकार, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी, मोटर परिवहन कर्मकार, विक्रय संवर्धन कर्मचारी, बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी, सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकारों से संबंधित 13 अधिनियमों की आवश्यक विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। अभी तक की व्यवस्था में एक प्रतिष्ठान को कई तरह का पंजीकरण कराना पड़ता था, जिससे कई व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न होती थीं और विदेशी निवेशकर्ता भी अपनी पूंजी हमारे देश में लगाने से पहले 100 बार सोचते थे। अब चूंकि केवल एक पंजीकरण से काम पूरा हो जाएगा, अत: देश में न केवल पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हमारे प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी का भारत को पांच ट्रिलियन इकोनोमी बनाने का सपना भी जल्द पूरा होगा।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को भी इसमें शामिल करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा में संशोधन का जो प्रस्ताव लाया गया है, वह वास्तव में बहुत स्वागतयोग्य है और श्रमजीवी पत्रकार वर्ग के क्षेत्र में इसकी भूरि-भूरि सराहना हो रही है। जो परिवार की परिभाषा है, उसमें कामगार के आश्रित दादा-दादी को शामिल किया गया है। कई बार किसी कर्मकार के माता-पिता का निधन हो जाता है, लेकिन उसके दादा-दादी, नाना-नानी उसके ऊपर निर्भर होते हैं। इसलिए इसमें दादा-दादी और नाना-नानी को भी शामिल करने के लिए परिवार की परिभाषा में न्यायपूर्ण विस्तार किया गया है। विडो बहन और विडो पुत्री को भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे बागान अधिनियम

के अंतर्गत कामगारों की मृत्यु के मामले में प्रतिपूर्ति जैसे कल्याण लाभ प्राप्त होंगे। नियोक्ताओं के द्वारा नियत जांचों के लिए जो निर्धारित आयु है, उस निर्धारित आयु से अधिक आयु वाले कर्मचारियों की भी नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच करायी जानी है, जिससे स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु कर्मकारों में मनोबल बढ़ेगा। कम से कम दस कर्मचारियों वाली कंपनी, फैक्टरी या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अपने प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया गया है। बगैर नियुक्ति पत्र दिए, वे अपने कर्मचारी से काम नहीं ले सकेंगे। इससे कर्मचारी भविष्य निधि व राज्य जीवन बीमा निगम को बढ़ावा मिलेगा।

सिने कामगारों की परिभाषा में संशोधन कर इसे और व्यापक बनाया गया है, जिससे टेलीफिल्म, दूरदर्शन इत्यादि पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के कामगारों को भी इसमें शामिल किया गया है। यदि किसी उपक्रम में दुर्घटनावश कोई कर्मकार जख्मी हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो न्यायालय द्वारा नियोक्ता पर जो दण्ड लगाया जाएगा, उसका 50 प्रतिशत भाग दुर्घटना के शिकार व्यक्ति या उसके आश्रितों को दिया जा सकेगा। महिला कर्मकारों को पहली बार शाम 7 बजे के बाद तथा प्रात: 6 बजे से पहले के अंतराल में किसी प्रतिष्ठान में काम करने की इजाजत दी गई। इससे अब सही मायने में महिलाओं और पुरुषों में बराबरी के सिद्धान्त को देखा जा सकेगा।

मानव संसाधनों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के लिए केवल एक लाइसेंस होगा, जो अखिल भारतीय होगा, यानी पूरे देश में काम करने की सुविधा देगा। ऐसी व्यवस्था इसमें की जा रही है। इसका लाभ यह होगा कि प्रत्येक बात पर सरकारी मशीनरी का हस्तक्षेप कम होगा, साथ ही भ्रष्टाचार में कमी आएगी और कागजी काम भी कम होगा। जुर्माने की राशियों को भी प्रभावी रूप से बढ़ाया गया है, ताकि नियमों का पालन यथोचित प्रकार से सभी नियोक्ताओं द्वारा किया जाए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसपेक्टर राज को प्रभावी रूप से कम करने के लिए भी इस संहिता में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अब इंसपेक्टर के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है। संहिता में इंसपेक्टर-कम-

फेसिलिटेटर का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि एनडीए की सरकार इंसपेक्टर राज को समाप्त कर फेसिलिटेटर की भूमिका बढ़ाना चाहती है, जो व्यापार और उद्योग की उन्नति के लिए आवश्यक है। मजदूर इंसपेक्टर के बारे में सोचता है कि यह नियोक्ता का व्यक्ति है और नियोक्ता यह सोचता है कि यह शासकीय व्यक्ति न जाने हमारे लिए कौन सी परेशानी खड़ी कर देगा। इस तरह से एनडीए सरकार ने जो इंसपेक्टर-कम-फेसिलिटेटर का प्रावधान किया है, वह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता वास्तव में सामाजिक सुरक्षा संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि, केन्द्रीय राज्य बीमा निगम, प्रसूति प्रसुविधा, कर्मचारियों के लिए प्रतिकार भवनों एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर, असंगठित कर्मकारों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा आदि विषयों को इस प्रकार परिभाषित करती है, जो समय के अनुरूप है और आने वाले समय में भारत के निर्माण में एक सक्रिय भूमिका निभाएगी।

इसी प्रकार औद्योगिक संबंध संहिता मूलत: विवादों की मध्यस्थता के लिए प्रावधान, औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए सशक्त तंत्र, हड़ताल, छटनी और बंदी के कुशल प्रावधान, जिससे किसी भी पक्ष को कोई असुविधा न हो तथा अनुचित संप्रवाह जैसे नियमों को अपने में समाहित किए हुए है। देश में पहली बार दो दर्जन से अधिक श्रम संबंधित कानूनों को केवल चार कानूनों में समाहित करने का क्रांतिकारी और साहसपूर्ण निर्णय हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लिया है। वर्तमान में 13 अधिनियमों में से सात अधिनियमों के अंतर्गत अलग-अलग विवरणी फाइल की जाती है, जिसके अंतर्गत एक विवरणी प्रस्तावित है, जिससे रजिस्टरों की संख्या न्यूनतम हो जाएगी और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। नि:संदेह इससे हमारे मित्रों को कुछ नज़र आ सकती हैं, लेकिन जब इन कानूनों को क्रियांवित किया जाएगा और इनका सतत रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, तो मेरा विश्वास है कि जो भी कमियां होंगी, जो क्रियान्वित करते समय पाई जाएंगी, उन

पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी ताकि हमारे मजदूर और कामगार भाइयों और बहनों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पडे और किसी के द्वारा इनका शोषण न हो सके चाहे वे नियोक्ता वर्ग के हों या सरकारी विभाग के हों।

महोदय, मैंने देखा कि ठेका श्रमिकों के खाते में तो सीधे पैसा डाला जाता है, लेकिन बैंक के बाहर उस ठेकेदार का एक व्यक्ति खड़ा रहता है, जो बैंक से पैसा निकालते ही मजदूर से पैसा ले लेता है। इन प्रावधानों में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि ठेकेदार इस प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं कर सकेंगे और समय पर पूरा पैसा कर्मकार को देना होगा। यदि किसी प्रकार की लापरवाही होती है, तो प्रिंसीपल एम्प्लायर की जिम्मेदारी होगी कि उस कर्मकार को पूरा पैसा मिले और ठेकेदार की निधियों में से वह पैसा काटा जाए। ऐसे स्थानों पर काम करने वाले हमारे जो कर्मकार हैं, उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। खानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो जमीन के नीचे काम करते हैं, उनके काम करने के निर्धारित घंटों की जो पारी होती है, उससे ज्यादा उनसे काम न लिया जाए। जो विशेष अधिकारी हैं, वे किसी भी समय खान में जाकर निरीक्षण कर सकेगा और वहां के टेम्प्रेचर को भी माप सकेगा। फरीदाबाद का कांच उद्योग, मिर्जापुर का कालीन उद्योग, शिवाकाशी का पटाखा उद्योग, स्लेट और पैंसिल उद्योग, ये सारे ऐसे उद्योग हैं, जिनमें मजदूरों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है और इन बिलों में ऐसे सभी क्षेत्रों को चिन्हित करके मजदूरों की सुरक्षा के सारे प्रबंध किए जा रहे हैं।

महोदय, मैं अंत में इस भावना के साथ कि हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे श्रम मंत्री सम्माननीय संतोष गंगवार जी द्वारा यह जो बिल लाए गए हैं, ये बिल आने वाले समय में मजदूरों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को एक लाइन

समर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा – 'ये कौन आ रहा, उजाला छा रहा, ये कौन मजदूरों के हितों में नए-नए बिलों को ला रहा।' बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): महोदय, आपने मुझे उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की भावना के साथ समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार आज जो तीन संहिता लाई है, इनके माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थल की स्थितियों से संबंधित व्यवस्थाओं को कई गुणा बेहतर बनाने का काम किया गया है। मैं इन तीनों संहिताओं का समर्थन करता हूं।

महोदय, इन संहिताओं के माध्यम से 13 मत्वपूर्ण केंद्रीय श्रम कानूनों की व्यवस्थाओं को एक साथ मिलाकर सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है। सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और कार्यस्थलों में कामकाज की बेहतर स्थितियां श्रमिकों के कल्याण के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देश स्वस्थ कार्यबल से ज्यादा उत्पादक होगा और कार्य स्थलों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जो कर्मचारियों के साथ नियोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद रहेगा।

महोदय, मैं इस संहिता के कुछ प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मजदूरों की सुविधा के लिए सप्ताहिक और अन्य अवकाश भी उन्हें मिलेंगे। इसमें अतिरिक्त काल के लिए अतिरिक्त मजदूरी, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा मजदूरी देने का प्रावधान है। कारखानों और खानों में दोहरे नियोजन का निबंधन होगा। मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टियों का भी प्रावधान है। बचाव सेवाओं

और व्यावसायिक परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इस संहिता में श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों की तरह ही सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ दिया जाएगा। दो सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने तथा आंशिक मामलों को सरकारी अधिकारियों के अधिकार में लाने से मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा।

महोदय, इस संहिता से अद्भूत ऐसे विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देने हेतु राज्यस्तर पर राज्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। सुरक्षा समिति के गठन का भी इस संहिता में प्रावधान है। महिला कर्मचारियों की सुविधा का भी प्रावधान है। औद्योगिक संबंध संहिता के लागू होने से नियोजक और कामगार (एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी) के बीच सौहार्द्र और अच्छे संबंध सुनिश्चित करने के उपाय बढ़ाने और ऐसे मामले, जिनमें उनका सामान्य हित है, टीका-टिप्पणी करने और ऐसे मामले के बाबत किसी भी तात्विक मतभेद का समाधान करने का प्रयास होगा। इस संहिता की सबसे बड़ी विशेषता है।

शिकायत प्रतितोष (ग्रीवांस रेड्रेसल) समिति नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधत्वि करने वाले सदस्यों की समान संख्या में चुने हुए सदस्यों से मिल कर बनेगी। किसी औद्योगिक संस्थान में जिसमें कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ औद्योगिक स्थापन के नियोजन के साथ ऐसे विषयों को चिह्नित किए जाएं, उनसे बातचीत करने के लिए यथा स्थिति वार्ताकारी या वार्ताकारी परिषद होगी। इससे कर्मचारियों की शिकायतें जल्दी खत्म होगी और यह इस संहिता की सबसे बड़ी विशेषता है।

संगठित या असंगठित या किसी अन्य सेक्टर में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए उससे संबंधित विषयों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 लाया गया है, जो सभी श्रमिकों के हित में है और इनसे श्रमिक खुशहाल होंगे। ये तीनों महत्वपूर्ण संहिताएं लागू हो जाने से श्रमिक खुशहाल रहेंगे, औद्योगिक संबंध मधुर रहेंगे तथा उत्पादन में वृद्धि होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ तीनों संहिताओं का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिलीप घोष (मेदिनीपुर): माननीय सभापति महोदय, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वह इंडस्ट्रीयल रिलेशन कोड, 2020 है, जिस पर मैं दो-चार बातें बोलने वाला हूं।

अंग्रेजों ने पहला श्रम कानून वर्ष 1926 में बनाया था। लगभग सौ वर्ष होने जा रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी, उद्योग उन्नत हुए हैं, आगे बढ़े हैं। हम भी आगे बढ़े हैं, लेकिन कानून वहीं का वहीं रह गया है। वर्ष 2002 में श्रम से संबंधित जो कमीशन था, उसने भी अपनी रिपोर्ट में आग्रह किया था कि बहुत-से श्रम कानून हैं, उनका सरलीकरण होना चाहिए, इनका संस्कार होना चाहिए। वह काम इतने वर्षों के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार और हमारे माननीय मंत्री श्री गंगवार जी हिम्मत के साथ कर रहे हैं। इसलिए उनको साधुवाद है।

देश में जो उद्योग हैं, उनको सुरक्षित रखते हुए, उद्योगपतियों के हित को सुरक्षित रखते हुए श्रमिकों के हित को सुरक्षित रखते हुए, देश के विकास को आगे बढ़ाते हुए, इस कानून को सरकार ने आज के युगानुकूल करने का प्रयास किया है। सच में यह सराहनीय है।

हम बंगाल से आते हैं। आपको भी मालूम होगा कि बंगाल की भूमि हमेशा श्रमिक आन्दोलन की रही है। पिछले 50 साल से बंगाल में तरह-तरह के आन्दोलन देखने को मिले हैं और वहाँ के नेताओं ने देश भर में ट्रेड यूनियन भी चलाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसमें न श्रमिक को, न उद्योगपतियों को, न उद्योग को, न देश को, किसी को लाभ नहीं हुआ है, केवल नेताओं का लाभ हुआ है। इसलिए उसका यह परिणाम है कि जो बंगाल कभी देश के उद्योगों में 24 परसेंट अपना योगदान करता था, आज उसका आधा भी नहीं कर पाता है। उद्योगों की इतनी दयनीय हालत है। बंगाल के

उत्तर में चाय उद्योग, दक्षिण में जूट उद्योग तथा नीचे यानी बॉर्डर के इलाके में कोयले की इंडस्ट्री है। इन तीनों उद्योगों में जो भी श्रमिक काम करते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। इन तीन उद्योगों की हालत भी खराब है और उनके कर्मचारियों की हालत उससे भी ज्यादा खराब है।

इन तीनों उद्योगों की भी हालत खराब है और उनके कर्मचारियों की हालत उससे भी खराब है। चाय उद्योग के साथ जुड़े हुए लाखों कर्मचारी दयनीय स्थिति में हैं, लगभग 100 चाय बागान बंद हैं और उनकी जो जमीन है, वह खाली पड़ी हुई है। ब्रिटिश, जो कभी मध्य प्रदेश और बिहार से इन श्रमिकों को चाय उद्योग में लगाने के लिए लाए थे, उन बेचारों के पास आज एक इंच भी जमीन नहीं है। न तो जमीन है, न तनख्वाह ठीक से मिलती है, न राशन मिलता है और न मिनिमम वेजेज़ मिलती हैं।

महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि आज की राज्य सरकार इनको ये सब चीज़ें मुहैया कराने के बजाए इनके बागान की जो जमीन है, उसको 20 परसेंट रियल-इस्टेट डेवलपमेंट, पेट्रोल पंप आदि के रूप में लोगों को कमाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन एक इंच जमीन भी श्रमिकों के लिए नहीं है। इसलिए, केन्द्र सरकार की योजनाओं की सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती हैं, आवास योजना की सुविधा भी उनको नहीं मिलती है। यह बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है।

महोदय, चटकल में जो श्रमिक हैं, उनके साथ भी यही होता है। उन्हें भी मिनिमम वेजेज़ नहीं मिलती हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियों में वे जीते हैं। यह भयंकर परिस्थिति है। पहले एक समय था, जब पूरे देश से लोग बंगाल में काम करने के लिए आते थे। आज लोग वहां नहीं आते हैं। आज हमारे बंगाल के नौजवान माइग्रेंट लेबर्स बनकर पश्चिम भारत में काम करने के लिए जाते हैं। इनके बारे में बहुत चर्चा होती है। इस कानून में भी माइग्रेंट लेबर्स का प्रावधान है। इनके स्किल डेवलपमेंट और भविष्य को सुधारने के लिए इस बिल में व्यवस्था की गई है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के बार-बार आग्रह करने के बाद भी कई उद्योगों ने श्रमिकों की छंटनी की है। लॉकडाउन के समय में अगर किसी का काम चला जाए तो उसे दोबारा काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए, इस बिल में प्रावधान रखा गया है कि जिसको निकाला जाएगा, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए कम से कम पिछले 15 दिनों की तनख्वाह उसे दी जाए। 45 दिनों के अंदर उसका स्किल डेवलपमेंट हो, सरकार का इसमें योगदान रहेगा।

महोदय, हमारे यहां एक से एक ट्रेड-यूनियन्स चलती हैं। कोई भी ट्रेड-यूनियन रजिस्ट्री कर के किसी भी पार्टी के झंडे के नीचे खड़ी हो जाती है और आंदोलन कर के, मालिक के साथ तालमेल कर के श्रमिकों का शोषण करती है। ये बोलने में ट्रेड यूनियन्स हैं, लेकिन वहां यूनियन्स नहीं हैं, केवल ट्रेड ही बचा हुआ है। जो ओरिजनल ट्रेड है, उसकी हालत भी खराब है। मालिकों के पास भी एक रास्ता रहता था, वे चाहते थे तो यूनियन वालों को बुलाकर नेता के साथ एग्रीमेंट कर लेते थे और श्रमिकों के हितों की अनदेखी करते हुए अपना धंधा चलाते थे। इसमें भी जरूर बदलाव आएगा। यह ऐसा कानून है, जिसमें सबको डिसिप्लिन में रहकर अपना उद्योग चलाना होगा, श्रमिकों को भी डिसिप्लिन में रहकर उद्योग में अपना योगदान देना होगा। इससे सार्वजनिक रूप से देश का विकास हो, इसकी व्यवस्था रहेगी।

मैंने कई बार देखा है। सुबह श्रमिक जाकर देखता था कि फैक्ट्री का गेट बंद है, उस पर ताला लटका हुआ है, लॉक-आउट हो गया है। वह बेचारा रास्ते पर आ जाता था। इसी प्रकार ठीक उल्टा भी होता था। कोई अच्छी चलने वाली कंपनी, कोई बिज़ेनस या फैक्ट्री के श्रमिक किसी के बहकावे में आकर हड़ताल कर देते थे। इससे अच्छी चलने वाली फैक्ट्रीज़ बंद हो जाती थीं, कच्चा माल खराब हो जाता था। इससे मालिक को नुकसान का सामना करना पड़ता था।

आज सरकार के इस कानून सुधार के कारण कम से कम 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। चाहे श्रमिक हो या मालिक हो, बिना नोटिस के कोई फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता, किसी श्रमिक की छंटनी भी नहीं कर सकता और कोई काम भी नहीं बंद कर सकता। मुझे लगता है कि यह जो ऐतिहासिक कानून है, ऐतिहासिक कदम है। इसके कारण आगे चलकर हमारा उद्योग सुधरेगा, मजबूत होगा, श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित होगा और देश की जो तेजी से तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, वह भी बरकरार रहेगा।

महोदय, इस बिल में छोटे-बड़े, सब उद्योगों में श्रमिकों का ख्याल रखा गया है। इससे जब चाहे श्रमिकों को निकाल देना मालिक के लिए संभव नहीं होगा। आज हमारे यहां ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का सिस्टम चलता है। कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करती है, लेकिन जो श्रमिक वहां काम करते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि वे किस कंपनी में काम करते हैं, कौन उस कंपनी का मालिक है, वे किसके पास जाएं। मुझे लगता है कि इन सब विषयों, इन सारी चीज़ों पर भी अंकुश लगेगा। एग्रीमेंट के समय एक-एक फैक्ट्री में, एक-एक पार्टी की दो-तीन यूनियन्स होती हैं। सब लोग श्रमिक हित की बात कर के, झंडा उठाकर आंदोलन करते हैं, अपनी जेब भरते हैं। इस प्रकार के कामों पर भी अंकुश लगेगा। 51 परसेंट श्रमिक जिसके पास होंगे, उसके साथ बैठकर एग्रीमेंट करेगी।

अगर एक कंपनी का एक श्रमिक यूनियन में नहीं हो तो कम से कम 20 परसेंट श्रमिक हो, इस प्रकार यूनियन के साथ बैठकर अरेंजमेंट करेगी। इसलिए, यह समय उपयोगी कानून है, सबके हित, देश के हित के लिए कानून में सुधार है। मुझे लगता है कि इसलिए सरकार ने यह पटाक्षेप उठाया है। विशेषकर, इससे श्रमिक कानून में स्वच्छता आएगी और संपूर्ण देश, श्रमिक, उद्योग और उद्योगपतियों के हित सुरक्षित रहेंगे। जैसे श्रमिकों की बिना नोटिस दिए छंटाई होती है, वैसे उनकी छंटाई भी नहीं

होगी, उनकी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर रहेगी। श्रमिक भी मनचाहा आंदोलन कर के उद्योग को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी अंकुश रहेगा।

श्रमिक यूनियन में जो भ्रष्टाचार होता था, नेता श्रमिकों को भड़काकर अपने हित मजबूत करते थे, इस प्रकार की परिस्थितियों की मनमानी नहीं चलेगी। श्रमिक यूनियन में स्वच्छता आएगी, उद्योगपति भी स्वच्छता के साथ काम करेंगे और श्रमिक का हित भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए, यह जो संशोधन आया है, इसके लिए माननीय उद्योग मंत्री, माननीय प्रधान मंत्री और एनडीए सरकार को मेरी तरफ से साधुवाद।

सभापति जी, मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपका धन्यवाद।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir. In addition to being a Member of this august House, I am also the Vice Chairman of the Amara Raja Group. We manufacture the Amaron brand of automotive and industrial batteries. We have been in the business for 30 years now. All our factories are in Chittoor district of Andhra Pradesh, where we employ more than 16,000 people, all in non-migratory jobs. Ninety percent are from the local district and eighty percent are in the first job in the history of their families. These are my credentials to be speaking on this subject.

HON. CHAIRPERSON: Your credentials are already very rich.

SHRI JAYADEV GALLA: Thank you, Sir.

Since we are combining three Bills - which are all very important - together, I request that I may be provided some extra time so that I can get all the points across to the Minister.

There is no doubt that this is a humongous exercise because it is not a child's play to bring nearly 45 enactments together and guide more than a hundred other enactments being implemented by various States. So, without any hesitation, I compliment the hon. Labour Minister, Shri Santosh Gangwar for his stupendous work on these Codes.

Sir, I start with the Social Security Code relating to the methodology of computation of PF and insurance contribution under clause 78. I suggest that these should be calculated on basic wages and not include commission or performance-based bonus, business expenses, leave encashment, etc. So, they may be removed from the definition of 'wages'. It will help employees in taking more salary home.

In Clause 2 (88), definition of 'wages' is inconsistent compared to our present definition of 'wages' under labour laws. This may lead to further liability to employers when calculated under different benefits. For example, definition of 'wages' under gratuity has been widened and has increased the gratuity liability of employers. In Clause 45, which is about unorganized workers, the Bill allows schemes for unorganized workers to be additionally funded by the Corporate Social Responsibility Fund defined under the Companies Act, 2013. However, this does not include provision on overriding effect of more beneficial welfare schemes already passed by different States. So, this could kindly be looked into.

Under Clause 142, which is in terms of the application of Aadhaar, the Code is making Aadhaar mandatory to receive benefits. My question is, is it not a violation to the prevailing Supreme Court judgement? The Code is also silent on international workers. There is no definition on 'international workers'. The

employers who engage international workers do not know how to calculate PF contributions etc. There is clarification needed on this also.

Now, I come to the Industrial Relations Code. I welcome the proposal of a pre-defined fixed term employment under Clause 2 (O). The concept of this is based on the need for industry to hire for projects or seasonal requirements like road, infrastructure projects, and international orders. Presently, what the companies are doing in this, they hire a contractor and the contractor in turn engages the workers. But the point is whatever the company pays to the contractor in the name of a worker, is not reaching the worker due to which workers lose out on the money entitled to them. They are also denied social security benefits. So, the fixed-term employment would address this problem. While we welcome fixed-term employment, we also foresee a danger of companies avoiding permanent employment. So, it is good to add a minimum and maximum tenure for fixed-term employment.

Sir, Clause 83 of the Bill deals with the re-skilling fund. It is a new provision in the Code and I welcome this. The Code says that the re-skilling fund needs to be created by the Government and the employer will pay 15 days of wages to the fund within 45 days of retrenchment. But I submit for consideration of the hon. Minister to exempt such establishments which are on the verge of lay off on closure. Otherwise, this would be an additional burden on them.

Secondly, we have a huge Ministry of Skill Development. The Ministry should also make its contribution financially and otherwise to make this rescaling a success.

18.00 hrs

Clause 2(2f) says that concerted casual leave on a given day for 50 per cent or more workmen would be treated as strike. This is welcome and, in many ways, prevents unnecessary industrial unrest. We also need to be cautious that we do not infringe on the rights of the workers.

By way of clause 44(2), the Code introduces industrial tribunal consisting of two persons – one from judicial and the other from administration – instead of one person in the earlier Industrial Disputes Act, 1947. Though this is a good move, it would be prudent to make the number of members in the tribunal at an odd figure instead of an even one so as to settle the case if there was difference of opinion between the members.

With clause 62(1), the Code introduces 14-day notice to be given for strike which is good as it gives time for discussion and dialogue. This should be uniformly applied for all sectors.

Clause 2(zc) of the Code drops the termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health from inclusion of retrenchment.

Retrenchment arises out of business continuity challenges and hence, should be applied evenly to all as required, with no exceptions as the prevailing Industrial Disputes Act.

Clause 53(1) of the Code provides that the conciliation officer shall not hold any such proceedings relating to the industrial dispute after three years from the date on which the industrial dispute arose. We appeal that the time given is too long and should be reduced to six months. As part of ease of doing business, should we not have done away with this provision under the IR Code? This is my question. Under clause 30, the Bill proposes certification as necessary even if the standing orders of an establishment are in line with the model standing orders. If the establishment is pleased to conform with the model standing orders, there should be no certification process and the model should be made applicable automatically.

Now, I come to the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. The first point I wish to make is relating to the provisions on welfare, such as canteen, rest rooms and appointing a welfare officer. The proposed Code reduces the manpower applicability when compared to the Factories Act. They have brought it down to 100 workers against 250 as per Factories Act for the canteen workers; 50 against 150 for rest rooms; and 250 against 500 for appointing a welfare officer. I would suggest for the consideration of the hon.

Minister to retain the provisions as mentioned in the existing Factories Act. Otherwise, this would impact the MSMEs the most. This will be an additional burden when they are already suffering. This will be an additional burden on the MSMEs in the condition they are today. So, he could think of exempting the MSMEs.

Clause 27 of the Code deals with extra wages for overtime, and calculation of overtime is mandated on a daily basis or weekly basis. My second point is about the written consent for overtime. It is very difficult to calculate overtime on a daily or weekly basis. There is a wastage of valuable time. So, I suggest that this could be made monthly and also paid out monthly. I would also submit that getting the written consent every time is also very difficult. The consent of the worker can be taken at the time of appointment itself. If he does not want to work overtime, he need not give his consent. Further, the workers can also be provided the right to exercise inability in any given time during the employment for genuine reasons.

Clause 87, which talks about penalties, prosecution of employers should be removed from the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. Penal fines should be a sufficient deterrent. Prosecution, however, can be considered in the worst cases where there has been a fatal accident or if the employee is adversely hurt due to negligence of the employer.

Sir, these are some of the submissions that I wish to make for the consideration of the hon. Minister. I expect him to please act on them positively.

With these observations, I support the Codes. Thank you.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, आपने मुझे उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि जब बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी वर्ष 1942 से 1946 के बीच श्रम मंत्री के रूप में कार्यरत थे, तो उन्होंने सबसे पहले इस देश में श्रम कानून लाने का काम किया था। उस कानून के अंतर्गत जो कि अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था कि 12 घंटे का काम होगा, उसको घटाकर **8** घंटे करना, रोजगार कार्यालय की स्थापना करना, कर्मचारी राज्य बीमा की स्थापना करना, कर्मचारी संगठन को मान्यता देना, भारतीय फैक्टरी अधिनियम, महंगाई भत्ता, अवकाश वेतन, स्वास्थ्य बीमा, कानूनन हड़ताल का अधिकार, भविष्य निधि, श्रमिक कल्याण कोष, तकनीकी प्रशिक्षण योजना, महिलाओं को प्रसूति अवकाश, भारतीय सांख्यिकी कानून और इसके साथ-साथ मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रम कल्याण कोष, महिला और बाल श्रम सुरक्षा अधिनियम, महिला श्रम के लिए मातृत्व लाभ और कोयला खानों में भूमिगत कामों में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध के साथ ही साथ समान कार्य के लिए समान वेतन की सिफारिश और कानून बनाने का काम अगर इस देश में सर्वप्रथम किसी ने किया था, तो वह बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में किया गया था।

सभापति महोदय, देश आज़ाद हुआ, देश की आवश्यकता के अनुसार एवं रोजगार और औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार नए-नए कानून बनते गए हैं। एक नहीं, इस देश में ऐसे 44 केन्द्रीय कानून बने हैं। कानूनों की संख्या तो खूब बढ़ी, लेकिन इन कानूनों ने न तो उद्योगों का विकास किया है

और न ही श्रमिकों का विकास किया है। बल्कि औद्योगिक घरानों में व्यापार करने वाले लोगों और नियोक्तआों में भय पैदा किया है। इतने कानूनों के मकड़जाल में हमारा श्रमिक, केवल श्रमिक अदालतों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हुआ है। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी के बाद अगर इस देश के श्रमिकों के लिए समग्रता से और लंबे समय के बाद किसी ने विचार है, किसी ने कानून बनाने का काम किया है, तो वह देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। मैं केन्द्रीय श्रम मंत्री आदरणीय संतोष कुमार गंगवार जी को भी बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में एक समग्र कानून आया है। इस समग्र कानून का जो आधार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्योंकि विश्वास के अभाव में जब नियोक्ता और कर्मचारी में अविश्वास पैदा होता है, तो न तो उसमें नियोक्ता का भला होता है और न ही कर्मचारी का भला होता है। जब दोनों का नुकसान हुआ, तो उसी का यह परिणाम है कि आज हमारा कर्मचारी अदालतों के चक्कर लगा रहा है और हमारे यहां पर उत्पादन की यूनिटें लगने के बजाय विदेशों में चली गई हैं।

सभापति महोदय, ऐसे कानून की मांग और आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। वर्ष 2002 में राष्ट्रीय श्रम आयोग के कार्यक्रम में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि हमको एक सामूहिक आचार संहिता बनानी चाहिए, जिसमें नियोक्ता का भी भला हो और कर्मचारियों का भी भला हो। माननीय मंत्री जी ने लंबी चर्चा के बाद, चाहे औद्योगिक घराने हों, चाहे ट्रेड यूनियनें हों, चाहे श्रमिक हों, सभी से चर्चा करने के बाद एक संपूर्ण कानून बनाने का काम और प्रयास किया है। निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में जहां एक तरफ औद्योगिक विकास भी होगा, जो कर्मचारी/सरकारी कर्मचारी हैं और इस देश में 50 करोड़ से ज्यादा श्रमिक हैं, उनके कल्याण के लिए भी अनेक योजनाओं के रास्ते खुलेंगे।

महोदय, 44 कानूनों में से 15 कानूनों को समाप्त कर 29 कानूनों को चार कोड में डिवाइड कर, चार संहिता बनाने का काम इस कानून के माध्यम से किया जा रहा है। हम पहले भी मिनिमम वेजिस का बिल पास कर चुके हैं। जिसका परिणाम है कि आज इस देश में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है और देश में यह लागू है और बाकी तीन बिल माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए हैं। चाहे औद्योगिक संबंध संहिता बिल हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो। इन सभी का उद्देश्य इस देश के औद्योगिक विकास और श्रमिकों के बीच विश्वास पैदा करना है। सबका साथ ले कर, सबका विकास कर के, सबके विश्वास से काम को करना है।

सभापति महोदय, 23 जुलाई, 2019 को लोक सभा में इस बिल को लाया गया था और वहां पर विपक्ष की मांग पर और श्रमिक के हित को देखते हुए इसको श्रमिक विभाग की संसदीय समिति को सौंप दिया गया। उनके द्वारा 233 सुझाव दिए गए थे, उनमें से 174 सुझावों को स्वीकार कर इस कानून में समाहित करने का काम भी यह कानून करेगा। इस कानून की सबसे बड़ी खास बात है कि पहले श्रमिक अपने को यह साबित ही नहीं कर पाता था कि मैं किस नियोक्ता के यहां काम करता था, अब यह कानून इस बात के लिए श्रमिक को गारंटी देता है कि किसी भी नियोक्ता को, उसको नियुक्ति पत्र जारी करना पड़ेगा। उस नियुक्ति पत्र को पाने के बाद, वह सभी प्रकार के जो सामाजिक लाभ हैं, जो कानूनी लाभ हैं, उनको वह पा सकेगा।

सभापति महोदय, इसी सदन में प्रवासी श्रमिकों को ले कर बहुत ... * बहाए गए। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा के अभाव में यह कानून प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को परिवर्तित रहा है। अगर यह कानून पहले बन गया होता, प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को ठीक कर दिया गया होता, जो इस कानून में लागू है, अगर यह पहले लागू हुआ होता तो कोरोना महामारी जैसे संकट के समय हमारे

* Not recorded.

श्रमिक सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ते और नियोक्ता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था। लोग ... * बहाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन नियोक्ता के ऊपर किसी प्रकार का कानूनी बंधन नहीं था कि हम श्रमिकों को उसके लिए काम करा सकें।

माननीय सभापति महोदय, यह कानून इस बात का भी अधिकार केन्द्र को देता है, प्रदेश को देता है कि श्रमिकों के हित में, उद्योग के हित में, व्यापार के हित में एक आयोग का गठन करेंगे। जो आयोग समय-समय पर केन्द्र सरकार को, श्रमिकों के हित के लिए और उद्योग के हित के लिए सलाह देंगे। साथ ही साथ यह कानून राज्य सरकार को सलाह देने के लिए, राज्य आजीविका सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन करता है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज़ अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर: सभापति महोदय, इस कानून के माध्यम से प्रदेश में भी श्रमिकों के हित में, उद्योगों के हित में, हम सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेंगे, जिसके माध्यम से समय-समय पर उनके हित की रक्षा हो सके।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में असंगठित मज़दूर हैं, जिनके हितों की रक्षा की चिंता इससे पहले कभी नहीं हुई। यह कानून लागू हो जाने के बाद हम देश में बड़े पैमाने पर असंगठित मज़दूरों की सामाजिक योजनाओं और उनके हितों की रक्षा के लिए भी काम कर पाएंगे।

* Not recorded.

सभापति महोदय, जहां तक श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम है, उसकी परिभाषा में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसके संशोधन के बाद, जो इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ई-पेपर है या समय अनुकूल जो चल सकता है, उन श्रमिकों के हक और हकूक की रक्षा कर पाएंगे।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कानून में कि जहां हम एक नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, उस नए भारत में सपना देखने का अधिकार भी यह कानून श्रमिकों को देता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। वर्ष 1992 में जब से इस देश में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है, तब से इस दौर में आउटसोर्सिंग के नाम पर बहुत सारी कम्पनियाँ ने जन्म लिया हैं। कम्पनियाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से देश के युवाओं का शोषण कर रही हैं। साथ ही साथ संविदा कर्मी, जिनका बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, काम एक है, अलग-अलग प्रदेश में और प्रदेश में भी अलग-अलग मंत्रालय में, अलग-अलग आउटसोर्सिंग कम्पनियों से जो...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप समाप्त कीजिए।

श्री विनोद कुमार सोनकर: सभापति महोदय, यह बहुत जरूरी विषय है। सबसे जुड़ा हुआ विषय है। देश के युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आउटसोर्सिंग की वजह से लगातार युवाओं का शोषण हो रहा है, संविदा की वजह से शोषण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से माँग करता हूं और निवेदन करता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार।

श्री विनोद कुमार सोनकर: सभापति महोदय, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

माननीय सभापति: आप बैठ कर बात कीजिए।

श्री विनोद कुमार सोनकर: मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग को लेकर भी देश में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, जिससे देश के युवाओं का शोषण बंद हो। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यह बहुत गम्भीर विषय है। आज प्रत्येक प्रदेश में अपना-अपना कानून बना कर आउटसोर्सिंग और संविदा के नाम पर लोगों का…(व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है। आपकी बात आ गई है।

श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार, आप प्रारम्भ कीजिए।

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on three revolutionary Bills being considered today in this august House.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude in 3-4 minutes. So, please be brief.

… (*Interruptions*)

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR: Firstly, I must compliment the steps taken to safeguard security of women at their workplace both in physical terms as well as with regard to the financial and self-developmental aspects. Through this Bill, making issuance of appointment letters mandatory by the employer can considerably aid in formalization of their employment.

As we can see for ourselves that through these reforming enactments our hon. Prime Minister is building a strong backbone for our country's economy with labourers and workers being brought into the forefront of nation-building with a

much confident and stable workforce. Considering the current economic turbulence, this Bill will exponentially help in the growth of our GDP.

Through you, I would like to clarify a few general apprehensions about certain Clauses. Clause 55 (4) states that appropriate Government has the power to reject or modify the award given under this Code. It is my understanding that the Standing Committee on Labour had suggested that such power vested with the appropriate Government is against the principles of Separation of Power.

Secondly, as regards Clause 92 (1), which states that : “Appropriate Government has the power to withdraw and transfer any pending proceedings under this Code to another Tribunal”. I feel that it is against the very purpose of the Bill. For example, the proceedings, when transferred from one State to another could hamper justice since the same may get affected due to regional politics.

I would also like to give a few suggestions regarding this Bill. Firstly, with almost 75 per cent of the labour workforce employed in the construction industry being migrant labourers, it is required that the contractors have to register the workers under the ISM Act. My suggestion to the Government would be that the Government should make it mandatory, and routine audits and inspections should be conducted by the agencies concerned to enforce the same.

Secondly, the contractors also should be given various enterprising incentives and support modules by the Government motivating the contractors to adhere and ensure mandatory registration for all labourers. …(*Interruptions*)

Sir, I am the only speaker from my State. Thirdly, in the wake of COVID-19 pandemic, the migrant labourers who predominantly earn their livelihood through daily wages need to be inspired both financially and emotionally. There should be a scheme to support the migrant labourers by providing supply of dry ration from the Construction Welfare Fund. Similarly, medical check-up and assistance during the pandemic can also be supported from the Construction Welfare Fund.

More than 50,000 families in my State are dependent on the Cine Industry for their livelihood. Now, the cine workers may get compensation in case they are met with an accident on the shooting spot. At this juncture, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that necessary notification shall be placed to widen the definition of contract labours in Clause 2 (1) (m) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 by specifically mentioning cinema and entertainment industry.

Finally, I would like to conclude with the quote of our Father of the Nation, Mahatma Gandhi *ji*: “Obedience to the law of bread labour will bring about a silent revolution in the structure of society”.

Through this Bill, our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi *ji* is creating a revolution, strengthening and restructuring our Indian society for the creation of a new India.

With these words, I conclude my speech.

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे माननीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि यह जो बिल है, यह खासकर हमारे दार्जिलिंग तराई डूवर्स के करीब 400 बड़े चाय बागान और 800 से एक हजार छोटे, जो स्मॉल ग्रोअर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात है।

यह विधेयक माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के विजन को दर्शाता है। भारत की आजादी के 72 वर्षों के बाद भी आज तक इस तरह के रिफॉर्म्स हमारे सामने नहीं आए थे। आज करीब 50 करोड़ संगठित और असंगठित श्रमिकों को वेतन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम हो रहा है, जबकि पहले लगभग सिर्फ 10 करोड़ श्रमिकों की ही बात होती थी। अब ये चार लेबर कोड के माध्यम से करीब 29 श्रम कानून इसमें समाहित हो रहे हैं। वेज कोड पिछले साल ही पास हो चुका है, आई.आर. कोड, ओएसएच कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड है। यह बिल वर्ष 2019 में ही हमारे सामने आ गया था, लेकिन इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया था। स्थायी समिति ने सभी स्टेकहोल्डर्स – श्रमिकों और श्रमिकों के जो संगठन हैं, इंडस्ट्री के जो लीडर हैं, उनके जो एक्सपर्ट हैं, उन सबसे इनपुट भी लिए हैं। समिति द्वारा विभिन्न स्टेकहोल्डर्स द्वारा दिए गए करीब 174 सुझावों को भी अपना लिया गया है।

सर, अब मैं इस बिल के कुछ मेरिट बहुत ही सरल भाषा में सदन के सामने रखना चाहूँगा। यह बिल पास होने के बाद सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज की गारंटी देता है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, मैं चाय बागान क्षेत्र से आता हूँ, वर्ष 1951 प्लांटेशन लेबर एक्ट के कारण आज तक पश्चिम बंगाल में लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल रही है। आज पूरे पश्चिम

बंगाल में करीब 350 रुपये मिनिमम वेज है, लेकिन चाय बागान के मजदूरों को मात्र 176 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। अब इस कानून के पास होने के बाद पीएलए एक्ट, 1951 अस्तित्व में नहीं रहेगा और श्रमिकों को पूरा वेतन, मिनिमम वेज मिलेगा। यह बिल सभी मजदूरों को समान वेतन की गारंटी देता है। यह महिला एवं पुरूष मजदूरों को समान वेतन देता है। हर मजदूर को अपॉइंटमेंट लैटर भी दिया जाएगा। हर मजदूर का साल में एक बार हेल्थ चेकअप भी कराया जाएगा। मिनिमम वेज की जो अलग-अलग समस्याएं थीं, मिनिमम वेज में समानता नहीं थी, यूनिफोर्मिटी नहीं थी, उसको दूर करने के लिए एक यूनिफार्म फ्लोर वेज का प्रावधान भी किया गया है। जो हमारे प्रवासी भाई-बहन मजदूर हैं, उनको हर साल एक बार घर जाने का किराया भी मिलेगा और जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, वे जहाँ भी काम करेंगे, उनको वहीं पर राशन मिलने की व्यवस्था भी इस बिल के माध्यम से हो रही है।

असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का प्रावधान है। महिलाओं को रात्रि में काम करने की व्यवस्था भी इस बिल के माध्यम से की गई है। यह बिल महिलाओं को सभी क्षेत्रों में काम करने की इजाजत दे रहा है। जब महिलाएं रात्रि में काम करेंगी तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा। संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों को पेंशन (ईपीएफओ) योजना का लाभ मिलेगा। मजदूरों को ट्रिब्यूनल में जल्द से जल्द न्याय मिलने की सुविधा भी है और ट्रिब्यूनल को एक साल के अंदर मजदूर के केस का फैसला करना होगा। इसके माध्यम से लिटिगेशन बहुत कम होगा और लिटिगेशन जल्द से जल्द खत्म भी होगा। छोटी सी कान्ट्रिब्यूशन से भी ईएसआईसी अस्पताल में इलाज की सुविधा होगी। ईएसआईसी सभी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए खुलेगा। इस बिल के माध्यम से ईएसआईसी अस्पताल, दवाखाना एवं शाखाओं का जिला स्तर तक विस्तार होगा। यह बहुत बड़ी बात है।

सर, मुझे दो-तीन मिनट का समय और दीजिए, बस मैं अपने क्षेत्र पर आ रहा हूँ।

10 से कम मजदूर जिस संस्था में हैं, स्वेच्छा से ईएसआईसी के साथ जुड़ने का मौका भी उन्हें मिल रहा है। सर, जैसा मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल राज्य में अभी तक चाय बागान में मिनिमम वेज लागू नहीं था, जो इस बिल के माध्यम से हो रहा है। इस बिल के पास होने के बाद चाय बागान और सिनकौना बागान में काम करने वाले श्रमिकों को उनका पूरा अधिकार मिलेगा।

प्लांटेशन लेबर एक्ट, जो अभी तक केवल कागजों तक ही सीमित था, इस बिल के पास होने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इससे चाय बागान और सिनकौना बागान में काम करने वाले मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

महोदय, इस बिल के पास होने के बाद कोई भी मालिक काइन्ड में 15 प्रतिशत से ज्यादा सुविधा नहीं दे पाएगा। उन्हें 85 प्रतिशत पैसे कैश में श्रमिकों के हाथ में देना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आज पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजदूरी 350 रुपये है, जब उन्हें उसका 85 प्रतिशत देना होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि करीब 300 रुपये न्यूनतम मजदूरी सभी श्रमिकों को कैश में मिलेगी।

माननीय सभापति: अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राजू बिष्ट : सर, मुझे बस दो मिनट का समय और दे दीजिए।

माननीय सभापति: नहीं, दो मिनट में नहीं, आप इसे जल्दी समाप्त करें। एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री राजू बिष्ट: सर, बस सवा मिनट और लगेगा।

सर, मैं अपने क्षेत्र की एक बात कहना चाह रहा हूं कि वहां श्रमिकों को आज तक भूमि पर अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि भूमि, राज्य का विषय है। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था, वह कानून आज भी पश्चिम बंगाल में लागू है। अभी वर्ष 2019 में ही पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 प्रतिशत चाय बागानों की जमीन को उसके मालिकों को पर्यटन के लिए दे दी। मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन उस जमीन पर उसके मालिकों से ज्यादा अधिकार हमारे श्रमिकों का है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से एफ.आर.ए. एक्ट, 2006, जो इसी पार्लियामेंट से पास हुआ और जिसके माध्यम से हमारे वन-बस्ती में रहने वाले लोगों को जमीन का अधिकार दिया गया, उसी तरह से कानून पास करके हमारे जो श्रमिक चाय बागान और सिनकौना बागानों में काम करते हैं, उन्हें प्रजा पट्टा दिया जाए।

महोदय, अन्त में, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमेशा कहती थीं कि 'पहाड़ हासचे', लेकिन उन्होंने पहाड़ को श्मशान घाट बनाकर रखा हुआ है। इस बिल के पास होने के बाद अपने लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस बिल के पास होने के बाद पहाड़ जरूर मुस्कुराएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री महोदय को यह पता है कि ई.पी.एस., 1995, जो पेन्शनर्स से संबंधित है, इसके बारे में बहुत से पेन्शनधारक कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं, वे आपसे मिल कर आपसे भी लड़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत से आंदोलन भी किए हैं। वे मजदूर बहुत सारे विभागों में काम कर चुके हैं, चाहे पी.एस.यूज़. हो, चाहे प्राइवेट कम्पनीज हों। इसमें मंडियों में काम करने वाले कामगार भी हैं, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले कामगार हैं। ऐसे बहुत सारे कामगार हैं, जो अपनी पेन्शन के लिए श्रम मंत्रालय से बहुत सालों से बातचीत कर रहे हैं, वे अपने मुद्दे रख रहे हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं। उनमें से कोई 60 वर्ष का हो गया है, कोई 65 वर्ष का हो गया है और कई हजार लोग तो ऐसे हैं, जिनका निधन भी हो गया है। ऐसे बहुत-से लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं माननीय मंत्री जी के समक्ष रखी हुई हैं। वे सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। आज श्रम मंत्रालय के द्वारा कामगारों के लिए बहुत अच्छा बिल लाया गया है। इस बिल का हम सपोर्ट करते हैं और हमें इसे सपोर्ट करना भी चाहिए क्योंकि आज देश में जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, वे मजदूरों के कारण ही मजबूत हो सके हैं। इसलिए ऐसा बिल लाना बहुत जरूरी है। इस बिल के माध्यम से इनके लिए सुविधाएं लाई जा रही हैं, चाहे वह मेडिकल की सुविधा हो, चाहे सुरक्षा की बात हो। इनके जो भी केसेज कोर्ट में चलते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलते हैं, उसके लिए यह बिल लाना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके लिए विनती करूंगी कि जिन पेन्शनर्स को महीने में 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की पेन्शन मिलती है, मुझे आप बताइए कि 100 रुपये, 200 रुपये, 350 रुपये या 500 रुपये में उन दोनों बुजुर्गों का क्या गुजारा हो सकता है? यह स्थिति तब है जबकि सरकार के पास ई.पी.एस., 1995 फण्ड में इनके ही दिए हुए 5 लाख करोड़ रुपये आज तक जमा हैं। इसके बावजूद ये पेन्शनर्स बस मिनिमम पेन्शन मांग रहे हैं, जो हम इन्हें नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारी मीटिंग्स हो गई हैं। कई कोर्ट्स में उनके पक्ष में निर्णय हुए हैं, एकाध जगहों पर उनके विरुद्ध

निर्णय हुए हैं, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि ऐसे गरीब मजदूर, जो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, वे सिर्फ सात से आठ हजार रुपये प्रति महीने पेन्शन की मांग कर रहे हैं, जबकि आपके पास उनके **5** लाख करोड़ रुपये जमा हैं, उसमें से वे आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि उन्हें उनके अधिकार दिए जाएं और उनके जीवन के जो कुछ साल बाकी हैं, ऐसे सीनियर सिटीजेन्स के लिए कुछ दया हमारी तरफ से होनी चाहिए, मैं आपसे यह विनती करूंगी।

सभापति महोदय, मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय एकजुट कामगार संगठन के जिन कामगारों ने जी.बी. कंपनी में काम किया, उन कर्मचारियों की बहुत सारी रकम इस कंपनी में बकाया है। ये ऐसे कामगार हैं, जिनके पास अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। उनके जीवनयापन के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे कामगारों के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से विनती करूँगी। जितने भी लेबर्स हमारे देश में रहते हैं, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जोड़ना चाहिए और हर लेबर को घर प्रोवाइड करना चाहिए। मेरी इतनी ही आपसे विनती है। कंपनी में काम करने वाले कामगारों की जब ओनर्स से लड़ाई होती है, यूनियन कोई डिमांड करती है, लेबर्स कुछ डिमांड करते हैं और जब वे कोर्ट में जाते हैं तो वह कंपनी लेबर्स को सैलरी देना बंद कर देती है।

महोदय, मैं आपसे एक और विनती करूँगी कि इस एक्ट में लेबर्स की सैलरी के बारे में भी कुछ प्रावधान करना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का कोई मजदूर कोर्ट में जाता है तो उस मजदूर की पगार बंद नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में हमें जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उनके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर हैं। जब कोई लेबर किसी कंपनी में 15 से 20 साल काम करता है तो वह अपना पूरा भविष्य, जवानी, मेहनत और खून उस कंपनी को बड़ा करने में लगा देता है। मेरी आपसे विनती रहेगी कि जो वहाँ मजदूरी कर रहा है, उनके बच्चों का भविष्य उसी पगार पर निर्भर है।

ऐसे गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए कंपनियों के माध्यम से स्कॉलरशिप दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेबर का बच्चा सिर्फ लेबर ही बने, मजदूर का बच्चा सिर्फ मजदूर ही बने, बल्कि उसको एक डॉक्टर भी बनना चाहिए।

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती नवनित रवि राणा: सर, मुझे सिर्फ एक मिनट का समय दे दीजिए। हमें उन मजदूरों के बच्चों के भविष्य के बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए।

सर, जब सब-कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेरे ख्याल से शायद यह इस बिल में ऐड न हुआ हो। परंतु मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब सब-कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों को अपनी तरफ से कंपनियों में लगाता है या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में काम पर लगाता है, यदि ऑन रिकॉर्ड मजदूरी 500 या 350 रुपये प्रतिदिन है तो वह मजदूर से पहले ही लिखवा कर ले लेता है कि मैं आपको इतनी ही मजदूरी दूँगा। वह मजदूर से कहता है कि ऑन पेपर जो सैलरी लिखी हुई है, वही मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे सब-कॉन्ट्रैक्टर्स के जितने भी केस लोकल लेवल पर चलते हैं, कामगार कमिश्नर के यहाँ चलते हैं, उसमें चार-पाँच साल का समय लग जाता है। उसके लिए हमें कुछ प्रावधान लाना चाहिए। उसकी एक टाइम लिमिट भी होनी चाहिए।

सर, मैं आदिवासी क्षेत्र की एक बात कहना चाहती हूँ। यह विषय हमारे आदिवासी क्षेत्र से बिलाँग करता है। आज हम प्लांटिन्ग और गार्डेनिंग के लिए भी बिल लाए हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, वहाँ पूरी तरह से फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ पर आदिवासी फॉरेस्ट के अण्डर में काम करते हैं। उनकी सिक्योरिटी, मेडिकल और अन्य फैसिलिटी के लिए आप जो बिल लाये हैं, उसका हम सपोर्ट करते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज के विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

महोदय, आज श्रम और रोजगार मंत्री जी लोक सभा के अंदर तीन बिल्स लेकर आए हैं। ये तीनों ही मजदूरों से संबंधित बिल्स हैं। इन बिलों के माध्यम से हम मजदूरों के अधिकारों का और अच्छी तरह से रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा।

महोदय, मजदूरों के लिए सरकार जो बिल लेकर आई है, मेरी आर.एल.पी. पार्टी उसका समर्थन करती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का बिल भी पिछले सत्र में यह सरकार लेकर आई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' का जो नारा दिया, उसमें 'जय मजदूर' का भी नारा शामिल करना चाहिए। हमारे जवान, किसान, मजदूर ये सभी लोग मिलकर इस देश को प्रगति पर लेकर जाएंगे।

सभापति महोदय, ये तीन बिल्स हैं। इनके अंदर एक औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020 भी है। अब 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कार्मिकों की छंटनी नहीं कर सकेगी। इसके लिए हर जगह आंदोलन चलते रहते हैं। कंपनियों में मजदूरों की आए दिन की समस्याएँ होती रहती हैं। मजदूर हड़ताल पर भी चले जाते हैं। उनकी मजदूरी घटा दी जाती है। किसी न किसी बहाने से उनकी छंटनी कर दी जाती है। इस बिल के माध्यम से यह होगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस देश के अंदर नहीं होगी। यह बिल इस मामले के अंदर महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि कंपनियां बिना किसी ठोस कारण के अचानक किसी कर्मचारी की छंटनी कर दे, उसकी सुनिश्चितता कैसे होगी? जब आप जवाब दें, तो जरूर उसके अंदर इसे बताएं।

तीसरा, सामाजिक सुरक्षा संहिता बिल, 2020, यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 9 कानूनों, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, 1952, मातृत्व लाभ एक्ट, 1961 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2008 का स्थान लेती है। सामाजिक सुरक्षा उन उपायों में कहा जाता है, जो कि श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुविधा और आय सुरक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करते हैं।

महोदय, एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका अदा करता है। मजदूर ही वह ताकत है, जो किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी दांव पर लगाकर देश को आगे बढ़ाने का, उस काम को आगे बढ़ाने और उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करता है। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की हमेशा अहम भूमिका रही है। मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए श्रमिकों का समाज में अपना एक अलग ही स्थान है।

महोदय, इन विधेयकों में कई कानूनों को बदला जा रहा है। जो फालतू के कानून थे, जब एनडीए की सरकार बनी, तब यह कहा गया था कि जितने भी फालतू के कानून पिछले 50 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, उन फालतू के कानूनों को हम कम करेंगे। कई कानूनों को आपने कम भी किया है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, इन विधेयकों में कई कानूनों को बदला जा रहा है। आज इस माहौल में हमें आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर देश के मजदूरों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है।

मंत्री महोदय, हमारे राजस्थान सहित देश के भारी उद्योगों में काम कर रहे मजदूरों की पीड़ा की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज न्यूनतम वेतन को लेकर प्रावधान होने के बावजूद कई जगहों से शिकायतें आती हैं कि संबंधित कंपनियां मजदूरों को पूरा वेतन देने में आनाकानी करती हैं।

देश में जहां भी केंद्रीय श्रम विभाग के कार्यालय हैं, उनको निर्देशित किया जाए कि उनके क्षेत्राधिकार में जो भी उद्योग हैं उनमें मजदूरों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अभियान चलाए जाएं।

एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के लगभग 45 करोड़ श्रमबल में से करीब 30 प्रतिशत श्रमिक प्रवासी मजदूर हैं, जो गांवों, छोटे शहरों एवं पिछड़े इलाकों से रोजगार की तलाश में बड़े शहरों, औद्योगिक, कृषि एवं व्यावसायिक रूप से विकसित क्षेत्रों में जाते हैं।

महोदय, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र देश के 85 प्रतिशत मजदूरों को रोजगार देता है। वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वे के अनुसार 93 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। देश की सकल आय में इस क्षेत्र का योगदान 49 प्रतिशत के करीब है।

मंत्री जी, हमारे राजस्थान में बाड़मेर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जहां तेल, गैस और कोयला निकला। वहां कार्य कर रही कंपनियां उस गांव के लोगों को भी रोजगार नहीं देती है, आनाकानी करती है। मंत्री जी, आप इसको नोट करें। जिस गांव की जमीन से तेल निकलता है, वह राज्य व देश को बड़ी राशि में रॉयल्टी देता है। रॉयल्टी प्राप्त होने के बाद भी केंद्र से संबंधित विभाग शिकायतों के बावजूद इसकी मॉनीटरिंग नहीं करते हैं। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाड़मेर के अंदर इस मामले को दिखवायें।

मेरा सदन से अनुरोध है कि 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले इस नीति पर सदन को विचार करना चाहिए, ताकि बेरोजगारी के कारण उस क्षेत्र के लोगों का पलायन रुक सके।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने देश के असंख्य कामगारों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के हितों के लिए एक महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी और श्रम मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस देश में इतना बड़ा रिफॉर्म, चाहे एग्रीकल्चर सैक्टर में हो या लेबर सैक्टर में हो, वही व्यक्ति कर सकता है, जो उनके दु:ख और दर्द को समझता है।

माननीय सभापति जी, वर्ष 2014 में जब से देश में यह सरकार आई, उस दिन से हम देखें तो इस देश का निर्माण कौन कर रहा है, इस देश के विकास में महत्पूर्ण भूमिका किसकी है? भारत का जो निर्माण हो रहा है, सही मायने में कौन उसका कर्णधार है?

कई बार उद्योग-धंधों की चर्चा होती है, इस विकास में अगर कोई मील का पत्थर है तो वह उद्योग-धंधे हैं। इन उद्योग-धंधों में काम करने वाला कौन है? इमारतें खड़ी करने वाला कौन है, सड़क बनाने वाला कौन है, रेल की पट्टरी बिछाने वाला कौन है, देश में अनेक ऐसे काम हैं जिनको करने वाला मजदूर है। इसके पीछे अगर कोई दिखाई देता है तो वह मजदूर दिखाई देता है। उन मजदूरों के हितों के लिए पहली बार जो कानून काफी पुराने हो गए थे, नेशनल लेबर कमीशन ने भी कहा था कि आउटडेटेड कानून की जटिलताओं को दूर करना चाहिए, पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस दर्द को समझा। देश और दुनिया का यह पहला उदाहरण होगा जब इस देश के सफाई कर्मी का पांव धोकर उसका सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेन्द्री मोदी जी ने किया है। ऐसे लोगों का आत्मसम्मान और प्रोत्साहन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसे में सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिल जबकि तीन पहले आ गए थे और अब माननीय मंत्री महोदय तीन बिल्स लेकर आए हैं। मैं कह सकता हूं कि इन कानूनों के माध्यम से भारत में अभी तक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए किसी ने सोचा नहीं था। उनके लिए व्यवस्थाओं का अभाव था। ऐसे में संहिता देश के

करोड़ों श्रमिकों के जीवन के सामाजिक और आर्थिक क्रांति का साधन बनेंगी। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की परिकल्पना की। असंगठित क्षेत्र बहुत सारी विसंगतियों से भरा हुआ था, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसे दूर करने का काम किया है। यह प्रयास स्वागत योग्य है, यह सराहनीय और अभिनंदन योग्य कदम है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश हमेशा से मेहनत मजदूरी करने वाले का रहा है। हमारे देश में जितना आत्मसम्मान श्रमिक भाइयों का है, उतना शायद ही किसी देश में होगा। जिस काम को कई वर्षों से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दक्ष डिग्री वाले लड़के नहीं कर पाते, उस काम को देश का अनुभवी मजदूर कर सकता है। मजदूरों के हितों के लिए लॉकडाउन में भी उनके भरण पोषण और पेट भरने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया।

वन नेशन और वन राशन या उनके खातों में पैसा डालना हो, इस देश में पहली बार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काम करने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना मोदी जी की सरकार लेकर आई। व्यापारियों और दुकानदरों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना पहली बार हम लोगों ने इस सरकार में देखा है। श्रम सुविधा पोर्टल जिसके कारण कई लोगों को समस्या होती थी, उसका समाधान हुआ। ऑनलाइन यूएन नम्बर के माध्यम से जब कोई एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर कई बार दूसरी जगह चला जाता है तो उसकी समस्या का भी समाधान होगा, ईएसआई के माध्मय से पहले साढ़े छह प्रतिशत योगदान होता था, अब छह प्रतिशत कर दिया गया है। लॉकडाउन में नरेगा के माध्यम से घर बैठे लोगों के लिए एक जीवनदायिनी है, जिसकी मजदूरी दर 182 से 202 रुपये बढ़ाने का काम किया। अभी जो तीन बिल्स आये हैं, यदि इसके माध्यम से हम लोग देखें तो श्रमिकों का वर्गीकरण काम के घंटे, छुट्टी, वेतन आदि कई तकलीफों का निवारण इसके माध्यम से होगा।

इसंपेक्टर राज्य के कारण कई नियोक्ताओं और कई अन्य लोगों को काफी परेशानी होती थी, वह राज खत्म होगा। अब दस हजार रुपये से बढ़ाकर अट्ठारह हजार रुपये मिनिमम मजदूरी की बात हो सकती है। ट्रेड यूनियन और सारी यूनियनें को स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता होगी। अभी उदयपुर में भारत सरकार ने सौ करोड़ रुपये का एक हॉस्पिटल दिया है, बीस करोड़ रुपये का चितौड़ में भी एक हॉस्पिटल दिया है। अब सोशल सिक्युरिटी 740 जिलों में से 567 जिलों में इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि चाहे फिक्सड सम रेग्युलर इम्पलाई या सामाजिक सुरक्षा का कोष हो, इन सभी सुविधाओं का लाभ श्रमिक भाइयों को मिलेगा। श्रमिकों को नि:शुल्क हैल्थ चेक-अप हो या नियुक्ति प्रमाणपत्र हो, इस बारे में पहली बार इस सरकार ने सोचा है। सरकार एक ऐतिहासिक बिल लेकर आई, इसमें चाय बागान में काम कर रहे मजदूरों के लिए सोचा गया है। मैं एक जनजाति एरिया से आता हूं। मेरा आग्रह रहेगा कि इसमें उस क्षेत्र के जंगल में तेंदु पत्ता इकट्ठा करने वाले हों, शहद, गोंद या लाख इकट्ठा करने वाले बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उनको भी इसका लाभ मिले, ऐसा मेरा आग्रह है।

मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री है। खान और पत्थर उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को सिलिका से सिलिकोसिस रोग और कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे श्रमिकों के इलाज को इसके माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए ताकि श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके। श्रमिक खतरनाक स्तर पर काम करता हैं। बॉयलर, चिमनी, जोखिम भरी मशीनों का काम करते हैं। गंभीर उद्योगों में काम करते हुए कई बार बॉयलर, चिमनी फट जाती है, इससे जन हानि होती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में स्टेट कई बार एग्जम्पशन दे देती है, इसके कारण मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस अधिकार से मुक्त कराएं, क्यों कि वह एग्जम्प्ट कर देंगे तो हजारों श्रमिकों को लाभ नहीं मिल पाएगा।

मैं पुन: माननीय मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज के ऐतिहासिक दिन में बहुत बड़ा निर्णय हो रहा है।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय सभापति जी, आपने मुझे माननीय मंत्री, श्री संतोष गंगवार द्वारा प्रस्तुत उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 विधेयक की चर्चा में भाग लेने और और देश की आबादी के सेंसटिव लोग, जो लंबे समय से प्रताड़ित हो रहे थे, के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति जी, अच्छा होता अगर विपक्ष के लोग यहां बैठे होते। यह बिल एक साल पहले आ गया होता। मजदूरों के अधिकार एक साल छिन गए हैं तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। वर्ष 2019 में यह बिल आया था। उनका कहना था कि इसे और स्टडी किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। उनकी सिफारिश पर इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी द्वारा सारी त्रुटियां निकालकर जब यह बिल आया तो वे किसानों के नाम पर बाहर भाग गए। वे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज अगर कांग्रेस मजदूरों की हितैषी पार्टी होती तो इस बिल का समर्थन करती। वे नहीं चाहते थे कि यह बिल आज आए, वे चाहते थे और लटक जाए, इसलिए बॉयकॉट करके कांग्रेसी लोग ... *

वर्ष 2020 में लेबर श्रम कमीशन के माध्यम से रिपोर्ट पांच प्वाइंट्स लेकर आई थी, जिसमें सेफ्टी, हैल्थ, वर्किंग कंडीशन आदि थे। आज माननीय मंत्री गंगवार जी माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में बिल लेकर आए हैं, मैं इस बिल के माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश में वर्ष 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार रही। दस साल तक कमीशन की रिपोर्ट पर इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और ये अपने को गरीबों की पार्टी और हितैषी बताते हैं। ये अभी भी किसानों को बरगला रहे हैं

* Not recorded.

कि गरीबों के अहित में निर्णय आ रहे हैं। जो बिल आया है, अगर इसे कोई स्टडी करेगा तो पाएगा कि यह 100 परसेंट किसानों के हक में है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 42 करोड़ वर्कर अनऑर्गेनाइज सैक्टर में रहते हैं। 42 करोड़ लेबर क्लास के लोग हैं। इस देश में इन लोगों को हक और अधिकार 50 सालों से नहीं मिल पाए थे। आज अगर किसी को काम पर अगर रखना है तो उसे एपाइंटमेंट लैटर मिलेगा। एपाइंटमेंट लैटर मिलने के बाद अगर उसे निकाला जाएगा तो बंधुआ मजदूर समझकर नहीं निकाला जाएगा, कंपनी को पहले 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुन: माननीय गंगवार जी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। मैं पिछली बार कन्सलटेटिव कमेटी का मैम्बर भी रहा था। मैंने तब भी सुझाव दिया था कि जैसे चाइल्ड लेबर का लॉ है और हर कंपनी, हर प्रतिष्ठान के सामने बोर्ड लगा होता है कि 18 साल से कम आयु के कर्मचारी को नहीं रखा जाता है, ऐसे ही मिनिमम वेजिस सैलरी मिलनी चाहिए। इसमें यह प्वाइंट जोड़ा जाना चाहिए। हर कंपनी, हर संस्था के सामने लिखा हो कि यहां मिनिमम वेजिस दिया जाता है। कांट्रेक्ट बेसिस पर जिन लोगों को रखते हैं, उनको पूरी सैलरी नहीं दी जाती है। उन्हें 10,000, 12,000 रुपये दिए जाते हैं। इस देश में आज भी मजदूरों का शोषण हो रहा है, इससे उनका बचाव हो जाएगा।

मेरा निवेदन है, डैथ के बाद के बारे में कहा गया है कि 50 परसेंट कम्पेनसेशन दिया जाएगा। अगर किसी मजदूर की डैथ हो जाती है, उस गरीब की सुनता कौन है? हर राज्य में कम से कम सरकारी पैनल पर दस वकील रखे जाने चाहिए। साउथ दिल्ली कहने को तो साउथ दिल्ली है लेकिन 50 परसेंट आबादी गरीबों की हैं। मैं उनकी पीड़ा जानता हूं। इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर हमारे पास आते हैं, हर राज्य में उनके लिए पैनलाइज एडवोकेट फिक्स किए जाएं। अगर राज्य सरकारें

गरीबों की हितैषी है, अगर किसी मजदूर के साथ मिसहैपनिंग हो जाए तो इन वकीलों के माध्यम से लड़ाई लड़ सकें और अपने अधिकार ले सकें।

आपने एपाइंटमेंट लैटर की बात कह दी, दो महीने पहले हैल्थ चैकअप की बात कह दी। डेली वेजेज और कांट्रेक्ट बेसिस पर काम करने वाले लोगों के हित के बारे में सारी बातें कह दीं, लेकिन उन मजदूरों के हक और अधिकार दिलाने के लिए निश्चित रूप से एकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर किसी लेबर अफसर के खिलाफ किसी मजदूर ने दस कम्पलेंट्स कर दीं और कोई एक्शन नहीं लिया गया तो एकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए।

मैं यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वे तीन कोड लेकर आए हैं। उन्होंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा था कि किस तरह से श्रम कानूनों पर काम किया है। वैश्विक चुनौती में मानसून सत्र हो रहा है, अगले सौ वर्ष बाद कभी इस सत्र के इतिहासकार इसका विश्लेषण करेंगे तो शायद इतिहास में हमेशा इसी बात के लिए याद किया जाएगा। भारत के सबसे महत्वपूर्ण दो सैक्टर्स हैं – एक सैक्टर किसानों का है और दूसरा देश के संगठित और असंगठित श्रमिकों का है। हमेशा याद किया जाएगा कि इन दोनों बातों के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने उठाए थे।

मजदूर तो लगातार संघर्ष कर रहा है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, पहली बार मजदूरों ने क्रांति रोमन सरकार के खिलाफ 1789 में फ्रांस में स्पार्टकस गुलाम ने की थी और दासता की जंजीरों से मुक्ति दिलाई थी। यह पहली क्रांति मानी जाती है। शिकागो, 1 मई, 1886 दूसरी क्रांति मानी जाती है। ब्लादिमिर लेनिन की 1917 में रूस की क्रांति तीसरी मानी जाती है। आप यकीन कीजिए कि चौथी क्रांति श्रमिकों के हित में मानी जाएगी जब हम यह तीनों विधेयक पारित करेंगे।

अभी तक मजदूर को क्या कहा जाता है? हम डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, श्रम के महत्व की बात करते हैं, लेकिन आज भी मजदूर को हम कहते हैं कि यह श्रम बेचने वाला है। इस बिल के पहले लोग मजदूर को अपना श्रम बेचने वाला मानते हों या कहते हों, इस विधेयक के पारित होने के बाद अब मजदूर के श्रम पर अपना अधिकार होगा, यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है।

वर्ष 2020 का बिधूड़ी जी ने उल्लेख किया। वर्ष 2002 में श्रम सुधारों के लिए लॉ कमीशन और लेबर कमीशन ने सुझाव दिया था, लेकिन वर्ष 2002 से अब तक शायद इस पर कल्पना नहीं

हुई। माननीय अटल जी ने एक सपना देखा था और उस पर काम शुरू हुआ था। मैं आज कहना चाहता हूं कि माननीय अटल जी का सपना था कि श्रम में सुधार हो, उनके सपने को साकार करने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। नि:संदेह यह एक ऐतिहासिक क्षण है कि अभी तक शैड्यूल एम्पलायमेंट में रहते थे, उनको ही न्यूनतम वेतन देने की गारंटी रहती थी। चाहे वे संगठित हों या असंगठित हों। मैं अपनी बात कह दूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं श्रम सगठनों से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया था।

मैं कहना चाहता हूं कि 28 अक्तूबर, 2003 को, जब साहिब सिंह वर्मा जी लेबर मिनिस्टर थे, अटल जी की सरकार थी, उस समय श्रम सुधारों के संबंध में एक बैठक हुई थी। मैं भी लगातार श्रम मंत्री गंगवार जी के साथ बैठक करता रहता हूं। उस समय भारतीय रेलवे मजदूर संघ माल गोदाम के जो श्रमिक थे, जो आज भी देश में चार लाख हैं, जिस समय पूरे भारत में लॉकडाउन था, आप कल्पना कीजिए, फैक्ट्रियां जहां थीं, वहीं ठप हो गईं, रेलगाडियां बंद हो गईं, जहाज बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। सारा देश स्थिर हो गया था।

माननीय सभापति: अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मंत्री जी इस पर जवाब देंगे, उसके बावजूद भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों के घरों में अनाज पहुंचाया गया। जब सरकार ने फैसला लिया कि लॉकडाउन में आबाध गति से माल गाड़ियां चलेंगी तो उस लॉकडाउन में उन श्रमिकों ने लोडिंग-अनलोडिंग का काम किया। कोरोना के डर के बावजूद भी कहीं एक दिन भी किसी परिवार में खाद्यान की कमी नहीं हुई। आज मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि जब वे उत्तर दें, आपने इस बिल में सबके बारे में कहा है।

माननीय सभापति: प्लीज पाइंट्स में बात कीजिए, बात का विस्तार मत कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: रेलवे के माल गोदाम के जो श्रमिक हैं, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बता देंगे कि आखिर इनका पीस रेट होगा या इनको वह सुविधा होगी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल गोदाम पर काम करते हैं, आपने इस विषय पर कई बैठकें की हैं।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय सभापति जी, आपने हमें इस ऐतिहासिक बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चूंकि मैं फिल्म कामगारों के एलाइड यूनियन का पदाधिकारी भी रहा हूं, इसलिए, मैं प्रसन्नतापूर्वक यशस्वी प्रधान मंत्री जी और माननीय मत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जब उन्होंने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना की शुरुआत की थी, तभी पता लग गया था कि एक बड़ा विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है। जिन मजदूर भाईयों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, पूरा सदन इस बात को कह रहा था, मैं सभी एम्प्लॉयज से, मजदूरों से, फिल्म कामगारों से, महिला कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को गीता-कुरान की तरह पढ़ें। आप इसको जितना अध्ययन करेंगे, उतना ही आपके जीवन में ऐतिहासिक बदलाव आएगा। यह अच्छा है कि मेरे बोलते-बोलते आसन में परविर्तन हो रहा है।

18.58 hrs (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

यह बहुत सुखद है। जैसा कहा गया है कि इसमें प्रदेश को बहुत अधिकार है कि इसको कैसे लागू करना है, कैसे नहीं। लेकिन, जब हम दिल्ली के सांसद के रूप में यह देखते हैं, मैं माननीय सभापति जी के माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि यहां कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं। कंस्ट्रक्शन लेबर्स के लिए तमाम वेलफेयर की योजनाएं हैं। लेकिन, प्रश्न उठता है कि कंस्ट्रक्शन लेबर्स कौन है, उसकी परिभाषा क्या है? ऐसे-ऐसे लोगों को कंस्ट्रक्शन लेबर्स का प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है, जो वास्तव में कंस्ट्रक्शन लेबर्स होते ही नहीं है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि प्रदेशों को अधिकार है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि कुछ लोग सिर्फ कल्याण की राशियों का उपभोग करने के लिए ही मजदूर का प्रमाण-पत्र न प्राप्त कर लें। इसका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे दिल्ली में लगभग तीस हजार करोड़ रुपये, जो कंस्ट्रक्शन सेस में आते हैं, उसके

दुरुपयोग की बात आई है, या तो उसका दुरुपयोग होता है या उसका उपयोग ही नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, चूंकि हम लोग भी एक मजदूर ही हैं। वैसे तो लोग हमें जानते हैं कि मैं सिनेमा से आया हूं, मैं स्टार हूं।

माननीय सभापति: सभा की सहमति हो तो हम सभा की कार्यवाही नौ बजे तक बढ़ा सकते हैं?

अनेक माननीय सदस्य: हां।

माननीय सभापति: ठीक है।

19.00 hrs

श्री मनोज तिवारी : सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं अपनी बात इस पंक्ति के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि यह मजदूरों के लिए और कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं एक अंतिम प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बार-बार उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से जो मजदूर बाहर जाते हैं, उन्हें प्रवासी मजदूर क्यों कहा जाता है? हम प्रवासी कैसे हो गए? हमने प्रवासी सम्मेलन को देखा था, जिसमें दुनियाभर के लोग आए थे तो फिर मजदूर प्रवासी कैसे हो गए? हमें यह शब्द बहुत वेदना देता है। हम मजदूर हैं, हम कर्मचारी हैं, अपने प्रदेश से बाहर जाकर अन्य प्रदेशों में काम करते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि इस भावना को भी समझा जाए। हमें जब कई बार प्रवासी कहां जाता है तो अटैक का डर लगता है। जब कोरोना जैसा संकट होता है तो हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है। हमें 1100-1100 किलोमीटर पैदल चलकर घर जाना पड़ता है। ऐसा उदाहरण भी मिला है कि प्रदेश हमारी जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसलिए इस बिल पर बहुत खुशी व्यक्त करते हुए और यह भी चाहते हुए कि आप इन सब छोटे बिन्दुओं का ध्यान रखेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल एतिहासिक है।

यह बिल महिलाओं और सभी लोगों को बहुत बड़ी सुरक्षा देने वाला है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का दिन भारत के इतिहास में सचमुच एक एतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारे नेता माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी कहते कम है और करते ज्यादा हैं। चूंकि सामने कोई कांग्रेस के मित्र नहीं हैं।

सभापति महोदया, इनका हमेशा से इतिहास रहा है कि बोलना ज्यादा है और करना कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान होगा, इन्होंने वर्ष 1971 में कहा था कि हम गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे, लेकिन इनके द्वारा गरीबी तो हटी नहीं, बल्कि इन्होंने गरीब को ही हटाने का पूरा प्लान बना लिया। हम 50 साल के बाद आज भी गरीब और मजदूर की ही बात कर रहे हैं। संयोग से मेरे बगल में उदासी साहब आकर बैठ गए हैं। लेबर के नाम पर कांग्रेस ने जो गलत काम किया, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी अगर आप जानना चाहेंगे तो इसकी तह में जाना पड़ेगा। हम पीएसी कमेटी में साथ में थे और सीएजी की एक रिपोर्ट देख रहे थे। उस वक्त श्रम के जो मंत्री थे, यहां पर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे हैं और अभी राज्य सभा के सदस्य भी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। संयोग से वही पीएसी के चैयरमेन थे। लेबर के नाम पर जो पैसा ईएसआईसी में जमा हुआ, उसके नाम पर उन्होंने हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू कर दिया। आश्चर्य तो यह हुआ कि हिमाचल में उसी हॉस्पिटल की कीमत यदि 600 करोड़ रुपये थी तो उनकी कांस्टिटुएसी गुलबर्गा, कर्नाटक में 1200 करोड़ रुपये थी। 1 करोड़ बत्तीस लाख रुपये पर बेड के हिसाब से हॉस्पिटल बन रहा था। मजदूरों के साथ इतना बड़ा अन्याय मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यही कारण है कि कांग्रेस के मित्र इतने बड़े बिल पर यहां भाषण देने के लिए नहीं हैं। यहां पर पिनाकी जी बैठे हैं और उनका हमने बहुत अच्छा संबोधन सुना है। इस देश में हुआ क्या है? आज आप देखिए कि सारी मिल्स, मुम्बई के मिल्स, अहमदाबाद की मिल्स, सभी मिल्स बिक रही हैं। सारे टेक्सटाइल मिल्स यहां तक कि जूट के मिल्स बिक रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या था? यही ट्रेड

यूनियन था, यही लेबर था, जो गांव गरीब, किसान को नौकरी दे रहा था। आज आप समझिए कि पूरे के पूरे मुम्बई में, पूरे के पूरे कलकत्ता में पूरे बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग और झारखण्ड के लोग जाते थे, लेकिन ... *जैसे लोग यदि पैदा होते थे तो उनका एक मात्र उद्देश्य यह रहता था कि कंपनी के मालिक को तंग किया जाए, कंपनी को बंद कर दिया जाए। कंपनी के मालिक को कोई भी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि पिनाकी भाई आज भी जमीन उन्हीं लोगों के पास है। वे लोग उस जमीन को बेचेंगे और करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन उसमें काम करने वाले लेबर कहां है? आज मजदूर कहाँ चले गए हैं? क्या उसके लिए इस बिल की आवश्यकता नहीं थी? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि यह एक अच्छा अधिकार है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि मैं चार साल तक आरबीआई एम्पलॉइज एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा था। भारतीय मजदूर संघ की संस्था से चैयरमेन रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि मेरे जैसा सांसद होते हुए भी, मैं फाइनेंस कमेटी का मैम्बर था, पीएसी का मैम्बर था, उसके बावजूद भी मैं अपनी यूनियन को आरबीआई में मान्यता नहीं दिला पाया।

वह मान्यता देने का अधिकार केवल आरबीआई यूनिट को था और आरबीआई के गवर्नर ने केवल सीपीएम की यूनियन को, जो भारतीय मजदूर संघ आज देश का सबसे बड़ा मजदूर यूनियन है, उसका जो कोटा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसे आज तक आरबीआई ने मान्यता नहीं दी। क्या आप चाहते हैं कि डिसक्रिशन बना रहे? इन सारे कानूनों को यदि आप देखेंगे तो अंदाजा होगा कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में और भारतीय लोकतंत्र में माननीय मोदी जी का कितना बड़ा योगदान है और संतोष गंगवार साहब यहां कितना बड़ा विधेयक लेकर आए हैं।

अंत में, मैं जिस राज्य से आता हूं, जिस बात को मनोज तिवारी जी ने शुरू किया, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं कि आज देश में माइग्रेंट लेबर की बात होती है। इसमें भी मैं जो परिभाषा देख रहा

* Not recorded.

हूं, उससे मुझे थोड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि बिहार, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश का होने के कारण पीड़ा है कि आप यह समझिए कि गिरमिटिया मजदूर के तौर पर मॉरिशस, सूरीनाम, गायना में जो लोग गए, आज वे उस देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधान मंत्री हैं। यदि आप देखेंगे, इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से आकर दिल्ली के मुख्य मंत्री बन गए। आपको मंत्री बनने में, मुख्य मंत्री बनने में, राष्ट्रपति बनने में, अभी अमेरिका में कमला हैरिस उप राष्ट्रपति पद की कैंडीडेट हैं। जब ऐसी सिचुएशन पूरे देश और दुनिया में है तो हम अपने ही देश में प्रवासी कैसे हो सकते हैं? यदि इतनी बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी तो इसमें मजदूरों का योगदान है। मैंने उस दिन बजट भाषण में बोलते हुए कहा था कि यदि कोई कंपनी चलती है, कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें लेबर की भी आवश्यकता होती है, कैपिटल की भी आवश्यकता होती है और मार्केट की भी आवश्यकता है। यदि कैपिटल आप उत्तर प्रदेश, बिहार या पूर्वोत्तर भारत से लेकर जाते हैं, यदि आप उसे प्रवासी कैपिटल नहीं कहते हैं तो मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहना कहीं से अच्छा नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस परिभाषा को बदलने का प्रयास करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द-जय भारत।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

श्री संतोष कुमार गंगवार: धन्यवाद, आदरणीय सभापति जी।...(व्यवधान)

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): मैडम, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैंने मंत्री जी का नाम बोल दिया है।

...(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार: आप बाद में मिलकर, मुझे लिखकर दे दीजिए। बाद में मिल लीजिए।

आदरणीय सभापति जी, श्री पल्लब लोचन दास जी से लेकर श्री निशिकांत दुबे जी तक 17 माननीय सदस्यों ने अपनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चूंकि हम जानते हैं कि श्रम सुधारों में परिवर्तन हो रहा है, काम हो रहा है। जैसा अभी एक साथी ने बताया कि वर्ष 2003 से यह प्रक्रिया चल रही थी। जो लोग आज वॉक-आउट कर गए हैं, वे लोग पूरे दस साल तक इसे अपने पास रखे रहे और इसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। यह बात अभी एक साथी ने भी कही थी।

मैं श्री पिनाकी मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि परिभाषा में हम ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें राज्य के स्फेयर को हम दूर कर दें। बाकी बातें मैं उनको बता दूंगा। मैं एक अन्य बात यह बताना चाहता हूं। 18 हजार रुपये तक वर्कर के वेतन की परिभाषा के बारे में एक बात उन्होंने कही थी, वह केवल वर्कर के लिए नहीं है, जो सुपरवाइजर की श्रेणी में आ जाते हैं, उनकी बात है। बाकी, वर्कर को चाहे जितना वेतन मिले, वह वर्कर की ही श्रेणी में आएगा, क्योंकि हम यह मानते हैं कि जो हवाई जहाज चलाता है, वह भी वर्कर माना जाता है। इसलिए यह बात समझ में आती है, यदि इसमें कोई विशेष बात होगी तो हम आपको बताने का काम करेंगे।

जैसा मैंने कहा, महत्वपूर्ण साथियों ने अपने विचार रखे हैं, श्रम कानूनों का उद्देश्य अपने इन राष्ट्र निर्माताओं को हर प्रकार की सुरक्षा, सुविधा तथा कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करना है। बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी ने सर्वप्रथम श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें उचित जीविका देने, काम करने के लिए उन्हें सुरक्षित वातावरण देने, श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा देने और महिलाओं को समान वेतन तथा मातृत्व लाभ देने में पहल की थी। आदरणीय मोदी जी जब आए, तब मातृत्व लाभ में महिलाओं को कैसे छूट मिले, इस पर काम हुआ।

मुझे खूब ध्यान है कि जब माइन्स की पढ़ाई करने वाले बच्चे हमें मिले, उन्होंने बताया कि हम माइनिंग में इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन लड़कियों को माइन्स में नौकरी करने का मौका नहीं मिलता है।

जब प्रधान मंत्री जी को हमने कहा, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि अब लड़कियां भी सुरक्षा के साथ माइन्स में नौकरी कर सकती हैं। वास्तव में आदरणीय मोदी जी का यह विजन हम सबकी समझ में आता है। मुझे ध्यान है कि जब श्रम कानूनों में संशोधन की बात चल रही थी, तो हमने जो पहला कानून 'कोड ऑन वेजेज' पास किया था। वह इस लोक सभा का पहला कानून था। आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाते हुए 2014 में 'श्रमेव जयते' को 'सत्यमेव जयते' के बराबर महत्व देते हुए श्रमिक भाई-बहनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी थी। पिछले छ: वर्षों में हमारी सरकार ने इसी दिशा में अनेकों सार्थक कदम उठाए - जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के माध्यम से पेंशन देने का कार्य, महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, महिलाओं को खदान क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार देना, छोटे व्यापरियों को पेंशन देने की सुविधा देने की योजना शुरू करना, देश में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के द्वारा फार्मल रोजगार को बढ़ावा देना, श्रमिकों को भविष्य निधि तथा कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलटी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना और ईएसआई की सुविधाओं का विस्तार करना आदि। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने श्रम सुधारों का काम आरम्भ किया।

महोदया, श्रमिकों को कार्य का सुरक्षित वातावरण देने के लिए ओएसएच कोड में प्रावधान लाए गए हैं। हमने आक्यूपेशनल सेफ्टी, हैल्थ तथा वेलफेयर के प्रावधानों की एप्लीकेबिलटी को बढ़ाया। ओएसएच कोड के प्रावधान, जो वर्तमान में केवल फैक्टरी, डॉक्स, माइन्स, कंस्ट्रक्शन,

प्लांटेशन, बीड़ी, सीगार और मोटर ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे श्रमिकों पर ही लागू होते हैं, अब वे आईटी तथा सर्विस सैक्टर सहित सभी सैक्टरों के संस्थानों पर समान रूप से लागू होंगे। ओएसएच कोड में परिभाषाओं को भी व्यापक बनाया गया है। मनोरंजन के क्षेत्र में सिने वर्कर्स की सीमित परिभाषा की तुलना में हमने श्रम कानूनों के दायरे में सभी प्रकार के मनोरंजन माध्यम के श्रमिकों को लाने के लिए आडियो-विजुअल वर्कर्स की परिभाषा का प्रावधान भी किया है। जैसा हमारे साथी तिवारी जी कह रहे थे, इसी प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में भी डिजीटल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया इत्यादि में कार्य करने वाले पत्रकारों को भी वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में शामिल किया है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को सीमित करने की बात कही है। इस विषय में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान श्रम कानून में प्रवासी मजदूर की परिभाषा में केवल वे ही श्रमिक आते हैं, जो कि एक ठेकेदार के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में लाए जाते हैं। ओएसएच कोड में प्रवासी मजदूर की इस परिभाषा को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाया गया है, जिससे अब सभी प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं और उनका वेतन 18 हजार रुपये से कम हो, तो वे सभी प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे। अब उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार प्रवासी मजदूरों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है तथा उनके कल्याण के लिए बहुत से प्रावधान ओएसएच कोड में किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों का एक डेटाबेस बनाने का प्रावधान पहली बार कानून में दिया जा रहा है। इन कानूनी प्रावधानों के बाद राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से प्रवासी मजदूरों के सम्पूर्ण डेटाबेस को तैयार करना होगा। प्रवासी मजदूरों को अपने मूल निवास पर जाने के लिए साल में एक बार उनके एम्प्लॉयर द्वारा यात्रा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए वेलफेयर स्कीम की पोर्टेबिलटी भी सुनिश्चित की जा रही है तथा प्रवासी मजदूरों की

समस्याओं के निवारण के लिए कानून में ही हैल्प लाइन की व्यवस्था की गई है। ओएसएच कोड के दायरे में आ रहे श्रमिकों को एक निश्चित आयु के बाद नि:शुल्क हैल्थ चैकअप का अधिकार दिया जा रहा है, जिससे श्रमिकों के प्रिवेंटिव हैल्थ केयर को बढ़ावा मिलेगा।

19.15 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

ओएसएच कोड में पहली बार श्रमिकों को नियुक्ति पत्र पाने का कानूनन अधिकार दिया गया है, जो अब तक नहीं था। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी इनके लिए कोई नियुक्ति पत्र नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, यदि हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा के स्टैंडर्ड प्रभावी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, तो यह आवश्यक है कि हम उनको समय के साथ गतिशील बनाएं। इसलिए सेफ्टी स्टैंडर्ड को एक त्रिपक्षीय बोर्ड, नेशनल ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बोर्ड के द्वारा रेकमेंड किया जाए। यह एक नई व्यवस्था की गई है। वर्तमान के श्रम कानून के अनुसार दुघर्टना की स्थिति में जुर्माने की राशि पूरी तरह से सरकार के खाते में जाता है। यह हमें मंत्रालय में आने के बाद पता चला कि अगर कोई जुर्माना एक्सिडेंट के कारण होता है, तो वह पैसा उस व्यक्ति को नहीं मिलता है, वह सरकार के खाते में जाती है, जिसका श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिलता है। परंतु इस नए कानून से पीड़ित श्रमिकों को अन्य लाभों के अलावा जुर्माने की राशि का कम से कम 50 प्रतिशत मिल पाएगा, हम ऐसी व्यवस्था इस कानून में कर रहे हैं। ये सारे नए प्रावधान ओएसएच कोड में हमारे श्रमिकों को सुरक्षित कार्य का वातारण देने के लिए किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक शांति तथा विकास के लिए श्रमिक तथा एम्प्लॉयर्स के बीच एक सकारात्मक रिश्ता बहुत जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से इंडस्ट्रीयल रिलेशंस कोड के प्रावधान हरेक औद्योगिक संस्थान के ऊपर लागू होगा, चाहे उनमें एक ही श्रमिक क्यों न कार्य कर रहा हो। हर औद्योगिक संस्थान के विवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए भी कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

उदाहरण के लिए हमारे ट्रिब्यूनल में अब एक मैम्बर के स्थान पर दो मैम्बर्स का प्रावधान किया गया है। जिससे विवादों के जल्द निस्तारण में और तेजी आए और एक मैम्बर की अनुपस्थिति में भी ट्रिब्यूनल का कार्य चलता रहे।

मैं यहां माननीय सदस्यों को यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि आईआर कोड में भी परिभाषाओं को वर्तमान की तुलना में और ज्यादा मजबूत किया गया है। उदाहरण के लिए वर्कर की परिभाषा में सुपरवाइजर की वेतन सीमा को 10 हजार रुपये बढ़ा कर अब 18 हजार रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव से आज के मुकाबले कहीं ज्यादा सुपरवाइजर्स आईआर कोड की परिधि में आएंगे।

अध्यक्ष महोदय, fixed term employment को आईआर कोड में लाने पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान में भी संस्थान अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को कम समय के लिए कॉन्ट्रेक्ट लेबर के रूप में रखते हैं। लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारी की भांति सेवा-शर्तें, छुट्टी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि नहीं मिल पाते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि संस्थानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को स्वतंत्रता देना आवश्यक है। एक संतुलन बनाते हुए हम ने यह भी सुनिश्चित किया है कि fixed term employees की सेवा शर्तें, वेतन, छुट्टी एवं सामाजिक सुरक्षा भी एक रेग्युलर एम्प्लाई के समान ही होगी।

आईआर कोड में स्ट्राइक के प्रावधानों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी श्रमिक को स्ट्राइक पर जाने का अधिकार आईआर कोड में छीना नहीं गया है। स्ट्राइक पर जाने से पहले 14 दिन की नोटिस पीरियड की बाध्यता हर संस्थान पर इसलिए लागू की गई है, जिससे कि इस अवधि में सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके। श्रमिकों को स्ट्राइक पर जाने से न तो श्रमिकों का और न ही इंडस्ट्री का कोई लाभ होता है।

जहां तक आईआर कोड में रिट्रेंचमेंट क्लोजर या ले ऑफ में थ्रेशहोल्ड को बढ़ाने की बात है, तो मैं बताना चाहूंगा कि श्रम एक समवर्ती सूची का विषय है और संबंधित राज्य सरकारों को भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार श्रम कानूनों मे परिवर्तन करने का अधिकार है। इसी थ्रेशहोल्ड की सीमा को राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित 16 राज्य पहले ही अपने यहां बढ़ा चुके हैं। थ्रेशहोल्ड की सीमा इन राज्यों ने अपने-आप ही 300 की संख्या तक कर दी है। इस प्रावधान का एक पक्ष यह भी है कि ज्यादातर संस्थान 100 से ज्यादा श्रमिकों को अपने संस्थान में नहीं रखना चाहते, जिससे अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, इस एक प्रावधान को बदलने से देश में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए निवेशक प्रेरित होंगे और ज्यादा संख्या में बड़ी फैक्ट्रियों के स्थापित होने से रोजगार के ज्यादा अवसर हमारे देश में श्रमिकों के लिए उत्पन्न होंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, श्रमिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए ट्रेड यूनियंस के योगदान को हमने समझा और स्वीकार किया है। इसी वजह से पहली बार उनकी सहभागिता को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उनको संस्थान स्तर, राज्य स्तर और केन्द्र स्तर, यानी तीन स्तरों पर कानून में मान्यता दी गई है।

हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। जिन्होंने अच्छे समय में देश के विकास में योगदान दिया है, उनके कठिन समय में बीमारी, बेरोज़गारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हमें अपने देश में धीरे-धीरे यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रणाली की व्यवस्था करनी है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईएसआईसी और ईपीएफओ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि

सामाजिक सुरक्षा के दायरे में सभी 50 करोड़ श्रमिकों को लाया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा कोड के अंतर्गत हमने प्रयास किया है कि ईएसआईसी के अंतर्गत मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक भी पहुंचाया जाए। इसी अनुक्रम में ईएसआईसी के विस्तार के लिए निर्णय लिया गया है कि इसकी सुविधाएं देश की सभी 740 जिलों में दी जाएंगी। वर्तमान में ईएसआईसी की सुविधाएं केवल उन संस्थानों को मिल पाती हैं, जिनमें दस या उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा कोड में अब यह प्रावधान किया गया है कि हेज़ार्डस यानी जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्य कर रहे संस्थानों को ईएसआईसी की सुविधाएं अपने श्रमिकों को अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होगी, चाहे उनके संस्थान में केवल एक ही श्रमिक क्यों न काम कर रहा हो। बागानों में काम कर रहे श्रमिकों को ईएसआईसी की सुविधाओं का लाभ मिले, अब इसका विकल्प भी प्रदान किया जा रहा है। आज तक ईएसआईसी की सुविधाओं से बागान में काम कर रहे श्रमिक वंचित रहे। काफी समय से मांग रही है कि इन श्रमिकों को भी ईएसआईसी के दायरे में लाने का विकल्प दिया जाए। इसके अनुरूप ही यह निर्णय लिया गया है और मुझे लगता है कि बागान क्षेत्र के सांसद महोदय जो समस्याएं लेकर आते हैं, वे इससे कम संतुष्ट नजर आते हैं, पर हम उनकी बातों को समझते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको शिकायत का मौका न मिले, इसके लिए हम चिन्ता करते हैं।

असंगठित क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी ईएसआईसी के दायरे में लाने के लिए योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे संस्थान, जहाँ दस से कम श्रमिक काम कर रहे हैं, उन संस्थानों को भी स्वेच्छा से ईएसआईसी का मेम्बर बनाने का विकल्प इस कोड में दिया जा रहा है, जिससे छोटे उद्योग भी ईएसआईसी से जुड़ सकें।

मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि जहाँ एक ओर ईएसआईसी के कवरेज को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, वहीं साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ से संबंधित सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए भी इस कोड में प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में केवल शेड्यूल में आ रहे ऐसे संस्थान, जिनमें 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वे ही ईपीएफ के दायरे में आते थे। शेड्यूल को हटा देने के कारण अब वे सभी संस्थान, जिनमें 20 या उससे अधिक श्रमिक हैं, वे भी ईपीएफ के दायरे में आएंगे। साथ ही, वे संस्थान जिनमें 20 से कम श्रमिक हैं, उनके लिए ईपीएफ का सदस्य स्वेच्छा से बनने का विकल्प सामाजिक सुरक्षा कोड में रखा गया है। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार वाले श्रमिकों के लिए भी ईपीएफ का कवरेज देने के लिए भी योजना बनाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय जी, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पहली बार एक सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान भी किया गया है। इस फंड के द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिक जैसे गिग वर्कर्स तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाई जाएगी। इससे इन 40 करोड़ भाई-बहनों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के लाभ, जैसे मृत्यु बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ आदि प्रदान की जाएंगी। इन सभी नये प्रावधानों के द्वारा हमने एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज के अंतर्गत अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि श्रमिक और उद्योग एक-दूसरे के पूरक होते हैं। अनुपालन की व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और सरल बनाने के लिए हमने चारों लेबर कोड्स में एक समान प्रावधान रखे हैं। पहली बार अब संस्थानों को श्रम कानूनों

के अंतर्गत आठ रजिस्ट्रेशन लेने के स्थान पर चारों लेबर कोड्स में केवल एक ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा।

इसी प्रकार अलग-अलग कानूनों के अंतर्गत तीन या चार लाइसेंसेज़ लेने के स्थान पर केवल एक ही लाइसेंस की व्यवस्था की जा रही है। अनुपालन की व्यवस्था की जटिलता का एक और उदाहरण यह है कि वर्तमान में श्रम कानून के अनुसार 75 से भी अधिक रजिस्टर्स रखने पड़ते थे और 50 से अधिक रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती थीं और एक ही सूचना अलग-अलग अथॉरिटीज़ को बार-बार देनी पड़ती थी। अब चारों लेबर कोर्ट्स में रजिस्टर्स तथा रिर्टन्स की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। जहां तक संभव है, इसे ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा भी दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, श्रमिक और एम्प्लायर्स को श्रम कानूनों की पर्याप्त जानकारी होगी तो इसका बेहतर अनुपालन संभव हो पाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए अब हमने इन्सपैक्टर को इन्सपैक्टर-कम-फैसिलिटेटर के रूप में दोहरी जिम्मेदारी दी है, जिसके अंतर्गत वह नियोक्ता तथा श्रमिक – दोनों को कोर्ट के अंतर्गत, उनके अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी देते हुए उनके लिए एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। निरीक्षण तंत्र को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की सोच से एक रैन्डम वेब-बेस्ड इन्सपैक्शन सिस्टम लाने का प्रावधान भी सभी कोर्ट्स में किया जा रहा है, जिससे श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकार वास्तव रूप से मिल सकें।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सालों तक लंबित रहने वाले मामलों को जल्दी निपटाने के उद्देश्य से सभी लेबर कोर्ट्स में कंपाउंडिंग का प्रावधान किया गया है, जिससे ट्रिब्युनल और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। कंपाउंडिंग में प्राप्त धनराशि को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाए गए सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करने का प्रावधान किया गया है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

सभी लेबर कोर्ट्स में पैनल्टी की राशि को कई गुना बढ़ाया गया है, जिससे सही अर्थों में यह एक डिटरेंट की तरह साबित हो। अनुपालन व्यवस्था को समयबद्ध करने हेतु भी कोर्ट में कई प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में ईपीएफ तथा ईएसआईसी एक्ट के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। अब इन इंक्वायरीज को पूर्ण करने के लिए दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे विशेष परिस्थितियों में अधिकतम एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हमने कई विस्तृत विषयों को कानून में न रखकर नियम बनाने का प्रावधान किया है। मैं इस विषय को स्पष्ट करना चाहूंगा कि बदले हुए समय के साथ-साथ सहजता से बदलाव करने के लिए आवश्यक है कि कानून में फ्लैक्सिबिलिटी रहे। उदाहरण के लिए आज फैक्ट्री एक्ट में सीढ़ी, लिफ्ट, गियर इत्यादि की स्पेसिफिकेशंस तक कानून का हिस्सा हैं। यानी अगर कहीं सीढ़ी या लिफ्ट बदलनी है तो कानून में परिवर्तन करना होगा। इसे नियमों में लाकर समय के साथ-साथ आसानी से परिवर्तित किया जा सकेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार कई परिभाषाओं में वेतन सीमा के कानून में होने के कारण कई वर्षों तक आर्थिक स्थिति बदलने के बावजूद भी आसानी से नहीं बदला जा सका है। इसलिए कानून में बदलते परिवेश के सापेक्ष फ्लेक्सिबिलेटी रखना उचित है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं, जब देश में काम कर रहे 50 करोड़ श्रमिकों को आजादी के 73 वर्षों के बाद वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कार्य स्थल पर उचित वातावरण तथा उत्तरदायी विवाद निष्पादन व्यवस्था देने का कार्य लेबर कोर्ट्स के माध्यम से किया जा रहा है। यह इसीलिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि हमारे देश को एक जवाबदेह प्रधान मंत्री मिला है, जो हर बात को सोचता और समझता है और तुरंत फैसला लेता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आप सभी साथियों का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। आप सब माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कामकाज के वर्तमान परिवेश में श्रमिकों के कल्याण की इस यात्रा में आप राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर, सर्वसम्मति से इन तीनों बिलों - The Occupational Safety, Health And Working Conditions Code, 2020, The Industrial Relations Code, 2020 and The Code On Social Security, 2020 – को सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

"कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण**,** मद संख्या – 14**,** इस विधेयक पर अनेक सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं। चूंकि इनमें से कोई भी सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए सभा में उपस्थित नहीं है**,** इसलिए मैं विधेयक के खंड एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खंड 2 से 143

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 143 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 143 विधेयक में जोड़ दिये गये।

पहली से तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 15

प्रश्न यह है**:**

"कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: इस विधेयक पर अनेक सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं। चूंकि इनमें से कोई भी सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए सभा में उपस्थित नहीं है। इसलिए मैं विधेयक के खण्ड एक साथ सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खंड 2 से 104

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 104 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 104 विधेयक में जोड़ दिये गये।

पहली से तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 16

प्रश्न यह है:

"कि संगठित या असंगठित या किन्हीं अन्य सेक्टरों में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: इस विधेयक पर अनेक सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं। चूंकि इनमें से कोई भी सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए सभा में उपस्थित नहीं है। इसलिए मैं विधेयक के खण्ड एक साथ सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खंड 2 से 164

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 164 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 164 विधेयक में जोड़ दिये गये।

पहली से सातवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

19.35 hrs

JAMMU AND KASHMIR OFFICIAL LANGUAGES BILL, 2020*

HON. SPEAKER: Supplementary List of Business: Item No.18; hon. Minister G. Kishan Reddy *ji*.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Hon. Speaker, Sir, on behalf of hon. Home Minister, Shri Amit Shah, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto."

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब स्पीकर साहब, मुझे अहसास है कि जो विरोध करने का मामला है यह नियम 72 के तहत बहुत सीमित है।

मैं तीन पॉइंट्स पर अपनी बात रखना चाहता हूं। पहला है कि जम्मू-कश्मीर का जब मुल्क के साथ नाता जुड़ा, उससे पहले जम्मू-कश्मीर एक खुद-मुख्तार मुल्क था, उसका अपना वर्ष 1939 का आईन था। वर्ष 1939 का आईन मुल्क के बाकी हिस्सों के बरकस जम्मू-कश्मीर में वर्ष 1950 के बाद

---

* Published in the Gazette, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 22.09.2020

भी लागू रहा। वर्ष 1950 के आईन में जम्मू-कश्मीर को यह अख्तियार दिया गया कि वह अपना आईन बनाए। जम्मू-कश्मीर की एक असेम्बली कनवीन हो गयी। वर्ष 1957 में जम्मू-कश्मीर का अपना आईन बन गया। जब आईन बना तो सारे मुल्क ने बधाई दी। उस वक्त के राष्ट्रपति जी और वजीरे आजम ने बधाई दी। मोरार जी भाई और सारे मुल्क ने जम्मू-कश्मीर को आईन बनाने पर बधाई दी। उस आईन में उससे पहले वर्ष 1889 में महाराजा प्रताप सिंह ने उर्दू को जम्मू-कश्मीर की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। वर्ष 1939 में महाराजा हरि सिंह ने और वर्ष 1957 के आईन में भी वही रहा। वर्ष 1957 के आईन के सैक्शन 145 में ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को रखा गया। मेरा मानना है कि आईन कभी एब्रोगेट नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसे एक नई कांस्टीट्युएंट असेम्बली बनाकर एब्रोगेट किया जाए या रेफरेंडम के ज़रिए किया जाए। पार्लियामेंट के अधिकार में नहीं है कि वह जम्मू-कश्मीर के आईन को एब्रोगेट करे। ऐसी स्थिति में आईन को फ्रेगमेंट या डिवाइड करने से किसी स्टेट का आईन आप खत्म नहीं कर सकते हैं। वह आईन अभी भी लागू है। वहां के आईन के सैक्शन 145 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज दी गयी है, यह उसके विरोध में है।

दूसरी बात यह है कि यह जो सारा अख्तियार इनको हासिल है, जिस अख्तियार का यह इस्तेमाल कर रहे हैं, वह रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कर रहे हैं। सैक्शन 47 को सस्पेंड करके, सैक्शन 73 का सहारा लेकर यह कानून इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।

जनाब, जो जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट में 12 पीटिशन के माध्यम से चुनौती दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में उन पिटीशन में मैरिट पाया है। ये पिटिशन दाखिल करने वाले जम्मू से भी हैं, लद्दाख से भी हैं और हर कम्युनिटी और रिलीजन से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहस के बाद इसको समाज के लिए मंजूर किया है। It has been formally admitted to hearing. सुप्रीम कोर्ट ने इसको पांच जजों की कांस्टीट्युशन बैंच को सुपुर्द किया है।

उस कांस्टीट्युशन बैंच के सामने हमने कहा कि इस पर अमल नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी दरख्वास्त खारिज नहीं की, बल्कि यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई चीज इर्रिवर्सिबल नहीं है, उनको पूरा अख्तियार है। कांस्टीट्युशन प्रोपरायटरी का एक प्रिंसिपल है जो सभी कांस्टीट्युशनल डेमोक्रेसिज़ हैं, वहां पर कांस्टीट्युशन प्रोपरायटरी का पालन किया जाता है। इसका यह मतलब है कि उसका एक अंग चाहे वह लेजिस्लेचर हो या एगज़िक्यूटिव हो, वह एक-दूसरे के अंग का एहतराम करे। जब ऐसी चीज की जा रही है और प्रिएम्प्ट किया जा रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्युशन बैंच फैसला देगी। उसके तहत भी इसकी इजाजत नहीं है और लेजिस्लेटिव ऐसा कानून लाने के लिए कम्पीटेंट नहीं है।

तीसरी बात यह है कि अगर यह माना भी जाए कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सैक्शन 47 है, लेकिन उसमें असेम्बली को अख्तियार है कि वह इसको इंट्रोड्यूस करे। इसके लिए बिल बनाए। यहां पर सैक्शन 47 को सस्पेंड किया जा रहा है। इसको सस्पेंड करने की क्या आवश्यकता है और जो सस्पेंड करने की पावर्स हैं, क्या उनका सही इस्तेमाल हो रहा है?

जनाब मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए।...(व्यवधान) 47 में यह अधिकार असेम्बली का है और 73 में यह है कि फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर एक ज़बान लागू है, ऑफिशियल लैंग्वेज़ है, अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाएं चल रही हैं। सरकार का सारा काम उसी में चल रहा है। उसमें इसकी क्यों आवश्यकता है? यह जो इमर्जेन्सी प्रॉविज़न है, why this section 73 is pressed into service? जबकि इसकी जरूरत ही नहीं है।

तीसरी बात, आप यह देखिए कि कितनी इम्प्रैक्टिकल बात हो रही है। किसी भी सूबे में, किसी भी प्रांत में, किसी भी जगह पर दो से ज्यादा ज़बानें नहीं हैं। यहां पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए पांच भाषाओं को इंट्रोड्यूज़ किया जा रहा है। आप देखिए कि कैसी इम्प्रैक्टिकल बात है। मेरी

यह गुजारिश है कि यह जो लेज़िस्लेटिव कॉम्पिटेन्स हैं, वे पार्लियामेंट की हैं ही नहीं, इन सारे पसमंजर में और इस विषय पर कानून बनाने की, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। फॉर्मल एडमिशन हो गया है। समात चल रही है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ है, जो अंडर ज्यूडिशियल स्क्रूटनी है। जब तक ये ज्यूडिशियल स्क्रूटनी में है, तब तक आप ये सारे पावर्स इस कानून के तहत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

देखिए कि कल समात के बाद, एक महीने, दो महीने, तीन महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट यह कहे कि वाकी तौर पर आपका रिआर्गेनाइज़ेशन एक्ट बनाने का कोई अधिकार नहीं था और यह संविधान के मुताबिक नहीं है। यह कानून नाजिर अमल नहीं हो सकता है। तो कैसे आप स्टेप्स को रिट्रैक्ट करेंगे? जनाब मेरी यही गुज़ारिश है कि इस कानून को इंट्रोड्यूज़ करने की इजाजत न दी जाए, क्योंकि ये लेज़िस्लेटिव कॉम्पिटेन्स इस पार्लियामेंट की नहीं है। यह कानून आना ही नहीं चाहिए। हमारे होम के जो वजीर-ए-मुमलिकत हैं, मैं उनसे यह गुजारिश करूंगा कि वह इसको विद्ड्रा करें। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, अगर उस फैसले के बाद जरूरत हो, अगर आपके पास इख्तियार हो, तो आप इस इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए। अभी आप रिआर्गेनाइज़ेशन एक्ट के इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और यह आइन के बिल्कुल विरुद्ध है।

श्री जी. किशन रेड्डी : मैं आज इस संसद में जो विधेयक लेकर आया हूं, उसको मैं आप सभी के सामने उसको रखना चाहता हूं। पहला यह है कि इस विधेयक में कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं को जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटोरी के ऑफिशियल लैंग्वेज़ के रूप में घोषित किया जाएगा। लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों की चली आ रही आकांक्षाओं की मांग पूरी होगी। बहुत सालों से लगातार जम्मू-कश्मीर में रहने वाले सभी मजहबों के लोग, वहां के सभी गांवों में रहने वाले लोग,

यह मांग कर रहे हैं कि हम अपने प्रांत में जिस भाषा में बात करते हैं, उस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज़ होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में ऐसा लगातार कहा जा रहा है।

महोदय, मैं माननीय सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की राजभाषा सिर्फ उर्दू थी और अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए प्रयोग किया जाता था। यूनियन टेरिटोरी जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल ने यह सूचित किया है कि यूनियन टेरिटोरी की जनता के एक बड़े वर्ग की यह मांग है कि उर्दू और अंग्रेजी के साथ-साथ कश्मीरी, डोगरी और हिन्दी भाषाओं को भी राजभाषाओं के रूप में घोषित किया जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटोरी और जम्मू-कश्मीर के मेज़ोरिटी के लोग इन भाषाओं को बोलते हैं और इनको समझते हैं। आप सभी को प्रमुख रूप से यह समझना चाहिए।

महोदय, मैं इस सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज़, मैसूर ने यह सूचित किया है कि कश्मीरी, जम्मू-कश्मीर क्षेत्र की भाषा है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी है। इसीलिए, इसे संविधान का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में लगभग 67,97,587 बोलने बाले लोग हैं, जिसमें कश्मीरी बोलने वाले 53.26 प्रतिशत लोग जम्मू-कश्मीर में रहते हैं।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में जितनी जनसंख्या है, उसमें कश्मीरी बोलने वाले 53.26 पर्सेंट लोग हैं। मगर 70 सालों से जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी बोलने वालों की लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। उनकी पॉप्युलेशन 53.26 पर्सेंट जम्मू-कश्मीर में है। इतना हिस्टॉरिकल ब्लंडर पिछले 70 सालों से जम्मू-कश्मीर में हुआ है। अभी लेबर लॉ भी यहां पास हुआ है। भारत में जितनी भी गलतियां हुई हैं, हिस्टॉरिकल ब्लंडर हुए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम बदलते आ रहे हैं, यह भी बदलने वाले हैं, आज इस पार्लियामेंट के द्वारा बदला जाएगा।

महोदय, सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजिस, मैसूर ने यह भी सूचित किया है कि डोंगरी भाषा, पहले मैंने कश्मीरी भाषा के बारे में बताया है, अभी डोगरी भाषा के बारे बता रहा हूँ, डोगरी भाषा क्षेत्र में प्रमुख रूप से दूसरे दर्जे पर बोली जाती है, दूसरे स्थान पर बोली जाती है। जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा बात करते हैं कश्मीरी, और दूसरे नंबर पर डोगरी भाषा बोली जाती है – वह 20.64 पर्सेंट के साथ लगभग दूसरे स्थान पर आती है। उसके बाद हमें उर्दू भाषा की बात भी करनी चाहिए। उर्दू भाषा को भी हम ऑफिशियल लैंग्वेजिस में जोड़ रहे हैं, क्योंकि 70 सालों से ऊर्दू भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको रहना चाहिए। नरेन्द्र मोदी सरकार कोई लैंग्वेज के विषय पर, मज़हब के विषय पर, कास्ट के विषय पर, प्रांत के विषय पर भेदभाव नहीं रखती है, यह इसका उदाहरण है। यह भी सुनना चाहिए कि उर्दू भाषा बोलने वाले अभी भी कितने लोग हैं। 70 सालों में ऑफिशियल लैंग्वेज रहने के बाद भी सन् 2011 सेंसस के आधार पर जम्मू-कश्मीर में उर्दू बोलने वालों की जनसंख्या 0.16 पर्सेंट है, और 0.16 पर्सेंट लोग जम्मू-कश्मीर में उर्दू बोलने वाले हैं। उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के नाते 70 सालों से लगातार चला रहे हैं। कितने लोग हैं? यह मेरी संख्या नहीं है। यह सेंसस के आधार पर ऑफिशियल रिपोर्ट है – 19,112 लोग जम्मू-कश्मीर में उर्दू भाषा बोलने वाले हैं। उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है और जो 56 पर्सेंट लोग हैं, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया है। यह क्या नीति है? यह कौन सी राजनीति है?

माननीय महोदय, भारत के संविधान के आर्टिकल-343(1) के अनुसार भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, क्योंकि भारत का संपूर्ण संविधान अब संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लागू है। इसलिए हिंदी को भी प्रपोज्ड जम्मू-कश्मीर ऑफिशियल लैंवेजिस बिल, 2020 में हमने शामिल किया है। सर, इसकी संख्या उर्दू से ज्यादा है। उर्दू बोलने वाले 0.16 पर्सेंट हैं, हिंदी बोलने वाले 2.30 पर्सेंट हैं, 2,79,684 लोग हैं, यह सेंसस के नंबर हैं, मेरे नंबर नहीं हैं। दूसरा, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 348(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और

संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों आदि की सभी प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी भाषा में होती है। जम्मू-कश्मीर में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज अंग्रेजी ऑफिशियली यूज़ करते थे। वह अधिकारपूर्वक सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर में लागू थी। वह भी हम कंटीन्यू कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसिडिंग्स अंग्रेजी भाषा में होती है, इसलिए अंग्रेजी भाषा को प्रपोज्ड बिल में एक भाषा के रूप में शामिल किया जाना भी मोदी सरकार ने आवश्यक समझा है इसलिए अंगेजी को भी रखा है।

महोदय, मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर में पांच ऑफिशियल भाषाओं के अतिरिक्त अन्य रीजनल लैंग्वेजिस भी हैं। उनके विकास के लिए सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर ने जानकारी प्राप्त की है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप डिबेट का पूरा जवाब दीजिए? उन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया है, उसका जवाब भी दें?

...(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी: महोदय, मैं बताता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद बोलना।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है**:**

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI G. KISHAN REDDY: I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 19.

SHRI G. KISHAN REDDY: I beg to move:

"That the Bill to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"That the Bill to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री हसनैन मसूदी: जनाब, मैं पूरी बात कहूँगा। पहले मैंने गुजारिश की कि यह कानून, लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस नहीं है। अब कानून पर आ जाइए। देखिए, क्या कहीं पर ऐसा कोई कनफ्यूजन है, मुल्क के किसी भी रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर पाँच जबानें इकट्ठी तौर पर लगाई गईं। जनाब

देखिए, कश्मीरी और डोगरी, डोंगरी नहीं है, डोगरी है, मंत्री जी को शायद अपना तलाफ्फुस ठीक करना होगा। डोगरी पहले ही 8th शेड्यूल का हिस्सा है। इनका कहना है कि 0.16 परसेंट सिर्फ उर्दू बोलते हैं। आप मंत्री जी से पूछिएगा कि फिर उर्दू को सरकारी जबान रखने की आपको क्यों जरूरत पड़ती है**?** अगर आपकी ही बात मानी जाए, सदन को जो भी कहा जाए, अगर आप कहते हैं कि 0.16 परसेंट है, लेकिन यह फैक्ट नहीं है। This is a misstatement of fact. उर्दू इस वक्त सारे रेवेन्यू में, सारी पुलिस में, सारी ज्यूडिशियरी में, हर जगह उर्दू ही इस्तेमाल होती है। आप यह न कहिए कि 70 साल से कोई गलती हुई है। यह 1889 में महाराजा प्रताप सिंह ने रखी है और उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 1939 के कॉन्स्टीट्यूशन में रखी है। उसके बाद 1957 के कॉन्स्टीट्यूशन में बेस हो गई। यह आज की बात नहीं है। किसी ने इंट्रोड्यूस किया, आप उनके किसी स्टेट के साथ लिंक करेंगे या किसी और एक रीजन के साथ। यह वहां से 1989 से हुई है।

दूसरी बात आप बताइए कि जब आप ऐसा कनफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग कोई भी करेगा। कैसे करेगा, किसमें करेगा, कौन जवाब देगा, कौन अधिकारी होगा, जो ऐसे वातावरण में इस कनफ्यूजन में वह फरफॉर्म करेगा। देखिए, आप कैसा कनफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप मुझे मिसाल दे दीजिए कि किसी भी सूबे में, किसी भी प्रांत में, किसी भी रीजन में, यू.टी. कहिए, कुछ कहिए, क्या कहीं पाँच जबानें ऑफिशियल हैं। आप कहिए न। देखिए, बात यह है कि हमने पहले दिन से ही कहा कि 5 अगस्त के फैसले एक अग्रेशन के तौर पर है। इससे क्या है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त पर आप सवाल लगा रहे हैं। उर्दू एक लिंक लैंग्वेज है। देखिए, यह जम्मू और कश्मीर के दरम्यान लिंक लैंग्वेज है, जम्मू और लद्दाख के दरम्यान लिंक लैंग्वेज है और कम्यूनिटीज के दरम्यान लिंक लैंग्वेज है। आप देखिए न, यह इस वक्त एक रूप धारण कर चुकी है। इस वक्त आप कहीं पर भी जाइए, किसी भी हाउसहोल्ड में जाइए, हमारे जम्मू का निवासी हो, डोगरा हो, कश्मीरी हो, पीर पंचाल वाला हो, डोडा वाला हो, चिनाब वैली वाला हो, हर जगह आपको लगेगा

कि उर्दू एक लिंक लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, असेम्बली में और बाकी जगह पर इस्तेमाल होती है। अगर आपकी यह बात मानी जाए कि सिर्फ 0.16 परसेंट ही उर्दू बोलते हैं तो मुझे कहिएगा। फिर आपको आवश्यकता क्या है, आपको इसको रखने की जरूरत क्या है?

दूसरी बात यह है कि इस वक्त कौन सी इमरजेंसी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा- Out of the five languages that you declare as the official languages, two of them are already there. या ऐसा होता, that no language or languages right now used as official language cannot be treated as official language or should be discontinued, फिर भी बात मानी जाती है। वे दो तो आप रख ही रहे हैं। If things are like that, what is the emergency to press into service Section 73? कौन सी जरूरत है? अगर उसको आप retrograde कर रहे हैं। आपके पास इसका क्या जवाब है? कनफ्यूजन क्रिएट करने का क्या जवाब है? आंकड़े कैसे हैं, 0.16 परसेंट क्या दलील देता है? 0.16 है, तो फिर ऑफिशियल क्यों कर रहे है? बात यह है कि pre-empt न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसिजन हो, सुप्रीम कोर्ट का आदर हो, एक दूसरे इंस्टीट्यूशन का आदर हो। हमें चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट के पास यह ऑप्शन था। The Supreme Court could have on the first day thrown out the petition and said: “No, this petition is not entertainable”.

आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में इसमें मेरिट पाया और इसे 5 जजेज की कांस्टीट्यूशनल बेंच के सुपुर्द किया। यहाँ पर बड़े वकील लोग बैठे हुए हैं, वे जानते हैं कि फॉर्मल ऐडमिशन का क्या मतलब होता है। All this is ill conceived. यह आना ही नहीं चाहिए था। यह आप उसी का तसलसुल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दूरियाँ खत्म हों, हम चाहते हैं कि 5 अगस्त

वाले फैसले को आप रिवोक करें ताकि अमन बरपा हो। आज की तारीख में भी जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक-दो एनकाउन्टर कश्मीर में चल रहे हैं।...(व्यवधान) एक-दो एनकाउन्टर आज चल रहे हैं। ये जो आप रोज-रोज एक ज़र्ब लगा रहे हैं, एक खंजर पैबस्त कर रहे हैं, यह ना कीजिएगा। अब आप उस जबान को भी रख रहे हैं, तीन और ला रहे हैं। पाँच जबान में आप कैसा कंफ्यूजन पैदा करेंगे? कौन काम करेगा? यहाँ के आईएएस अधिकारी हैं, वे डोगरी में जवाब देंगे, कश्मीरी में जवाब देंगे, अंग्रेजी में देंगे, उर्दू में देंगे या हिन्दी में जवाब देंगे? Why do they treat Kashmir differently in such a strange manner, when they have not introduced more than two languages? There are not more than two languages in any part of the country. यह कैसा इंतकाम हो रहा है? ...(व्यवधान)

जनाब, मेरी गुजारिश यह होगी कि यह हाउस इस कानून को बिल्कुल ही नामंजूर करे। इस वक्त इसकी आवश्यकता नहीं है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदय, नेशनल कांफ्रेंस के हमारे मित्र जो बात कर रहे थे, मैं बड़े तवज्जो के साथ सुन रहा था। Though I do not wish to say this, but the House has been grossly misled by what has been said. पहली बात तो यह है, मुझे हैरत इस बात की है कि आपको ऐतराज इस बात का है कि कश्मीरी को क्यों जबान के तौर पर मान्यता दी जा रही है, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। आपने 60 साल सियासत की कश्मीरियत के नाम के ऊपर, कश्मीर केन्द्रित राजनीति करके और आज जब कश्मीर की भाषा को एक दर्जा दिया जा रहा है, एक मकाम दिया जा रहा है तो आपको उसके ऊपर ऐतराज है।...(व्यवधान) माफ कीजिएगा,

आपने पिछले 15 मिनट में जो बातें कही हैं, आपने खुद-ब-खुद अपने अवाम के आगे अपने आपको बेनकाब कर दिया और मुख्तसर तौर पर हमारा यही हमेशा से मौकिफ़ रहा है, यही हमारा पक्ष रहा है कि जिस तरह से ये 10 परसेंट वोटर टर्न आउट के नेता वहाँ से मुंतख़ब होकर आए और अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त, तीन-तीन, चार-चार पीढ़ियों तक आपने कश्मीरी अवाम को ठगा और आज खुद-ब-खुद आप बेनकाब हो गए कि आपको इस बात का ऐतराज है कि कश्मीरी को सरकारी जबान का दर्जा न दिया जाए।

दूसरी बात, क्योंकि हमें लंबा नहीं बोलना है, यह बिल अब पास होने ही वाला है, न यह आपके वश की बात है, न किसी और के, लेकिन कानूनसाज होने के बाद भी आपने यह कह दिया कि जो बिल 5 और 6 अगस्त को पारित हुआ था, वह गैर कानूनी था। हमने तो आप ही से यह सीखा, आप जैसे कानूनसाजों से सीखा that Parliament is supreme. The hon. Member is actually defying and challenging the verdict of the Parliament, the supreme democratic institution of the country. दोनों सदनों ने इसे पारित किया है। आप इस तरह से कहते हैं तो हमें ताज्जुब होता है। इसका मतलब है कि कुछ एक लोगों की ज़हनियत में यह बात घुस गई थी कि निरन्तरता के साथ झूठ बोला जाए, ठगा जाए। You can fool some people for some time, but you cannot fool all the people for all the time. Time has now expired for that phenomena of fooling all the people all the time.

<u>20.00 hrs</u>

आपने ऑटोनोमी की बात की, आपने सेल्फ रूल की बात की। ऑटोनोमी का मतलब क्या है, सेल्फ रूल की मुराद क्या है, यह हमें पहली बार मोदी जी ने सिखाया, वहां पर पंचायतों के चुनाव कराकर। आपने पंचायती राज व्यवस्था नहीं होने दी और जब पंचायतों का चुनाव होता है तो आप

उसका बहिष्कार करते हैं, what kind of self-autonomy and self-rule are you talking of? हमें तो यह सिखाया गया कि जम्हूरियत में सेल्फ रूल का मतलब, स्वायत्तता का मतलब, ऑटोनोमी का मतलब यह है कि उसका जन्म ग्रासरूट से होता है। If it is not the autonomy of the grassroots and if it is not the rule of the grassroots, then whose self-rule and whose self-autonomy is that? It only means autonomy of the self, rule of the self, rule of the family and rule of the dynasty. इसलिए यह जो हो रहा है, I can say with all the confidence at my command that the common man in the streets of Srinagar is rejoicing. He is aspirational. वह अब देख रहा है कि जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी कयादत में, हिन्दुस्तान भर के नौजवानों के लिए अनेक नए मौके खुल चुके हैं, जिससे वह अपने आपको वंचित नहीं रखना चाहता, अपने आपको महरूम नहीं रखना चाहता। इसलिए आपसे गुजारिश है। आप बड़े दानिशवर हैं, बुद्धिजीवी भी हैं कि आप आवाम की आवाज को समझिए। वहां पर जो फिजा बदली है, उस बदली हुई फिजा को जितनी जल्दी आप समझेंगे, हम समझेंगे, उसमें ही जम्मू एवं कश्मीर का भला है, हिन्दुस्तान का भला है। जो आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, it may be music to their ears, लेकिन जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के लिए यह बात तरजुबानी नहीं करती। आप बड़े बुद्धिजीवी हैं। आपने बड़े शायराना अंदाज में अपनी बात रखी। मैं आपको गालिब का एक शेर याद करवा दूं: -

सुन तो सही जहाँ में है तेरा फ़साना क्या,

कहती है तुझ को ख़ल्क़-ए-ख़ुदा ग़ाएबाना क्या।

महोदय, यही कहकर मुझे अपनी बात खत्म करनी है क्योंकि इस वक्त सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यह बिल पास हो और उसके लिए हम ताली बजाएं।...(व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): सर, अभी दूसरे मेम्बर्स यहां नहीं हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ से एक बात पूछता हूं। अभी माननीय मंत्री जी सेन्सस की फिगर्स दे रहे थे।

अध्यक्ष जी, आपको याद होगा, यहां हाउस में, जीरो आवर में कई मेम्बर्स, जैसे सुखबीर बादल जी, कांग्रेस की तरफ से भी कई मेम्बर्स और फारुख साहब ने भी एक गुजारिश की थी कि आप पंजाबी भाषा को भी इसमें इन्क्लूड कीजिए। माननीय मंत्री जी अभी आंकड़े बता रहे थे, तो जरा उनके भी नम्बर्स पता चल जाएं, ताकि उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि उनकी बात किसी ने इस हाउस में रख दी है।

माननीय अध्यक्ष: सही बात है।

श्री जी. किशन रेड्डी: अध्यक्ष जी, यहां यह मूल सवाल उठाया गया कि आपको यह बिल लाने का क्या अधिकार है? इस समय केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर का लेजिस्लेचर मौजूद नहीं है तथा जम्मू-कश्मीर का रिकग्निशन एक्ट, 2019 की धारा 73 के अनुसार दिनांक 31.10.2019 के एस.ओ. नं. 3937(E) के तहत नोटिफाइड प्रोक्लेमेशन लागू है। उक्त प्रोक्लेमेशन के पैरा 4 के अनुसार यूनियन टेरीटरी ऑफ जम्मू-कश्मीर के लेजिस्लेचर पावर्स, पार्लियामेंट के द्वारा अथवा उसकी अथॉरिटी के अन्तर्गत प्रयोग किए जा सकते हैं।

महोदय, दूसरा सवाल यह उठाया गया कि यहां पाँच भाषाएँ क्यों की जाएं? अभी पुदुचेरी है। वह भी यू.टी. है। पुदुचेरी में भी पाँच ऑफिसियल लैंग्वेजेज हैं। वहां फ्रेंच है, अंग्रेजी है, तमिल है,

मलयालम है और तेलुगू भी है। वह बहुत छोटा केन्द्रशासित प्रदेश है। वह जम्मू-कश्मीर से बहुत ही छोटा है और जब वहां पाँच लैंग्वेजेज हो सकते हैं तो जम्मू-कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है?

महोदय, मैं कश्मीर वैली के गांवों में घूमा हूं। कश्मीर के हर घर में लोग कश्मीरी बोलते हैं और कश्मीरी में लिखते हैं। इसलिए इसकी कोई समस्या नहीं है।

महोदय, पिनाकी जी ने भी कुछ पूछा है। इस प्रस्ताव के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान रखे गए हैं।

महोदय, इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स का काम किया गया है, जैसे जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति तथा भाषाओं के अकादमी को और मजबूत करने का प्रयास किया गया है। इन संस्थाओं के द्वारा पंजाबी, गूजरी और पहाड़ी इन तीन भाषाओं का विकास करने के लिए और विशेष कदम उठाने के लिए इस प्रस्ताव के द्वारा प्रावधान सम्मिलित किया जा रहा है।

महोदय, पंजाबी, गूजरी और पहाड़ी भाषा के विकास के लिए कोई भी कमी नहीं होगी। इस बिल के द्वारा तीन भाषाओं को प्रोत्साहित करना, पूरा प्रावधान देना, खासकर पंजाबी भाषा बोलने वाली जनता 1.78 परसेंट है। वे जम्मू-कश्मीर में रहते हैं। उनके लिए पंजाबी भाषा को प्राथमिकता देते हुए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए साहित्य समृद्धि और पृष्ठभूमि का भी प्रावधान शामिल किया गया है। पंजाबी भाषा के लिए कोई भी कमी नहीं होगी। न्यू एजूकेशन पॉलिसी के तहत छात्राओं को कक्षा पाँच तक अपनी मातृभाषा में विषयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारी सरकार किसी भी क्षेत्रीय भाषा के विरूद्ध नहीं है। इस बिल में 70 परसेंट लोगों की बोलने वाली भाषा कश्मीरी और डोगरी को प्राथमिकता दी गई है।

महोदय, उर्दू और इंग्लिश के साथ-साथ कश्मीरी, डोगरी और हिन्दी भाषा को यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल पर्पस की भाषाओं के रूप में स्वीकार किया जाना अपेक्षित है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी माननीय सांसदों से अनुरोध करता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेज बिल, 2020 को पूरी तरह से पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"That the Bill to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 से 4

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI G. KISHAN REDDY: I beg to move:

"That the Bill be passed".

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

20.08 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि कल सभा की कार्यवाही शाम को छह बजे से प्रारंभ होगी। इसके बारे में केवल माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री सत्यदेव पचौरी जी।

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्य काल में आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत साधुवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान उत्तर-पूर्व रेलवे के इज्जतनगर मंडल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र कानपुर नगर के अनवरगंज से मंधना रेलवे लाइन को हटाकर मंधना को पनकी से जोड़े जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस रेलवे लाइन को हटाए जाने की आवश्यकता व गंभीरता को दर्शाते हुए, इस संबंध में माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मैंने अनेकों बार पत्रों के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आकर्षित किया है।

महोदय, मेरे संज्ञान में यह भी लाया गया है कि रेलवे द्वारा इस संबंध में फील्ड सर्वे भी कराया गया है और एस्टिमेट भी बनवाया गया है। अभी उस एस्टिमेट से आगे कार्रवाई नहीं बढ़ी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। यह 16 किलोमीटर की रेलवे लाइन कानपुर शहर के बीचों-बीच से जाती है, जिससे कानपुर शहर उत्तर और दक्षिण दो भागों में बंट जाता है। वहां 16 किलोमीटर की लाइन पर 18 फाटक हैं। 50 जोड़ी रेलगाड़ियां रोज यहां से निकलती हैं। हर 10 मिनट में फाटक बंद हो जाता है। जीटी रोड के समानांतर होने के कारण वहां फाटक बंद होता है और जाम लग जाता है। इस समस्या को गम्भीरता से स्वयं रेलवे ने लिया।

हाल ही में उत्तर-मध्य रेलवे ने एक सर्वे टीम वहां भेजी। उस सर्वे टीम ने भी अपनी रिपोर्ट माननीय रेल विभाग के उत्तर-मध्य जोन कार्यालय को भेज दी है। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस रेलवे लाइन को हटाना कानपुर के विकास के लिए नितान्त आवश्यक है। मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करके रेलवे लाइन को हटाने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय रात 10 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज' (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधान मंत्री जी को मछलीशहर लोक सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। जो कृषि सुधारों का ऐतिहासिक विधेयक पास हुआ, वह किसानों के हित में पास हुआ। एक देश, एक बाजार, बिचौलिया मुक्त हुए किसान।

महोदय, हम लोग जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, इसलिए देश और जनता के प्रति जवाबदेह भी हैं। देश के गरीब, किसान, मजदूर और लाखों लोगों ने प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना का लाभ लिया। इस योजना को देशवासियों ने बहुत सराहा। जो गरीब 500 रुपये या 1,000 रुपये तक का इलाज नहीं करा पाते थे, पैसे के अभाव में दम तोड़ देते थे, आज उनको पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर मिल रहा है। लाभार्थी प्रधान मंत्री जी को दुआयें दे रहे हैं। लाखों गरीबों की इस योजना के माध्यम से जान बचाई जा सकी है।

महोदय, जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र मछलीशहर में जनता से मिलता हूं, तो उनका एक सवाल बहुत मार्मिक होता है कि क्या मेरा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड बनेगा? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना के तहत जो पात्र लाभ से वंचित रह गए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में पुन: योजना लागू करवाने की कृपा करें, जिससे वंचित गरीब, किसान, मजदूरों को भी प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना का लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपेन्द्र सिंह रावत (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपने संसदीय क्षेत्र बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय की कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र बाराबंकी में एक ही केंद्रीय विद्यालय है। इस विद्यालय में केवल एक ही शिफ्ट का संचालन होता है। इस कारण जनपद बाराबंकी में रहने वाले सभी वर्ग के छात्रों का वर्ष-प्रतिवर्ष एडमिशन के लिए दबाव बना रहता है। जो लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उनका भी एडमिशन नहीं हो पाता है। मेरी सिफारिश पर भी जब एडमिशन नहीं हो पाते हैं, तो मुझे बहुत निराशा होती है।

ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का रूझान देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। उनके एडमिशन पर्याप्त मात्रा में न हो पाने की वजह से मैं एक सिफारिश आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष रखता हूं। मेरे बाराबंकी जनपद में एक अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय की स्थापना माननीय मंत्री जी कराने का कष्ट करें अथवा जब तक दूसरे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना न हो सके, तो उसका एक और विकल्प भी है।

जो केन्द्रीय विद्यालय पहले से संचालित हैं, उसमें दूसरी पाली का संचालन शुरू करा दें तो हमारे जनपद के बहुत सारे गरीब बच्चों को उसमें पढ़ने का मौका मिलेगा। उनका भविष्य सुधरेगा, उनका भविष्य संवरेगा, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। माननीय मंत्री जी ऐसा कुछ निर्देश देने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए अभी एक महत्वपूर्ण बिल पास कराया है, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। पन्द्रहवीं लोक सभा से मैं लगातार कांग्रेस सरकार से मांग करता रहा हूं कि किसानों की लागत का डेढ़ गुना मूल्य किसानों को दिया जाए। लेकिन कांग्रेस

की सरकार ने किसानों की उस भावना को नहीं समझा। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों की लागत का डेढ़ गुना नहीं, बल्कि दोगुना मूल्य देने की पूरी व्यवस्था की है। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र बांदा जहां से मैं चुनकर आता हूं, वहां अभी मई-जून, 2020 में किसानों की चने की फसल खरीदी गई। नारायणी और बांदा क्षेत्र में चने की फसल का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। यह इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि जिलाधिकारी ने एक रिपोर्ट दी कि इन्होंने ज्यादा फसल बेच दी, एक मानक से अधिक बेच दी।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि मानक का बिन्दु बीच में अधिकारी लोग लगा देते हैं, उसको खत्म किया जाए। बांदा और नारायणी में किसानों के चने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, मैं आपके माध्यम से भुगतान कराए जाने की मांग करता हूं।

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, through you, I want to thank our hon. Prime Minister for establishing the Venture Capital Fund for the Scheduled Castes, which was set up under the Ministry of Social Justice, in the Budget 2014-15. Sir, Rs.200 crore was also allocated for this purpose and the Industrial Finance Corporation of India was the executing company for this scheme. The awareness about the scheme is very poor. The Parliamentary Standing Committee while examining this Scheme found that the Fund management by the IFCI has not made an adequate investment in the financial year 2017-18.

In 2015-16, it invested only Rs.1 crore out of the allocation of Rs.102 crore. Given that, the Scheme has the potential of creating entrepreneurs from the Scheduled Castes community. Hence, I urge the Government to raise awareness about this Scheme in all the States including Gujarat. The procedure for getting funds must be simplified and 100 per cent utilisation of budget is needed to ensure that the benefits of the scheme reach the poor.

DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA (SURENDRANAGAR): Sir, in India, 800 communities are classified as DNT/NT. They were respectively known as habitual criminal tribes and tribes without address before Independence. Both these tribes, and other sub-castes of Koli *Samaj* like Talpada Koli, Adiya Koli, etc. are educationally and socially backward even after 72 years of Independence. Our beloved Prime Minister, Shri Narendra *Bhai* Modi believes in "*Sabka Saath*, *Sabka Vikas".*

Recently, the New Education Policy, 2020 was approved by the Cabinet. Prior to its implementation in India, please add sub-caste of Koli Samaj in DNT/NT and give importance to the DNT/NT so that they receive better education, promote skill development and employment opportunities.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं आपके माध्यम से सरकार से देश की एक बहुत ही प्रचलित और मीठी मगही भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज करने की मांग रखने जा रहा हूं।

महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं मगही में बोलना चाहता हूं ?

माननीय अध्यक्ष: आप बोलिए।

…(व्यवधान)

***श्री सुशील कुमार सिंह :** माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात मगही भाषा में रखने की अनुमति दी।

मगही भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। मगध साम्राज्य भारत का ऐसा साम्राज्य है, जिसकी सीमा एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ वर्तमान बांग्लादेश तक थी। मगध साम्राज्य का इतिहास एक समय का भारत का इतिहास था। बिंबिसार के द्वारा यह साम्राज्य स्थापित किया गया। इनके सुपुत्र अजातशत्रु थे। मगध क्षेत्र में एक से एक महात्मा, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। अशोक मगध के चक्रवर्ती सम्राट थे। चन्द्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के हैं, महात्मा बुद्ध ने मगध की धरती पर जाकर ज्ञान प्राप्त किया। मगध साम्राज्य का इतिहास ऐसा है, जहां विश्व विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय है। यहां बहुत बड़े क्षेत्र में, बिहार, झारखंड के बहुत बड़े क्षेत्र में आज कई ऐसे प्रदेश हैं, जहां ज्यादातर जनसंख्या और क्षेत्रफल में यह भाषा बोली जाती है। इस भाषा की अपनी लिपि भी है जिसे कैथी कहा जाता है। इसका अपना व्याकरण भी है। इसका इतिहास बहुत स्वर्णिम है। यह भाषा बहुत सरल है, बहुत मीठी है और हिंदी से मिलती-जुलती है।

आज संयोग है कि लोक सभा में कश्मीरी, उर्दू और डोगरी भाषा के संबंध में चर्चा भी हुई है और बिल भी आया है। हमारी हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है कि आप अपने आसन से सरकार को निर्देश दें, आदेश दें कि ऐसी सुप्रसिद्ध भाषा, जिसका इतना स्वर्णिम इतिहास है, को संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज किया जाए ताकि अभी तक इस भाषा और मगध के भाषा-भाषी लोगों के साथ

*Hindi translation of the speech originally delivered in Magahi

भाषा के मामले में जो अन्याय हुआ है, खत्म हो। मेरा अनुरोध है कि मगही भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज किया जाए।

आपने मुझे मगही भाषा में बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं पूरे मगध की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री कौशलेन्द्र कुमार को श्री सुशील कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शान्तनु ठाकुर : उपस्थित नहीं।

श्री राहुल कस्वां।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत चुरू लोक सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में खरीफ का जो क्लेम आबंटन हुआ, वह करीब 500 करोड़ रुपये के करीब था। किसानों में बड़ी खुशी का माहौल है। इसमें कुछ कमियां रही हैं। हम पहले प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं, इसमें बैंक प्रीमियम काट लेता है तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि इसे बीमा कंपनी को डिपोजिट करे और साथ ही भारत सरकार के पोर्टल पर एंट्री करे।

महोदय, कई बार बैंक के अधिकारियों ने बैंक के पोर्टल पर एंट्री नहीं चढ़ाई और इस कारण बीमा पॉलिसी नंबर जनरेट नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी बातें हमें देखने को मिलती हैं। वर्ष 2018 में खरीफ की समस्या आई तो हमने 2019 दिसंबर में दोबारा इसे खुलवाया। अब वर्ष 2019 में प्राब्लम आई तो हमने सरकार से दोबारा पोर्टल खुलवाने की मांग की है। वर्ष 2017-18 में जिन किसानों का

प्रीमियम बैंक ने काट लिया, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन सीधे तौर पर कहती है कि जिम्मेदारी बैंक या बीमा कंपनी की होगी कि क्लेम दे।

लेकिन, बैंक द्वारा आज तक उस पोर्टल पर एंट्री न करने के कारण किसानों का जो प्रीमियम काटा गया है, बैंक उसको दोबारा उनके एकाउंट में डिपॉजिट कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से निवेदन करना चाहूंगा कि, जिन बैंकों ने पोर्टल बीम पर नही चढ़ाया, उनमें कमी की तथा जिन किसानों का प्रीमियम नहीं लौटाया, उन किसानों को क्लेम देने का काम करें और किसानों की वर्ष 2017 और वर्ष 2018 की खरीफ की जो पेमेंट और क्लेम रूकी हुई है, उनको क्लेम देने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शान्तनु ठाकुर (बनगांव): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्या को सदन में रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र बनगांव लोक सभा के अंतर्गत भारत-बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है, जिसके अंतर्गत आईसीपी पेट्रापोल स्थित है। इस पेट्रापोल के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से लगातार गाय, सोना, ड्रग्स और दूसरी तरह के पदार्थ की तस्करी ...* और ... * आपस में मिलकर अवैध करोबार का व्यवहार कर रहे हैं। यहां तक कि इस तरह के लोग स्थानीय युवकों को भटकाकर उनके जीवन को अंधकारमय बना रहे हैं।

अत: आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस विषय को अपने संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाएं। धन्यवाद।

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री शान्तनु ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ओडिशा राज्य में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैं एक महिला हूं। ओडिशा राज्य मेरी कर्मभूमि है। इसलिए, मैं बहुत उद्विग्न हूं और परेशान हूं। ओडिशा राज्य की जनंसख्या साढ़े चार करोड़ के आस-पास है। इसमें आधा हिस्सा महिलाएं हैं। मैं आज आपके समक्ष इस आधे हिस्से की सुरक्षा और उनकी मर्यादा की रक्षा के विषय में बात करना चाहती हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का वर्ष 2018 का रिपोर्ट हस्तगत हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में ओडिशा राज्य देश में तृतीय स्थान पर खड़ा है। प्रत्येक एक लाख लोक संख्या में करीबन 91.3 अपराध महिलाओं के प्रति ओडिशा राज्य में हो रहे हैं। यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह तथ्य एनसीआरबी की रिपोर्ट से मिला है। ...(व्यवधान) For every one lakh population, one has to remember that there are 91.3 numbers of crimes in Odisha. इसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपराध दंड की दर बहुत कम है। यह 8.3 है। ...(व्यवधान) मैं तथ्य के आधार पर बात कर रही हूं। मैं तथ्यविदित ऑर्गुमेंट कर रही हूं। ओडिशा में कनविक्शन रेट डिस्मल 88.3 परसेंट है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि जो बैलेंस ऑफ केसेज हैं, जिन केसेज की पेंडेंसी हैं, वे ओडिशा में 94.7 परसेंट है। दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा में जो वूमेन शेल्टर होम्स हैं, वहां पर लगातार महिलाओं के प्रति अपराध की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से देश में ओडिशा राज्य तृतीय स्थान पर है, यह एनसीआरबी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। कुछ दिन पहले मलकानगिरी जिले में एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, बीरमित्रपुर में एक छोटी बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ। राज्य सरकार की तरफ से जिस प्रकार के कठोर कदम उठाए जाने

चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए। स्थिति बहुत गंभीर है, चिंताजनक है और दु:खदायक है। ...(व्यवधान) मैं एक महिला हूं, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से अनुरोध करूंगी कि वे राज्य सरकार से बातचीत करें और एक प्लान ऑफ ऐक्शन लें, जिसमें स्पेसिफिक टाइम लाइन्स हो। महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, वे कम होने चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं, पूर्व की सरकारों का जंगल राज और गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए, जब आदरणीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2005 में सरकार बनाई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 15 साल में बिहार इतना बदल जाएगा। पहले बिहारी कहलाना एक शर्म की बात मानी जाती थी, परंतु अब बिहार प्रदेश के लोग पूरे देश-विदेश में अपनी सक्षमता और नीतीश सरकार की अच्छी पहल के कारण सफलता का परचम लहरा रहे हैं। यह बदलाव आदरणीय मुख्य मंत्री जी के सुशासन काल में हुआ है। आज बिहार की एनडीए सरकार के सुशासन में आगे बढ़ते हुए बिहार को पूरा संसार देख रहा है। वैसे तो एक गाना है कि "हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना बच्चों संभाल के" यहाँ भविष्य का जिक्र है, परंतु हमारे मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से यह कहा जा सकता है कि "हम लाए हैं जंगलराज से किश्ती निकाल के, बिहार को रखना है खूब संभाल के" यहाँ जंगलराज से मेरा क्या तात्पर्य है, यह किसी से छिपा नहीं है। एन.एच. 110 जहानाबाद से अरवल को बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी यह रोड जगह-जगह से टूट गई है। यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोग भी काफी परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से एन.एच.ए.आई के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मांग करता हूँ कि इस रोड को जिन्होंने बनाया या बनवाया, उनकी जिम्मेवारी तय करते

हुए उसकी एन.क्यू.एम या उच्च स्तरीय जांच की जाए एवं इसके अपग्रेडेशन का काम पूरा कराया जाए।

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण' की स्थापना की ओर दिलाना चाहती हूँ। इसकी स्थापना प्रयागराज में न करके अन्यत्र करने का जो निर्णय लिया गया है, उस संबंध में मेरी मांग है कि उक्त अधिकरण के सुचारू संपादन हेतु यह उचित होगा कि प्रयागराज (इलाहबाद) को केंद्रित करते हुए उक्त अधिकरण का गठन किया जाए। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ इलाहबाद, प्रयागराज है और प्रदेश के मात्र 13 जनपद ही दूसरी बेंच से जुड़े हुए हैं। संपूर्ण प्रदेश से जुड़े हुए लोग न्याय हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय आते हैं। उक्त पीठ के प्रयागराज में ही गठन के बाद उन्हें न्याय के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। इस बारे में मेरी माँग है कि प्रत्येक स्थितियों में प्रयागराज को केन्द्रित करते हुए अधिकरण की स्थापना की जाए।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न प्रदेश सरकारों द्वारा विभिन्न अधिकरणों की स्थापना, जहां माननीय उच्च न्यायालयों की मुख्य पीठ स्थापित हो, वहां न करके विभिन्न कारणों से अन्यत्र कर दी जाती हैं, जिससे विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस हेतु केन्द्र सरकार के स्तर से स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाने का अनुरोध है।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विजय कुमार (गया): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में अति लोक महत्व का विषय उठाने की अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र गया में पितृपक्ष के अवसर पर प्रत्येक साल विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले में देश-विदेश से

लोग आते हैं। इस वर्ष कोरोना के कारण पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं हो सका जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद भी सैकड़ों लोगों ने पैदल और साइकिल से गया पहुंचकर अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति हेतु पिन्डदान किया। पितरों का मोक्ष या तर्पण गया जी (बिहार) में आदिकाल से चलता आ रहा है। श्री राम जी भी अपने पितरों का तर्पण कराने गया जी आए थे, जिसका उल्लेख पुराणों में और देवस्थलों में विद्यमान है।

आज ही बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने गया में दो वाटर प्रोजेक्ट का शिलान्यास वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया है, जिसमें पाइप के द्वारा गंगा नदी से फल्गु नदी में पानी लाने के लिए 2600 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। फल्गु नदी में बारह मास पानी रहे, इसके लिए रबर डैम प्रोजेक्ट 266.5 करोड़ रुपये का है।

इसके लिए मैं, सदन के माध्यम से, माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार के पर्यटन मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इस पितृपक्ष तर्पण मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित कर, राष्ट्रीय स्तर पर इसका विकास किया जाए, जिससे गया का भी विकास होगा। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, इसके मैं लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री विजय कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

Hon. Speaker Sir, since long, Odisha has been a connection-deficit State. The present tele-density of Odisha is 75 per cent against 90 per cent of all India.

There are nearly 51,353 villages, out of which 11,000 villages have no mobile connectivity. The State has the maximum number of uncovered villages in the country. The quality of mobile connection is a major concern in view of requirement of data connectivity for citizen-centric applications including digital payment being promoted by the Government. During this COVID-19 pandemic, all work is being done through digital platform and people are dependent on internet for access to basic necessities like online education of students, work from home etc. Out of 47,677 inhabited villages, at least 37,737 were connected by mobile service while the rest 9,940 are uncovered and most of them fall in tribal districts and LWE-impacted districts. The data connectivity to the existing mobile towers should be improved with special emphasis on tribal and LWE-impacted areas. I urge upon the Government to address the distress posed by resultant digital divide in Odisha with utmost urgency.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो मैं पहले महिला सदस्यों को बोलने की अनुमति देता हूं।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

माननीय अध्यक्ष: उसके बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सदस्यों को बोलने का मौका देंगे। नौजवानों को बाद में समय मिलेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपनी बात को एक मिनट में समाप्त करने का प्रयास करें, आवश्यकता हो तो डेढ़ मिनट कर दें, लेकिन एक से दो मिनट के बीच में अपनी बात को समाप्त कर दें।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष जी, माँ जानकी की प्राकट्य स्थली होने के नाते सीतामढ़ी के पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व से हम सभी अवगत हैं। फिर भी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीतामढ़ी का अब तक समुचित विकास संभव नहीं हो पाया है। देश के दूसरे प्रमुख शहरों से लोगों के आने जाने के लिए भी पर्याप्त आवागमन की सुविधा नहीं है। यह गर्व की बात है कि सरकार द्वारा दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण एवं अयोध्या के कायाकल्प का काम किया जा रहा है, जिसमें रेलवे भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि माता सीता के बिना प्रभु श्रीराम की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए सीतामढ़ी के धार्मिक महत्व को देखते हुए एक पर्यटन स्थल के रूप में इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की महती संभावनाएं हैं। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे जोन अंतर्गत चलने वाली कुछ ट्रेनों जैसे ट्रेन संख्या 12557 / 12558 (सप्त क्रांति एक्सप्रेस) एवं ट्रेन संख्या 13419 / 13420 (जनसेवा एक्सप्रेस) का विस्तार सीतामढ़ी तक किया जाए तथा ट्रेन संख्या 12565 / 12566 (बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस) और ट्रेन संख्या 11061 / 11062 (पवन एक्सप्रेस) के रूट में संशोधन कर इसका परिचालन वाया सीतामढ़ी कराए जाने से पर्यटन के क्षेत्र में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही, इससे रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

अत: सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सीतामढ़ी के आध्यात्मिक एवं पौराणिक महत्व एवं पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत चलने वाली उपरोक्त ट्रेनों के रूट में परिवर्तन कर सीतामढ़ी स्टेशन से इनका परिचालन सुनिश्चित कराया जाए। सीतामढ़ी मेरा क्षेत्र है। सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी, तीनों जगह हमारे क्षेत्र में हैं।

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): Thank you, hon. Speaker, Sir. Through you, I would like to draw the kind attention of the hon. Minister of Tourism and Culture to the integrated development of Rakta Tirtha Eram, known as the Pilgrim of Blood, at Basudevpur in Bhadrak parliamentary constituency.

On 28th September, 1942 during the Quit India Movement, the massacre that took place at Eram in the erstwhile Balasore district, now Bhadrak district, is a ghastly event in the history of India's freedom struggle. It is befittingly called the second Jallianwala Bagh tragedy of India where 29 persons were martyred and 56 persons were injured. Among the dead of Eram massacre there was one woman named Parti Bewa, who is regarded as the only lady martyr of Odisha. It is true that nowhere in India so many people were killed in a single police action during the Quit India Movement, and because of it Eram is popularly known as Rakta Tirtha Eram, the Pilgrim of Blood. It has a huge tourist potential.

Through you, Sir, I would request the hon. Minister to declare the above place as one of the unique historical places and facilitate research scholars, historians, and tourists at large to approach this place. Thank you, Sir.

Bande Utkala Janani.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you Speaker, Sir, for giving me the opportunity to speak in 'Zero Hour'.

Our State Government of Andhra Pradesh is promoting raising of new coffee plantations on the lands of tribal farmers under MGNREG Scheme from 2009 onwards, as an area specific work in the Fifth Schedule Areas of the Eastern Ghats in Visakhapatnam district. This special project has sustained the livelihoods of many tribal families and improved their living standards. Only the wage component is taken up under MGNREGS and the material component is being funded by the State Government.

The Ministry of Rural Development has recently delisted the works related to coffee plantations from permissible activities under the MGNREG Scheme. Since coffee plantations provide sustainable income resources to small and marginal farmers, and tribal households, through you, Speaker, Sir, I would request the Ministry of Rural Development to give permission for coffee plantation under MGNREG Scheme, as is given to the State of Kerala for rubber plantation. Thank you, Sir.

श्रीमती हिमाद्री सिंह (शहडोल): अध्यक्ष जी, मेरा लोक सभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में कोयले की खदानें पर्याप्त मात्रा में संचालित हैं। इस कारण विभिन्न राज्यों के लोग यहां निवासरत हैं। इस क्षेत्र के लिए नागपुर चिकित्सा का मुख्य केंद्र है, जहां मेरे क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में ईलाज के लिए जाते हैं। आवागमन के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन न होने की वजह से लोगों को कठिनाई का सामना

करना पड़ता है। आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि कटनी-बिलासपुर मार्ग से होकर नागपुर के लिए एक नई डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए और मेरे संसदीय क्षेत्र के मुख्य मार्ग से होकर बिलासपुर, अनुपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर से कनेक्टिविटी के लिए पूर्व में संचालित किसी एक दैनिक ट्रेन का पुन: संचालन आरंभ किया जाए, जिसका संचालन वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण बंद है।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को श्रीमती हिमाद्री सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में दो विधान सभा क्षेत्रों लालासौट और सिकराय को जोड़ने वाला एक ऐसा मार्ग है, जो दुर्गम पहाड़ों के बीच में से निकलता है, जिसे पपलाज माता जी क्षेत्र कहते हैं। यह 22 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 25 ढाणिया और गांव हैं, जहां दूरभाष की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। वह पहाड़ों का दुर्गम क्षेत्र है। वहां टावर लगाए जाएं या टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है कि ढाणी को इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। इस क्षेत्र में फोन सुविधा आज बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए यहां टावर के माध्यम से या लाइन बिछा कर किसी भी तरह से दूरभाष की सेवा उपलब्ध कराने में आप मदद करेंगे। यहां की साक्षरता दर अत्यंत न्यून है। इस क्षेत्र के दोनों विधायक कांग्रेस के हैं और आज दोनों राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज न यहां शिक्षा है, न आंगवाड़ी केन्द्रों के भवन हैं और न ही स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में अगर इनको दूरभाष सेवा मिलेगी, तो ये कम से कम संपर्क साधने में सफल होंगे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती जसकौर मीना द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बड़े संवेदनशील विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैंने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक खबर सुनी। उसमें यह होता है कि दो संयासी एक ड्राइवर के साथ जाते हैं और एक जगह भीड़ इकट्ठी होकर, उनको मार-मार कर, पीट-पीट कर हत्या कर देती है। यह एक सामान्य-सी घटना लगती है, लेकिन क्या यह सच है। क्या उन संयासियों ने किसी का कुछ बिगाड़ा था, हत्या की थी या उनका किसी ने कुछ छीन लिया था। वे सिर्फ अपने रास्ते से अपने गुरू के यहां उनके अंतिम संस्कार में जा रहे थे।

महोदय, कोरोना काल था, भीड़ इकट्ठा होने का कोई विषय नहीं था, लेकिन पीट-पीट कर उनकी हत्या कर दी जाती है। यह सुनने में एक सामन्य घटना लगी थी, लेकिन इसके पीछे जब हम गए तो उसमें हम ने पाया और बहुत-सी समितियों ने इसकी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में पाया गया कि उन संतों का सिर्फ इतना दोष था कि वे हिन्दू थे, सनातनी थे, भगवाधारी थे। उन दो संयासियों में एक नाम महाराज कल्पवृक्ष गिरी था। उनकी आयु 70 वर्ष की थी, जो वृद्ध थे। दूसरे श्री सुशील गिरी महाराज थे, जो 33 वर्ष के युवा थे और उनका ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, श्री नीलेश तेलगड़े था, ये सभी हमारे सतेह पंचदशनाम जूना अखाड़ा से संबंधित थे, जिस अखाड़े से मैं हूं। महाराज, मैं पीड़ित हूं।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि आखिर यह सब कैसे हुआ? क्या भीड़ वहां पहले से इकट्ठी थी? मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह संवेदनशील विषय है। वहां भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। ये लोग वहां से यात्रा करके निकल जाते हैं। वे दादरा-नागर हवेली तक पहुंचते हैं। वहां से उनको वापस कर दिया जाता है। उनको आगे नहीं जाने दिया जाता है। जब वे

वहां से वापस आ जाते हैं, तो उस भीड़ के बीच में जब उनको पकड़ लिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि दादा आला, दादा आला। यानी वहां किसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा थी और वह व्यक्ति दादा आला वहां पहुंचता है और सब साथ में मिल कर उन साधु-संयासियों की पीट कर हत्या कर देते हैं। जब वे संयासी चौकी में जाते हैं तो पुलिस वाले स्वयं वहां जाकर भीड़ को सौंप देते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है।

महोदय, यह ऐसे ही नहीं होता है। इस स्थान का पुराना इतिहास है। इस स्थान पर सीपीएम के लोगों का अधिकार है। वह वहां के लोगों को ...*बोलते हैं, भ्रमित करते हैं और वहां के लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं।

महोदय, मैं यह ऐसे ही नहीं कह रही हूं। मैं एक घटना ठीक इसके चार दिन पहले की बताती हूं। ठाणे के एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. बलबीर भोजन और भोज्य वस्तुओं को दान में वितरीत करने के लिए सारणी गांव के दौरे पर थे, उन पर हमला किया गया था। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के कारण किसी तरह से उनकी जान बच गई। किन्तु पुलिस वाहनों के साथ-साथ उनके वाहन क्षतिग्रस्त हुए और वे अपनी जान बचा कर भागे। इनका अपना पुराना इतिहास है।...(व्यवधान) कृपया आप मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दीजिए। ये सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। क्षेत्र के संगठनों ने बाहरी लोगों को लाकर सीएए और एनआरसी का विरोध किया।

वे दावा करके नफरत फैलाते हैं कि देश का संविधान उनके अनुसार नहीं चलता है क्योंकि वहां की सरकार वनवासियों-आदिवासियों की नहीं है। यहाँ के आदिवासी पहले के निर्धारित लोग हैं और जो बाकी लोग हैं, वे यहां के नहीं हैं। इसलिए उनका अधिकार है।

---

* Not recorded.

महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसकी जाँच की जाए। उसकी जाँच भी नहीं की जाती है। किडनी चोर का आरोप लगाकर कह दिया जाता है ताकि लोग उनको मार डालें। यह विषय नहीं है, न तो इस विषय की जाँच हो रही है, न ही इस विषय को किसी को दिया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि इस विषय को सीधे सीबीआई या एनआईए को सौंपा जाए ताकि हम सनातनी साधु-संन्यासी कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखते, कभी असहिष्णु नहीं होते। हमारे यहाँ सभी के लिए स्थान होता है। परन्तु, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त ... * के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में वनवासी, भोले-भाले, अनपढ़ गरीब लोगों को भ्रमित करके और उन पर दबाव बनाकर चुनाव के समय में उनको धमकियाँ देते हैं, वहां के छोटे-छोटे विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करती हूँ कि इसका संज्ञान लिया जाए और एनआईए को जाँच सौंपकर उनके साथ न्याय किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री गोपाल शेट्टी, श्री सुधीर गुप्ता और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मैं आपके माध्यम से आज अपने संसदीय क्षेत्र सीधी के एक आवश्यक विषय पर सदन में अपनी बात रखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि माननीय रेल मंत्री जी तक यह बात आवश्यक रूप से पहुंचे।

---

* Not recorded.

ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना, जो दो वर्षों से लंबित थी, वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस परियोजना को गति दी। मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों बेरोजगारों ने इस परियोजना के भाग- रीवा से सिंगरौली तक के लिए जमीनें इस आस में दीं कि हमारे पूर्वजों का सपना पूरा होगा और कहीं-न-कहीं उन्हें भी रोजगार मिल पाएगा।

11.11.2019 को रेल मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें लिखा था कि रेलवे की किसी भी परियोजना में अब भू-अधिग्रहण के बदले रोजगार नहीं मिलेगा। परन्तु मेरे द्वारा बार-बार आग्रह करने पर माननीय मंत्री जी के निर्देशन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा एक पत्र लिखा गया। 17.12.2019 को इस पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया गया कि इस आदेश को 11.11.2019 से ही प्रभावी किया जाएगा।

मेरा आग्रह भी यही था कि इस आदेश के पूर्व जिनका भू-अधिग्रहण हुआ है, उन्हें रोजगार दिया जाए। मैं अवगत कराना चाहती हूं कि पश्चिम-मध्य रेलवे द्वारा 25.08.2020 को एक पत्र जारी किया गया और उसमें कहा गया कि रोजगार के संबंध में जिनका आवेदन 11.11.2019 के पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है, उनके आवेदन पर कार्रवाई करना संभव नहीं है।

मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहती हूं कि ऐसे बहुत-से लोग हैं, जिनकी भूमि 11.11.2019 के पूर्व अधिग्रहित हुई है। परन्तु उन्होंने आवेदन 11.11.2019 के पश्चात दिया है।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक इतनी बात ही पहुंचाना चाहती हूं कि 11.11.2019 के पूर्व जिन भू-स्वामियों की भूमि ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के भाग- रीवा से से सिंगरौली के मध्य अधिग्रहित की गई है, उन्हें रोजगार प्रदान करने की कृपा की जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती कविता सिंह (सिवान): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने लोक महत्व के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र सीवान है, जहाँ पर पहले बहुत-से उद्योग और कल-कारखाने लगे हुए थे और वह औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था। वहां पर चीनी मिलें हुआ करती थीं, सूत मिलें हुआ करती थीं। लेकिन आज वहां पर कोई कल-कारखाना नहीं है। वहां के युवा गरीब और बेरोजगार हैं।

मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि सीवान जिले की गंभीर समस्याओं को देखते हुए, वहां पर नये कल-कारखाने लगाए जाएं, उद्योग-धंधे स्थापित किए जाएं।

वहां नए उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, ताकि वहां के युवाओं को रोजगार मिले और इस कोरोना काल में वहां लोगों को जिन बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री का सपना आत्मनिर्भर भारत का है, लेकिन हम आत्मनिर्भर भारत का सपना तब ही पूरा कर सकते हैं, जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक बेरोजगारी को दूर कर के रोजगार सृजन नहीं किया जाएगा, तब तक वहां कोई भी विकास के कार्य नहीं हो पाएंगे।

अत: मैं आपसे आग्रह करती हूं कि वहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए-नए आयाम सृजन किए जाएं, ताकि वहां बेरोजगारी दूर हो और हमारी सरकार की आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है, वह साकार हो।

आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

20.56 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हमारे महाराष्ट्र में, अमरावती में, जिस जिले से मैं बिलॉन्ग करती हूं, उसमें 150 साल पुराना जो रेलवे मार्ग है, वह आदिवासी क्षेत्र में है और ब्रिटिश काल से वह रेलवे ट्रैक है। आज उस रेलवे ट्रैक का मार्ग अकोला, अकोट, तेलई, धुलगांव, डबका है। उस रेलवे स्टेशन का नाम खंडवा-अकोला मार्ग दिया गया है। बहुत सालों से इसके ऊपर तैयारी शुरू हो चुकी है, रेल विभाग ने इसे परमीशन दी है, दस साल तक परमीशनें लेने के बाद कहीं न कहीं इसका काम लग सका है और इसका मार्ग ओपन हो चुका है।

मेरी आपसे यह विनती है कि इतने सालों से यह मार्ग, जो कि एक ब्रॉड-गेज मार्ग है, यह बहुत सालों से पेंडिंग है। इसे हमें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए और आदिवासी लोगों को न्याय देना चाहिए। इसे न्याय देने का एक कारण है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार के रेलवे डिपार्टमेंट को एक पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने ब्रॉड गेज की इस पटरी को डायवर्ट करने की और दूसरे मार्ग से ट्रेन चलाने की इन्होंने परमीशन मांगी है।

मैंने माननीय मंत्री, पीयूष साहब को भी इसके लिए पत्र दिया है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर काम किया जाए और जो पत्र आया है, उसे देखकर लगता है कि हमारे सीएम साहब आदिवासियों के विरोध में हैं। अपने कई पॉलिटिकल एमपीज़ के फेवर में बात कर के इस रूट को चेंज किया जाएगा।

मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगी कि यह रूट ऐसे ही रखा जाए और आदिवासी लोग, जो मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, यह रूट ऐसे ही रखकर उन्हें न्याय दिया जाए। जो शकुंतला रेलवे लाइन है, वह बहुत सालों से बंद पड़ी है। इसकी रिपेयरिंग के लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसको बंद कर के हमें इसकी रिपेयरिंग या और कोई काम करना है, लेकिन उसमें कुछ ट्रस्ट्स और एब्रॉड एनआरआईज़ के कुछ शेयर्स हैं, इसलिए वे उसे रिपेयर नहीं कर सकते।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करती हूं कि जिस परिस्थिति में शकुंतला रेलवे लाइन हमारे तालुकाओं को जोड़ने का काम कर रही है और किसानों को इससे अपना सामान एक तालुके से दूसरे तालुके में ले जाने में मदद मिलती है। शकुंतला रेलवे लाइन जिस पोज़ीशन में है, जिस परिस्थिति में है, उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती नवनित रवि राणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्लीज़, समय सीमा का कृपया ध्यान रखें।

…(व्यवधान)

21.00 hrs

*SHRIMATI RANJANBEN BHATT (VADODARA): Hon. Chairman, I thank you for giving me this opportunity to speak in my mother tongue Gujarati during zero hour. Vadodara is known as a city of values and art. It is also famous for its educational institutes. The Railway Academy is functioning in Vadodara since 31st January 1952. Class I and Class II officers of Railways get training in this academy during their service. This Railway Academy and its campus are situated in The Pratap Vilas Palace. This palace along with its campus was gifted to the Government and Railway Department by the family members of Maharaja Shrimant Sayajirav Gayakvad. The Pratap Vilas Palace is also a heritage building of the city and it has a very huge campus with large open space. The office of the Railway Department is also functioning in the Palace. At present, a four-storeyed high-rise building is being constructed opposite this Pratap Vilas Palace. The Rail Development Corporation Ltd is constructing this building. If a high-rise building is constructed opposite this Pratap Vilas Palace, the palace would lose it beauty and visibility.

Sir, we should protect our heritage buildings and therefore through you I request the Railway Ministry and Rail Development Corporation Ltd not to construct the high-rise building there so that the palace does not lose its beauty

* English translation of the speech originally delivered in Gujarati

and visibility. I further submit that Railways should construct this building on other lands of its ownership in the city.

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रंजनबेन भट्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): सभापति जी, नमस्कार।

*Today after about 11 years I am speaking in Gujarati in Parliament for the first time. Surat is the fastest growing city not only in Asia but in the world also. It is famous for its diamond industry. Under the leadership of Hon'ble Prime Minister, the Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Ji has declared our city as free zone. Business of raw material will also start very soon.

At present, during corona pandemic, our diamond industry has resumed its business. It is the first industry to resume its work due to growing demand in international markets and therefore export of diamonds has also started. The cutting and polishing of diamond is quite different in the present times than earlier. About 90 per cent of diamonds of the entire world are cut and polished in Surat. If the stock is worth rupees 200 crores, 7.5 per cent duty is imposed at the time of export; and out of that if the stock worth Rs. 50 crore is returned, it will also attract duty. Therefore, I request that this duty should be reduced. This duty rate should be fixed at two per cent.

* English translation of the speech originally delivered in Gujarati

The international trade has also resumed. There is a need to issue one GR. Hon'ble Finance Minister has conducted webinar with GSPC and diamond industry twice. One commission is also constituted and its report is awaited. Under the present circumstances, the businessmen are facing problems due to GST return. Raw and polished diamonds attract 0.25% GST. The whole process attracts 1.5 to 18% GST. I also request to make provision in law to give service input.

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय है, जिसे ओएनजीसी चलाता है। इसलिए ओएनजीसी में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्पेशल आरक्षण रहता है। हम समझते हैं कि कर्मचारियों के बच्चों को विद्यालय में दाखिला मिलना चाहिए, लेकिन उसमें भी कर्मचारियों के बच्चों के बच्चों को और रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों के बच्चों को भी दाखिले में पहले मौका देने की बात फिर से सोचने लायक है।

मेरी आपसे विनती है कि जो किसान अपना खेत ओएनजीसी को तेल निकालने के लिए देते हैं, उन लैंड लूजर्स किसानों के परिवारों के लिए भी केन्द्रीय विद्यालय में कम से कम 25 परसेंट आरक्षण होना चाहिए। जिन किसानों का नाम जमीन रिकॉर्ड में दर्ज होगा, उनके बच्चों को दाखिला इस आरक्षण कोटे में मिलना चाहिए।

महोदय, ओएनजीसी के कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालय में सबसे पहले केटेगरी – 1 में दाखिला मिलता है, जबकि ओएनजीसी के साथ और ओएनजीसी के लिए काम करने वाले

सीआईएसएफ जैसे केन्द्रीय बलों के जवानों के बच्चों को कैटेगरी – 2 में डाला गया है। जहां उनको दूसरे केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ में गिनती होती है तो जरूरतमंद जवानों के बच्चों को दाखिला नहीं मिलता है। दूसरे सरकारी कर्मचारी जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे जैसे विभागों के कर्मचारियों का तबादला केन्द्रीय बलों के जवानों जितना जल्दी नहीं होता है और इन सब विभागों में ज्यादातर लोकल नागरिक ही कर्मचारी होते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि केन्द्रीय बलों को भी ओएनजीसी के साथ कैटेगरी -1 में समावेश किया जाए, ताकि उनके बच्चों को भी केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिले।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती शारदा अनिल पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया समय सीमा का ध्यान रखें।

*__DR. BHARATIBEN D. SHYAL (BHAVNAGAR):__ Thank you, hon. Chairman Sir. Today I will speak in my mother tongue Gujarati.

I belong to Bhavnagar. Since many years we had been demanding a passport service centre. But the earlier government did not pay heed to our demands. When our visionary leader Shri Narendra Modi ji came to power, our demand was immediately accepted and a passport service centre was started in a post office in Bhavnagar. It is very beneficial and useful to the people of Bhavnagar and Botad districts because earlier they had to go to Ahmedabad and Rajkot for passport related works. Thousands of people got benefit of this

* English translation of the speech originally delivered in Gujarati

passport service centre. But in recent times, due to the corona pandemic and due to the imposition of lockdown, the passport service center has stopped functioning.

Now, as the period of unlock has started and all government offices have resumed their work, I request to the Hon'ble Minister for External Affairs to reopen the passport service centre at Bhavnagar at the earliest so that the people of Bhavnagar and Botad districts may avail the passport related services.

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र बदायूं की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं।

महोदय, शून्य काल में ही एक बार हमने अपने क्षेत्र की चर्चा की थी। मेरा क्षेत्र गंगा के किनारे होने की वजह से बाढ़ से पीड़ित रहता है। बरसात के समय में लोगों को पलायन करना पड़ता है, जिसकी वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी चीजों के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

इस प्रश्न को उठाने के बाद माननीय मंत्री जी का हमें पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनको अधिकारियों के माध्यम से यह सूचना दी गयी कि वहां 95 किलोमीटर काम हो चुका है। 6 सहायता केन्द्र बनाए गए हैं। लेकिन उस पत्र के बाद मैंने जब अपने लोगों और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से जांच करवायी तो पता चला कि वहां सिर्फ मिट्टी गिरी हुई है और पत्थर की ठुकाई का कोई भी कार्य नहीं हुआ है।

महोदय, आज देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी देश के कल्याण के लिए लगातार लगे हुए हैं। जनता के दुखों को

समझकर उसका निस्तारण करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में आने वाले लोग हैं, वे गलत रिपोर्टिंग करके जनता और सरकार के बीच में दूरियों को पैदा करने का काम कर रहे हैं। अत: मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि इसकी जांच करवाकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो सरकारी विरोधी काम करते हैं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. BHARTI PRAVIN PAWAR (DINDORI): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity.

Sir, I wish to bring to your notice that the number of Corona positive cases in Nashik district is increasing at an alarming rate with each passing day. There is a big shortfall in supply of oxygen and beds in the District Hospital at Nashik. My humble request is to kindly consider taking a fresh ground report from the Central squad at the earliest, arrange extra beds at District Civil Hospital, and Rural Hospital at the earliest, and take the needful measures so that the patients can be given proper medical care. Please consider this request at an urgent basis since the condition is serious in the Nashik district.

Hon. Chairperson Sir, through you, I would request the Health Ministry to help in this serious matter at the earliest. Thank you very much.

माननीय सभापति : श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं आपका ध्यान पिछले साल के शीतकालीन सत्र की तरफ दिलवाना चाहती हूं जब नियम 193 के तहत पॉल्यूशन पर हमने चर्चा की थी। आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको ध्यान होगा कि उस समय हमारी सांसद श्रीमती नवनीत रवि राणा पॉल्यूशन की वजह से फेस मास्क लगाकर आयी थीं। उस समय यह कहा जा रहा था कि दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है। हम सब इतने हैरान हुए थे कि मास्क में वह कैसी लग रही हैं। हमें क्या मालूम था कि तीन महीने बाद हम सभी को मास्क लगाकर आना पड़ेगा। हम सबका यही हाल होने वाला है।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलवाना चाहती हूं, क्योंकि जो पैडी है, अब उसके कटने का समय आ गया है। इसलिए हमने बहुत कोशिश की है, हमारे किसान भाइयों को समझाया है। वहां पर पराली न काटने पर उनको प्रोत्साहन राशि देने के लिए भी कहा गया है। लेकिन फिर भी मुझे यह लगता है और कुछ लोग यह बताते हैं कि यह हमारी मजबूरी है। अगर उन्होंने वहां पर स्टबल बर्निंग की, तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कोरोना महामारी में सारा खेल सांस का है और आक्सीजन का है। अगर इस तरह से पॉल्यूशन बढ़ गया, तो मेरी माननीय अध्यक्ष जी से यह गुजारिश है कि अगर हम इसके ऊपर नियम 193 में कम से कम आधे घंटे की चर्चा करेंगे, तो अच्छा रहेगा।

मैं सदन के सभी माननीय सांसदों का ध्यान इसकी तरफ दिलवाना चाहती हूं। मैं आपके माध्यम से जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं और जो रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है, मैं उनसे यह आग्रह करना चाहती हूं कि अगर वे वहां पर पैडी रेजिड्यू-बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाते हैं, तो उसमें विन-विन सिचुएशन रहती है कि एक तरफ हमारी जितनी भी पराली है, उसका इस्तेमाल हो जाएगा। इसके साथ

ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जेनरेट होगी। इसलिए, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करती हूं। अगर हमें बाद में नियम 193 के तहत इसको डिस्कस करना पड़े, आपको ध्यान होगा कि हमें 20 मार्च को बीच में ही रोकना पड़ा था। महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को सुश्री सुनीता दुग्गल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा) : सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। मैं इसके साथ ही साथ हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं। अभी किसानों के लिए जो बिल पास हुआ है, किसानों के हितों को देखते हुए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ यह सरकार चल रही है। हर तबके के लोगों को सुविधाएं मिल सकें, सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। इसी के तहत किसानों के लिए जो यह ऐतिहासिक बिल पास हुआ है, मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहती हूं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा में भी काफी मात्रा में लोग खेती करते हैं। आज खेती के साथ-साथ मत्स्यपालन की ओर भी लोगों का काफी ध्यान जा रहा है। इस कोरोना महामारी के दौर में हमारे क्षेत्र के बहुत से लोग जो बाहर काम कर रहे थे, वे आज वापस आ गए हैं। सरकार उनको 'आत्मनिर्भर भारत योजना' के तहत रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार के द्वारा काफी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनके माध्यम से भी उनको काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कृषि में दलहन-तिलहन के अलावा लोग सब्जी की भी खेती बड़ी संख्या में करते हैं। इसलिए सब्जी की खेती के लिए, जो उसके कृषक हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाया

जाए। इसके साथ ही साथ जो मत्स्यपालक हैं, जो मत्स्य का उत्पादन कर रहे हैं, वहां पर उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मत्स्यपालकों को भी सुविधाएं दी जाएं।

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में रेल की सुविधा पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है। भरतपुर के रेल यात्रियों को यात्रा करने के लिए अन्य स्टेशनों पर जाना पड़ता है। रेल सेवा नंबर 12401 एवं 12402 कोटा-देहरादून नंदा देवी एक्सप्रेस का ठहराव बयाना जंक्शन पर जनहित में किया जाए। बयाना में लाल पत्थर की मंडी है एवं देश के कई स्थानों पर भवन निर्माण में लाल पत्थरों का प्रयोग हो रहा है, जिससे लाल पत्थरों के कारोबार में लगे हुए लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। भारत के कई पर्यटन स्थल बयाना क्षेत्र के आसपास हैं, जिससे पर्यटकों को बयाना आने-जाने में सुविधा मिल सके।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल) : सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र सम्भल की रेलवे लाइन को वाया हसनपुर-गजरौला रेलवे मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव काफी मुदद्तों से ज़ेर-ए-ग़ौर है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है।

संभल को चंदौसी जंक्शन से भी जोड़ा जाना है। जिस पर सिर्फ 15 से 16 किलोमीटर का रेलवे मार्ग बनना है, जिससे न सिर्फ आवाम, बल्कि रेलवे को भी काफी फायदा होगा। संभल अनाज और आलू की बहुत बड़ी मंडी है। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी है। हजारों ट्रक माल संभल से दूसरे इलाकों में आता-जाता रहता है और यह हैंडीक्राफ्ट का भी बड़ा सेंटर है। संभल-चंदौसी जंक्शन से जुड़ने पर लखनऊ से भी सीधा जुड़ जाएगा। इस सिलसिले में कई बार केंद्र और राज्य स्तर की मीटिंग रेलवे के आला अफसरान के साथ हो चुकी है। और सदन में भी मैंने कई बार इस मुद्दे पर रोशनी डाली है, लेकिन अफसोस अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह

से आवाम को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाज़ा मेरी आपसे पुरज़ोर गुज़ारिश है कि पहली फुरसत में संभल को वाया हसनपुर गजरौला रेलवे जंक्शन से जोड़ा जाए और संभल को चंदौसी जंक्शन से जोड़ना भी जरूरी है, जिससे संभल की तरक्की हो सके।

शुक्रिया।

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (سنبھل) : محترم چیرمین صاحب، میرےپارلیمانی حلقہ سنبھل کی ریلوے لائن کو وایا حسن پور۔گجرولہ ریلوے مارگ سے جوڑنے کا پرستاوُ کافی مُدّت سے زیرِ غور ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا ہے۔

سنبھل کو چندوسی جنکشن سےبھی جوڑا جانا ہے۔ جس پر صرف 15 سے 16 کلومیٹر کا ریلوے مارگ بننا ہے، جس سے نہ صرف عوام، بلکہ ریلوے کو بھی کافی فائدہ ہوگا۔ سنبھل اناج اور آلو کی بہت بڑی منڈی ہے۔ اس کے علاوہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی بھی ہے۔ ہزاروں ٹرک مال سنبھل سے دوسرے علاقوں میں آتا جاتا رہتا ہے، اور یہ ہینڈی کرافٹ کا بھی بڑا سینٹر ہے۔ سنبھل چندوسی جنکشن سے جُڑنے پر لکھنو سے بھی سیدھا جُڑ جائے گا۔ اس سلسلے میں کئی بار مرکز اور ریاستی سطح پر کئی میٹنگ ریلوے کے اعلیٰ افسران کےساتھ ہو چکی ہیں۔ اور اس ایوان میں بھی میں نے کئی بار اس مُدعہ پر روشنی ڈالی ہے، لیکن افسوس ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو بے حد پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے پُرزور گزارش ہے کہ پہلی فرصت میں سنبھل کو وایا حسن پور گجرولہ ریلوے

جنکشن سے جوڑا جائے اور سنبھل کو چندوسی جنکشن سے جوڑنا بھی ضروری ہے، جس سے سنبھل کی ترقی ہو سکے۔

(شکریہ)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, हमारे राज्य में दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हैं। एक कल एफसीआरए बिल पास हुआ। आपको पता है कि धर्मांतरण बड़े पैमाने पर होता है। उसका कारण यह है कि संविधान में जो शेड्यूल्ड कास्ट है, यदि वे धर्म परिवर्तित कर लेते तो उनको रिज़र्वेशन नहीं मिलता है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यह रिज़र्वेशन मिलता है। यह बड़ी समस्या है। कोविड-19 के बाद जो समस्या डेवल्प हुई है, माइग्रेंट लेबर, लेबर की या उनके रोज़गार की, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से तीन आग्रह हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट की तरह ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी यदि धर्म परिवर्तन करें, तो उनको रिज़र्वेशन नहीं मिले, दूसरा यह जो माइनॉरिटी अपीज़मेंट चलता है, सारी राजनीति पार्टियां माइनॉरिटी के नाम पर, मुस्लिम-हिंदू के नाम पर वोट लेती हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जिसके कारण सभी नागरिक यहां बराबर हों और तीसरा, जो लेबर की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना जरूरी है। धारा-370 के बाद मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण का कानून ला कर इस देश को बचाना चाहिए। इस देश की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ होने से रक्षा करनी चाहिए।

माननीय सभापति : श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री रमेश बिधूड़ी, एवं श्री सुधीर गुप्ता को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय कुमार मंडल – उपस्थित नहीं।

श्री जॉन बर्ला (अलीपुरद्वारस): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर बंगाल डुवर्स, तराई एंव दार्जिलिंग क्षेत्र आदिवासी एवं गोरखा के साथ-साथ अन्य समुदाय के लोग यहां एकता से सदियों से रह रहे हैं। लेकिन आज भी इस क्षेत्र में रहने वाले लोग सामाजिक, आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं।

इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखा समुदाय के 11 जाति समुदाय को जनजाति अर्थात एसटी का दर्जा देने की मांग काफी वर्षों से उठ रही है। 11 गोरखा जाति - राई, खस, थामी, भुजेल, नेवार, जोगी, देवान, सुनवार, गुरूंग, मंगर, धिमाल जाति को जनजाति में शामिल करने की बात कई वर्षों से चली आ रही है। इसके अलवा आदिवासी समुदाय की कुछ जाति समुदाय को भी जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग मैं सदन में रख रहा हूँ। आदिवासी समुदाय के नाई, बराईक, घटवार, कुर्मी, लोहार, मेहर, पाईक, कवर रौतिया, रविदास, भोक्ता, गोंद, नागेसिया को भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए।

सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से पिछड़ी इन जातियों को केंद्रीय सूची में जनजाति में मान्यता मिलने से क्षेत्र के लोगों के आर्थिक, सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन एंव जीवनस्तर में काफी सुधार आने की उम्मीद है।

अत: आपके माध्यम से आग्रह है कि एसटी का दर्जा एवं डुवर्स, तराई पहाड़ के गोरखाओं के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान जल्द से जल्द निकाल जाए।

माननीय सभापति : श्री राजू बिष्ट एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जॉन बर्ला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चन्द्र सेन जादौन (फिरोजाबाद): महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद में सैकड़ों फैक्ट्रियां कार्यरत हैं, जिनमें श्रमिकों की तादात बड़ी संख्या में है, लेकिन फैक्ट्री मालिकों द्वारा श्रमिकों को वेतन देने में अनियमित्ता बरती जाती है।

पिछले कई महीनों से श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे वह अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें दैनिक मजदूरी भी पूरी नहीं दी जा रही है। श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जिससे उनको सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। यदि किसी श्रमिक द्वारा सुविधा की मांग की जाती है, तो बदले में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे फैक्ट्री मालिकों को, श्रमिकों को वेतन देने के लिए आदेश जारी किया जाए।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): सभापति जी, देश के प्रधान मंत्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने देश के आज़ादी के 75 साल यानी वर्ष 2022 तक सब को हक का पक्का घर देने का वादा किया है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लगभग सभी राज्यों में घर बनाना प्रारम्भ भी हुआ है। उन्होंने गत वर्ष दिल्ली के लाखों झुग्गीवासियों को, अन-अथोराइज्ड कालोनी का वर्षों पुराना मामला कायदा बनाकर सब को मालिकाना हक देने का काम भी किया है, इसलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

महोदय, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में 48 हजार झुग्गीवासियों को रेल लाइन के पास से हटाने का निर्देश दिया है। हमारी केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप करते ही न्यायालय ने तीन महीने का समय दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि केन्द्र सरकार सब को हक का पक्का घर देने का काम करेगी।

महोदय, मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से निवेदन करता हूँ कि दिल्ली की धरती पर देश के सभी राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर एक साझा नियमावली बनाए और केन्द्र सरकार की जमीन पर बसे हुए सभी परिवारों को एक घर हक का देने का काम वह करे।

महोदय, दशकों पहले, जिनके घर टूटे हैं और सरकार के पास जिनके रिकार्ड हैं, उनको भी घर दिए जाएं। यह माँग मैं आपके माध्यम से करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

***SHRI Y. DEVENDRAPPA (BELLARY):** Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak during 'zero hour'. I am thankful to the hon. Speaker as he has given priority the hon. Members who are above 70 years of age. I also take this opportunity to congratulate all my sisters and brothers of this august house.

Sir, I would like to speak on the demands of people Bellary pertaining to Railway department. The new railway line between Bellary, Siraguppa, Sindhanur and Lingasugur was announced in the Railway Budget of the year 2014-15 and Rs. 1160 crore were allocated. The survey work of the railway line was also approved. The survey report was submitted to the Railway Board on 4.1.2019. However, the report is kept pending as the approval was not sanctioned for the railway line by the Railway board. There is no allocation made for this railway line

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

in the Budget for the year 2019-20. This is an important railway line as it connects Kalyana Karnataka, Wadi, Solapur and many parts of Northern India, Western India and Central India. Hence I urge upon the government through you to take immediate necessary steps to grant approval for the survey report to get financial assistance to start the work on the above mentioned railway line without further delay.

Sir, I would like to raise one more issue about facilities farmers. The government has made provision for facilitating the farmers with agriculture machineries including purchase of tractors, etc. to ensure happy and prosperous life to farmers. I would like to suggest that the government should be provide the details of equipment, the price and the manufacturing company of the equipment, and the amount of subsidy available to the farmers on purchase of the equipment etc. All these details should be uploaded in the Agriculture Department website so that farmers could have an idea about the facilities and choose the farm machineries such as tractor, power tiller, cutter, etc., as per their choice.

With these words I conclude my speech. Thank you, Sir.

DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Thank you, Chairman, Sir. It is a great initiative of the Ministry of Civil Aviation that Imphal Airport will soon be upgraded with the construction of a new integrated terminal building along with the ancillary facilities that would cost over Rs. 720 crore. It would be five times bigger than the

existing one and we will see the Airport as an intra-regional hub. An international level consultant group led by Kochi based KITCO Ltd. has been entrusted to design and take care of other architectural works of the new terminal building which is expected from 2nd October this year with a target of completion within three years. Once the project is commissioned, we expect that greater number of domestic and international flights will operate to and from Imphal to other international airports and national airports.

By that time, the annual power requirement of the Imphal International Airport will be 2.2 MW. This power requirement would be met with the power generated through solar power.

I would request the hon. Minister, through you, to complete it on schedule and within the cost limit set by the Airports Economic Regulatory Authority of India.

श्री विजय बघेल (दुर्ग): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सेल के वेज रिवीजन का जो मामला रूका हुआ है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

महोदय, सेन्ट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज के एक्जीक्यूटिव का वेज रिवीजन आदेश डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के द्वारा वर्ष 2017 में जारी किया गया था, जिसके तहत 01.01.2017 की वेज रिवीजन की कंडीशन में अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के कारण पिछले 3 सालों के प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एवरेज पॉजिटिव होना चाहिए।

हालांकि सेल पिछले 15 वर्षों में, वर्ष 2006-07 से वर्ष 2019-20 तक के अंतराल में 12 साल प्रॉफिट टैक्स पॉजिटिव रहा है और लगभग 55, 483 करोड़ रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्जित किया है। परन्तु स्टील इंडस्ट्री वर्ष 2015-16 से विदेशी स्टील डम्पिंग की वजह से वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 में नुकसान में थी। इस वजह से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज होने की वजह से अभी तक वेज रिवीजन नहीं हो पाया है। सेल के लगभग 70 हजार कर्मचारी, अधिकारी बेसब्री से वेज रिवीजन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में पिछले तीन सालों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉजिटिव (5,750 करोड़ रुपये) रहा है।

सेल ने वर्ष 2010 में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए किया है एवं राष्ट्रीय स्टील डिमांड को पूरा करने में हमेशा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। इस वर्ष वैश्विक महामारी कोविड के समय मे भी सेल ने पहली तिमाही में 23 मिलियन टन की बिक्री करते हुए 1,985 करोड़ रुपये प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्जित किये हैं।

माननीय सभापति: आप अपनी माँग रखिए।

श्री विजय बघेल: सेल ने निरन्तर अपने उत्पादों की बिक्री, लागत, नियंत्रण एवं स्पेशल स्टील में बहुत ध्यान दिया है। सेल कर्मचारी हमेशा ही बहुत लगन एवं मेहनत से कार्य करते हैं।

माननीय सभापति : डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी।

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर): महोदय, धन्यवाद।

मेरा संसदीय क्षेत्र शोलापुर सिद्धरामेश्वर या सिद्धेश्वर नगरी के नाम से जाता है। सिद्धरामेश्वर 12वीं शताब्दी के महान संत रहे, जिन्होंने जीवंत समाधि ली, जिसको शिवयोग समाधि कहा जाता है।

सिद्धरामेश्वर जी बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने करीब 68 हजार वचनों की (दोहा) रचना की तथा सर्वधर्म सामुदायिक विवाह की नींव रखी। शहरवासियों के हित को देखकर 40 एकड़ जमीन पर विशाल तालाब का निर्माण किया। उसी तालाब के बीचों-बीच पंजाब के स्वर्ण मंदिर जैसे सिद्धरामेश्वर जी का मंदिर सुशोभित है।

प्रति वर्ष जनवरी 12 तारीख से 15 तारीख तक मेला सम्पन्न होता है, जिसमें महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के करीब 10 लाख भाविक श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं।

अत: मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी एवं माननीय रेल राज्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि शोलापुर रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धरामेश्वर या सिद्धेश्वर नाम से नामांतर किया जाए।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र राज्य का मराठा समाज कई सालों से आरक्षण की मांग करता आ रहा है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सकल मराठा समाज को आरक्षण प्रदान किया जाए।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. जयसिधेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति जी, मैं, हमारे देश के तेजस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने देश के सैनिकों को जो सम्मान दिया, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने 'वन रैंक वन पेंशन' दिया और सीमाओं पर जाकर वे दीपावली पर, होली पर उनका उत्साहवर्द्धन करते हैं।

महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सैनिकों को, सेना के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। हमारे यहां अर्द्धसैनिक बल, जो हमेशा ही सीमाओं की रक्षा करते हैं, उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं राजस्थान के उस क्षेत्र से आता हूं और खासकर शेखावटी में, मेरे लोक सभा क्षेत्र से करीब 350 लोग शहीद हुए हैं और उन 350 में से लगभग 60 प्रतिशत लोग अर्द्धसैनिक बलों के हैं। जब हम उनकी अंत्येष्टि में जाते हैं और जब उसका ढाई-तीन साल का बच्चा उसे मुखाग्नि देता है और उनके माता-पिता की आँखों में जब आंसू देखते हैं तो एक विदारक दृश्य होता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से सेना के जवानों को शहीद का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार से अर्द्धसैनिक बल हैं, जैसे सीमा सुरक्षा बल है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस या जो अन्य सैनिक हैं, उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाए। यही मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका वाकई में आभारी हूं कि मेरे जैसे यंग को आपने काफी सीनियर लोगों से पहले बोलने का वक्त दिया है। यह निश्चित तौर से आपका मेरे प्रति स्नेह है। मैं यहां 'वन हेल्थ' की बात करना चाहता हूं।

माननीय सभापति: आप बिल्कुल युवा लगते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: जी, धन्यवाद। मैं इसीलिए बैठा था।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से 'वन हेल्थ' के कॉन्सेप्ट की बात करना चाहता हूं। जिस तरीके से कोविड-19 चीन के वुहान के फिश मार्केट से निकला और आज चाहे डब्ल्यू.एच.ओ. हो या अन्य लोग हों, वे आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यह चमगादड़ से या किस तरह से फैला, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई पहली बीमारी नहीं है। इसके पहले स्वाइन फ्लू भी पिग्स से आया। बर्ड फ्लू भी पक्षियों से आया। एच1एन1 भी आया। वाटर-बोर्न डिजीज है। चाहे जापानी इंसेफ्लाइटिस हो या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम हो या एच5एन1 हो, इसे जूनॉटिक कहते हैं। इसका मतलब कि जानवरों से आदमी में जो संक्रमण हो रहा है, इस तरह की हमने कोविड-19 की कल्पना भी नहीं की थी। निश्चित तौर पर, अब हमें केवल अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी होगी, बल्कि फिश मार्केट, मीट मार्केट को भी रेगुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उस मार्केट में जाएं तो आप देखेंगे कि वह कितना अन-हाइजेनिक है। अगर आप उस मार्केट के बगल से भी गुजरिए तो यह स्वाभाविक है कि वे संक्रमण को परोस रहे हैं और किस तरह से यह संक्रमण घातक हो रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब हमें केवल इंसान ही नहीं, बल्कि जानवरों की भी, चाहे किसान की फसल हो, सब्जियां हों, फल हों, उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी। इस 'वन हेल्थ' के कॉन्सेप्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मुझे लगता है कि यह वक्त का तकाजा है और मैं सरकार से चाहूंगा कि इस 'वन हेल्थ' के कॉन्सेप्ट पर काम किया जाए।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र, बिहार के सुपौल जिले के अन्तर्गत प्रतापगंज वाया भीमनगर बथनाहा तक मात्र 57 किलोमीटर में से आजादी के पूर्व ब्रिटिश काल में 1893 में मात्र 22 किलोमीटर रेल का निर्माण हुआ था। वर्ष 1934 की बाढ़ तथा भूकम्प से वह रेल लाईन पूरी तरह ध्वस्त हो गयी थी। तब से लेकर आज तक रेल परिचालन बंद है और क्षेत्र के लाखों लोग इस सुविधा से वंचित हैं। अभी तक ध्वस्त रेल लाईन का टुकड़ा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इसके लिए जमीन भी एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतापगंज वाया भीमनगर, बथनाहा तक 57 किलोमीटर की दूरी, जो नेपाल सीमा पर अवस्थित है, वह सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उक्त रेल लाइन का निर्माण कर रेल परिचालन कर कोसी के पिछड़े क्षेत्र को भारत के अन्य भागों से जोड़ा जाए, जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके। माननीय रेलमंत्री महोदय से मिलकर विस्तृत ज्ञापन भी दिनांक 02.08.2019 को समर्पित कर चुका हूँ, किन्तु इस पर अभी तक कारवाई लम्बित है।

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपना विषय उठाने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने 'जय श्री राम' नारे को 'जय सियाराम' नारे के रूप में प्रचलित किया। अर्थात् राम से ऊपर सीता हैं। मैं उस सीता के प्रकट स्थली सीतामढ़ी से आता हूँ। सीतामढ़ी की दो बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

पहला, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज से तीन दिन पूर्व मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेल लाइन का विद्युतीकरण कर सीतामढ़ी की जनता को समर्पित किया। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जयनगर-दरभंगा से चलने वाली ट्रेनों को अगर जयनगर, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल होकर नरकटियागंज तक चलाया जाए या जयनगर-दरंभगा से चलने वाली ट्रेन सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया होते हुए नरकटियागंज तक चलाई जाए तो उसमें समय की कमी होगी, साथ में राजस्व की बढ़त और ईंधन की भी बचत होगी।

महोदय, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी शहर के बीचोंबीच रेलवे ओवरब्रिज है। इसका अधूरा कार्य होकर आज तक बंद पड़ा हुआ है। रेलवे की तरफ से जो भी उसमें बाधाएँ थीं, वे अब दूर हो गई हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उस रेलवे ब्रिज का काम तुरंत शुरू कराया जाए। वहाँ रेलवे ओवरब्रिज के बंद होने से जो जाम लगता है, उससे जनमानस में एक जन आंदोलन बन रहा है।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुनील कुमार पिन्टू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर (माधा): सभापति महोदय, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र विशेषकर पंढरपुर, पुणे में भगवान विटठ्ल के दर्शन के लिए जो नया महामार्ग बनाया जा रहा है, उस महामार्ग के विषय की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पंढरपुर-पुणे महामार्ग में जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसमें भेदभाव हो रहा है। जहाँ पर नगर पंचायत है, वहाँ पर भाव कम दिया जा रहा है। वहाँ पर 1 लाख रुपये प्रति

गुंठा जमीन का भाव दिया जा रहा है। उसके 100 मीटर दूर 4 लाख रुपये प्रति गुंठा भाव दिया जा रहा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस भेदभाव को मिटाया जाए।

महोदय, मैं एक दूसरी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सांगोला, माढ़ा, करमा, मार्सिरस आदि जगहों पर महामार्ग के निर्माण का काम चालू है। वहाँ पर अधिकारियों के माध्यम से बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है। मैं सदन के माध्यम से सीबीआई जाँच की माँग कर रहा हूँ।

माननीय सभापति: शून्य काल में एक ही विषय रखना चाहिए, क्योंकि वह किसी विभाग को संदर्भित होता है। आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए।

***श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर):** सभापति महोदय, धन्यवाद। आप का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है और हम आपका बहुत धन्यवाद भी करते हैं। महोदय, आज अपने क्षेत्र का मसला उठाने के लिए हमारा भोजपुरी भाषा में बोलने का बहुत मन है। हमारा बहुत मन कर रहा है कि हम अपनी बात भोजपुरी भाषा में बोलें।

अभी से पहले सूबे में जो सरकार रही, उसने जौनपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनवाया था। वहां बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हैं, लेकिन अभी तक न डॉक्टर्स हैं, न नर्स हैं और न ही कोई मशीनें हैं। वहाँ रात भर लोमड़ी, सियार और कुत्ते हूआ-हूआ करते रहते हैं। वहाँ के लोग सो भी नहीं पाते हैं। जौनपुर वाले कहते हैं कि यूपी की सरकार पता नहीं क्यों उस मेडिकल कॉलेज को पसंद नहीं करती है। जब जौनपुर में कोई मरीज़ बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, तो कहते हैं कि इन्हें बी.एच.यू. ले जाएं या पी.जी.आई. लखनऊ ले जाएं, लेकिन जब तक गाड़ी या एम्बुलेंस का इंतजाम होता है, तब तक मरीज़ के प्राण पखेरू उड़ जाते हैं, उसकी जान ही चली जाती है।

---

*Hindi translation of the speech originally delivered in Bhojpuri.

महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यूपी में योगी जी की सरकार को एक टेलीफोन ही करवा दीजिए कि यह जो मेडिकल कॉलेज जौनपुर में बन रहा है, उसको अच्छी तरह से बनवा दें और डॉक्टर्स, नर्स वगैरह सभी को भेजकर उसको शुरू करवा दें।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे देश में कुल 23 आईआईटी कॉलेज हैं। इनमें से मात्र दो आईआईटी कॉलेज रूड़की और खड़कपुर में ही आर्किटेक्चर और प्लानिंग कोर्स के बीटेक, एमटेक एवं पीएचडी की पढ़ाई चल रही है।

मैं विकासशील राज्य बिहार से आता हूं। हमारे देश या बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें मार्गदर्शन और प्लेटफार्म देने की जरूरत है। हमारे बिहार में आईआईटी बिहटा, पटना में बहुत अच्छे तरीके से हर कोर्स की पढ़ाई चल रही है। यह भी सत्य है कि हर काम के लिए हम सभी पहले प्लान करते हैं, फिर उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं, जिसे आर्किटेक्चर और प्लानिंग कहते हैं, लेकिन बिहटा में इस कोर्स की पढ़ाई नहीं हो रही है। आईआईटी, बिहटा में इस कोर्स को शुरू किया जाए, जिससे कि स्मार्ट सिटी, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट, सिटी डेवलपमेंट प्लान, स्पेशल इकोनॉमिक प्लानिंग, अर्बन प्लान जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में सरकार के साथ काम करने से एक डेवलपमेंट का मॉडल तैयार होगा। इसका जबरदस्त फायदा इन सभी योजनाओं में सरकार को मिलेगा।

महोदय, आईआईटी अपने आप में एक ब्रांड है, जहां किसी भी एरिया में पढ़ाई या अनुसंधान सीधे-सीधे देश की अलग-अलग शोधों में अपना बहुमूल्य योगदान देता है। इसलिए युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आईआईटी बिहटा, पटना में आर्किटेक्चर और प्लानिंग का कोर्स जल्द से जल्द शुरू किया जाए। धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, केंद्र सरकार द्वारा जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। उसका उद्देश्य था कि जो रॉयल्टी मिनरल से आती है, उसका कुछ हिस्सा वहां ट्रांसफर हो और इससे उस एरिया का, जिस जिले में खानें हैं, उसके विकास में खर्च हो। भीलवाड़ा जिले में जो फंड ट्रस्ट है, उसमें लगभग 600 करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन सरकार उसको खर्च नहीं कर रही है। आज इसकी जरूरत है। इसमें गाइडलाइन दी हुई है कि शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल, 70 पर्सेंट के करीब इन पर खर्च होना चाहिए। वहां स्कूलों की हालत यह है कि कक्षा 10 तक क्लासेज़ हैं, लेकिन कमरे 1, 2 या 3 ही हैं। वहां की सरकार को जो करना चाहिए, वह न करके राज्य सरकार राजधानी में उसे ट्रांसफर कर रही है। वहां उस एरिया के निवासियों को यह बात महसूस हो रही है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड उस डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है, वह उसी के काम में आए और प्रायोरिटी पर चिकित्सा, शिक्षा और पेयजल में काम में आए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Thank you Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on an important issue. About Rs.1728 crore are still pending under rice subsidy to Andhra Pradesh State Civil Supplies Corporation from the Government of India. Though Rs.2498 crore have already been released, Rs.1728 crore are still pending. This amount is very crucial for the State. The State has to release money to the farmers under Minimum Support

Price operations and to Self-Help Groups and cooperative societies for handling procurement operations. Otherwise, the procurement for the year 2020-21 will be badly hampered.

My State of Andhra Pradesh is undergoing severe financial stress due to unresolved issues caused by bifurcation and COVID-19 pandemic. Our hon. Chief Minister, Shri YS Jaganmohan Reddy Garu has already written to the hon. Prime Minister about this. Through you, I request the hon. Minister concerned to release the dues at the earliest. Thank you, Sir.

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): Hon. Chairperson, Sir, I thank you once again for giving me an opportunity to speak on the burning issue of my Gulbarga District of Karnataka.

In Karnataka, there was only one government cement factory, that is, Cement Corporation of India, but in 2006, it was recommended for disinvestment. About 5,000 families and about 10,000 labourers were working there. In my maiden speech in the Parliament, I had raised this issue on 26.06.2019. Then, I approached our Prime Minister and the concerned Minister. Now, things have started moving in the positive direction.

The DC of Gulbarga, who happens to be the first lady DC of the district, has spent three days in that village and conducted a public hearing along with Pollution Board. Now, I request, through you, the Prime Minister and the

concerned Minister to start dry process of cement factory in that area so that in that backward and border area, an economic activity may start and people, who have migrated, may come back and work there.

They have got sufficient stock of limestone, water, power connectivity and everything except the will power of the Government which was not there earlier. Now, our Government has got a strong will. So, I request the Government to start the cement factory at the earliest.

Thank you.

DR. K.C. PATEL (VALSAD): Hon. Chairperson, Sir, I am very much thankful to you and hon. Prime Minister, *adarniya* Narendra Bhai Modi, on behalf of the people and farmers of my district Valsad, and Navsari.

In my constituency Valsad, and Navsari District, three major projects are there – Vadodra-Mumbai Express Highway; Bullet Train Project; and a Freight Corridor. With regard to the express highway, we had an online virtual meeting with hon. Nitin Gadkari *saheb*. Three MLAs from my constituency and Collector of the district were present in that meeting.

Sir, in my district, we are going to lose six lakh mango trees. You know that alphonso mangoes grown in our district are famous in the world. So, we have given three alternatives with regard to the express highway to hon. Gadkari sir.

The coastal highway from Vadodra to Bharuch may be converted into express highway. They have already taken it on the coastal side. National Highway No. 48 may be elevated as an express highway. National Highway No. 56, passing through the forest area, may be used as an express highway.

In this meeting, we had requested that the same compensation should be given which is being given in the case of Bullet Train Project, that is, four times, and compensation rates should be revised. We have also requested that a re-survey of the mango trees should be done in my district. Our District Collector is authorised for the proceeding.

HON. CHAIRPERSON: Patel saheb, please make the point.

DR. K.C. PATEL: Yes, Sir.

Sir, I am requesting the Ministry of Transport to issue the necessary instructions as early as possible.

Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Dr. K.C. Patel.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर की भाषाओं का एक आज प्रस्ताव पास हुआ है। मैं उसके लिए सरकार और माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में जम्मू-कश्मीर में तीसरी सबसे बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषा

लाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी और गोजरी सर्वाधिक बोली जाती है। जम्मू-कश्मीर में गोजरी एकमात्र ऐसी भाषा है जो हर जिले में बोली जाती है। यूं तो पंजाबी, भद्रावी, डोगरी और मीरपुरी जैसी भाषा भी बोली जाती है।

मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन, मैं 15 से 17 परसेंट आबादी की भावना की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गोजरी भाषा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और असम के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। अफगानिस्तान में तो बोलने के साथ-साथ वहां के राष्ट्रगान में भी गोजरी भाषा का जिक्र है। यह भाषा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कई प्रांतों के अलावा, इंग्लैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, दुबई और सऊदी अरब में बोली जाती है।

सभापति महोदय, विश्वविद्यालय पूंछ कैंपस एम.ए. उर्दू में आधिकारिक विषय गोजरी भाषा में रखा गया है। जम्मू-कश्मीर के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक गोजरी भाषा की पुस्तकों से पढ़ाई होती है। गोजरी भाषा से आकाशवाणी जम्मू-कश्मीर, ऑल इंडिया रेडियो, राजौरी, पूंछ में गोजरी भाषा के कार्यक्रम होते हैं। जम्मू-कश्मीर के गुर्जर बकरवाल देशभक्त हैं, जो समय-समय पर, सीमा पर घुसपैठियों को टक्कर देकर अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन, वे वहां पर कश्मीरी कहे जाने वालों की आंख में किरकिरी हैं जो वहां आतंकवादी घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं, जिनकी सह पर पांच लाख कश्मीरी पंडितों को अमानवीयता की सारी सीमाओं को पार करके बेघर कर दिया गया था, वहां उनके द्वारा उपेक्षित किए जाते हैं। देश की इन वफादार कौम के सम्मान के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साहित्य अकादमी, दिल्ली जिसमें विभिन्न भाषाओं पर काम किया जाता है, उसमें गोजरी भाषा के लेखकों को सम्मान किया गया है, उसी आधार पर मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से आग्रह है कि जम्मू-कश्मीर में गोजरी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित

किया जाए तथा इसे संविधान के शेड्यूल-8 में शामिल किया जाए। मैं यही विनती करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, अपनी भूमिका छोटी रखिए, विषय पर तुरंत आइए।

श्री सुधीर गुप्ता और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): धन्यवाद सभापति महोदय, आज हमारे क्षेत्र में चाय बागान में काम करने वाले लोग खासकर, राजवंशी आदिवासी, गोरखा, कोच, मेच, टोटो, राभा सब लोग बहुत खुश है, क्योंकि आज लेबर कोड बिल पास हुआ है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। बनारस में माँ गंगा की तरह सिलीगुड़ी में महानंदा नदी और बालासन नदी एक प्राकृतिक धागा है जो हमारे क्षेत्र के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। महानंदा और बालासन नदी दार्जीलिंग पहाड़ से निकलकर सिलीगुड़ी शहर के बीचों-बीच होकर कावाखाली, फुलबरी, फांसीदेवा, बिधान नगर, गलगलिया होते हुए बिहार में जाकर माँ गंगा से मिल जाती है। ये नदियां पेयजल और सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं। राज्य सरकार की अनदेखी, अतिक्रमण और अवैध खनन माफियाओं के कारण हमारी नदियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार इन नदियों की रक्षा और कायाकल्प करने के लिए ठोस कदम उठाने में विफल रही है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से जलशक्ति मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि बालासन और महानंदा नदी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवर रिवाइवल एंड मैनेजमेंट प्लान विकसित करके इन दोनों नदियों को पुनर्जीवित किया जाए। धन्यवाद।

21.53 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजू बिष्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्जुन सिंह (बैरकपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को अपका प्रोटेक्शन चाहिए। हम लोग पश्चिम बंगाल से आते हैं। वहां हमारे 18 एमपीज और कई विधायक हैं। ...* वहां साधारण नागरिक से लेकर एमएलए, एमपी या जनप्रतिनिधि की जान की कभी भी हानि हो सकती है, इसलिए आपका प्राटेक्शन जरूरी है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में विरोधी पार्टी के लोग फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर केवल राज्य सरकारों के लिए नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर का कानून केंद्र और राज्य का सम्मिलित कानून है। फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पर लोगों के ऊपर जुल्म, अत्याचार हो रहा है और लोग मारे जा रहे हैं और केंद्र सरकार की दुहाई दी जाती है कि वह फेडरल स्ट्रक्चर में इंटरफेयर कर रही है। आज बंगाल की जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। आज विधायक और एमपी का फोन टेप किया जाता है। आपको पता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ था और मैंने 156 के क्लॉज-3 के तहत हाई कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि उस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करूं, आज 10 महीने हो गए हैं, राज्य सरकार के हाई कोर्ट के जो ... * वे उस मामले को टालते जा रहे हैं। वे उस मामले को रिजेक्ट भी नहीं करते हैं, ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकूं। इसलिए, आपका प्रोटेक्शन जरूरी है। हमारे तमाम एमपीज और वहां के नागरिकों को इस ... * से मुक्त कराइए।

* Not recorded.

एक और छोटी-सी बात, वहां एनआईए को रोका जाता है, सीबीआई के अधिकारियों को मारा जाता है। एनसीबी को पश्चिम बंगाल में तुरंत भेजा जाए। हर थाने में ड्रग्स की बिक्री होती है, वहीं से ड्रग्स की सप्लाई होती है और निरीह नागरिकों को उस केस में फंसाया जाता है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अर्जुन सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात की भी बधाई दूंगा कि यह सत्र बहुत ऐतिहासिक रहा है, जिसमें कृषि, श्रम और कंपनियों में सुधार की व्यवस्थाओं को तेजी से लागू किया गया है। सारे देश में प्रसन्नता है। प्रसन्नता इस बात की भी है कि इस वित्तीय वर्ष में 341 लाख मीट्रिक टन गेहूं पूरे देश में खरीदा गया, जो लगभग 62 हजार करोड़ से अधिक का है।

धान भी 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपये का खरीदा गया। मैं प्रशंसा इस बात की भी करूंगा कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक 6 लाख 97 हजार 645 करोड़ रुपये की बड़ी राशि से एमएसपी पर खरीद की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात से भी प्रसन्न हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में इस वर्ष लगभग 900 करोड़ रुपये की राशि से गेहूँ की खरीदी हुई है। किसानों को वर्ष 2018 के बीमा की लगभग 225 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री माननीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी से आग्रह करना चाहूँगा कि मेरा क्षेत्र देश के सबसे बड़े कृषि क्षेत्रों में शुमार है। वहां पर औद्योगीकरण बिल्कुल भी नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि भारत के सबसे बड़े कृषि रिसर्च सेन्टर को मेरे क्षेत्र में स्थापित किया जाए, जिससे कृषि क्षेत्रों का विकास हो सके। लगभग 100 से अधिक कृषि जिन्सों

का उत्पादन, औषधि फसलों और हॉर्टिकल्चर का उत्पादन मेरे संसदीय क्षेत्र में होता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 36 हजार हेक्टेयर वन भूमि खाली पड़ी है। बेम्बू मिशन अगर उस भूमि में प्रारंभ किया जाता है तो हजारों लोगों को उसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है। लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। बेम्बू मिशन से मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ देश का भी विकास होगा और माननीय प्रधान मंत्री जी की भी इस मिशन की ओर विशेष मंशा है।

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Thank you very much, Mr. Speaker, Sir. Since the beginning of this Session, we have been asking for a CBI enquiry on Shri Chandra Babu Naidu, but in vain.

During this tough time, we, the people of Andhra Pradesh, combated with COVID-19 under the dynamic leadership and administration of our CM, Shri Jagan Mohan Reddy. But, day by day, it is becoming difficult with the venomous attitude of Shri Chandra Babu Naidu, who is more dangerous than COVID-19, as he is behind all the litigation and conspiracy happening in Andhra Pradesh right now.

Unless and until, CBI investigation is instituted on Shri Chandra Babu Naidu to probe his hidden conspiracy in Antharvedi issue, CRDA and also Fibernet, the progress of the State will be at crossroads.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में लोक महत्व के विषय को उठाने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश की सेना, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, तीनों सेनाओं में युद्ध में, किसी मिशन में या

आतंकवादी घटना में कोई सैनिक अपने प्राणों की आहूति देता है तो उसे शहीद का दर्जा मिलता है। लेकिन सैनिकों के लिए, सारी व्यवस्था देखने वाले किसी भी सैनिक द्वारा अपने प्राणों की आहूति दी जाती है तो उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र कुंडा के रवि सिंह जो ग्राम सभा क्षेत्र कनावां के रहने वाले हैं, वे जोशी मठ में कार्यरत थे और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण रास्ते को साफ करते समय, उन्हें ठंड लगी और वे शहीद हो गए, लेकिन उन्हें नियम के कारण शहीद का दर्जा नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसे सैनिक जो अन्य सैनिकों के लिए साजो-सामान की व्यवस्था करते हैं, उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाए और रवि सिंह को भी शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि मेरे क्षेत्र में युवाओं में इसे लेकर बहुत रोष है। इसके लिए मैं आपसे बार-बार निवेदन करता रहा हूँ। मैंने इस संबंध में माननीय रक्षा मंत्री जी से भी निवेदन किया है। मैंने अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया है, लेकिन उन्हें नियम का हवाला देकर शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

22.00 hrs

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि वर्ष 2022 तक भारत में रहने वाले सभी बेसहारा व्यक्तियों को छत मुहैया कराई जाए। सरकार द्वारा आवास निर्माण हेतु एक लाख 20 हजार रुपये देने के साथ-साथ निर्माण कार्य में आने वाली मजदूरी की लागत अतिरिक्त रूप से, मनरेगा के माध्यम से 15 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। मेरे संज्ञान में, मेरे जनपद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश की कुछ ग्राम पंचायतों में आई शिकायतों से ज्ञात हुआ कि

प्रधान मंत्री आवास का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेज दिया जाता है, किन्तु जानकारी के अभाव में अधिकारीगण मनरेगा के माध्यम से उसमें मिलने वाली मजदूरी मद की 15 हजार रुपये की धनराशि को कुछ फर्जी जॉब कार्ड धारकों के खाते में ट्रांसफर करके, उसे निकालकर आपस में बंदरबांट कर लेते हैं।

इसलिए, आज मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जनपद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री आवास योजना में मनरेगा के माध्यम से मजदूरी हेतु अतिरिक्त दी जाने वाली 15 हजार रुपये की धनराशि के संबंध में भारत सरकार एक स्पेशल टीम गठित करके, सम्पूर्ण जनपद में प्रधान मंत्री आवास योजना में इस राशि को लाभार्थियों के खाते में न भेजकर दूसरे के खातों में भेजकर आहरित करने के प्रकरण का परीक्षण कराकर, जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई कराते हुए, उन पर इस वित्तीय आपराधिक कृत्य के लिए सक्षम धाराओं में प्राथमिकता दर्ज कराए जाने का निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निशीथ प्रामाणिक (कूचबिहार): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कूच बिहार में कुछ दिन पहले राजबंग्सी समुदाय की सम्भरु बर्मन को घर से उठाया जाता है और बड़ी बेरहमी के साथ ... * द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है।

महोदय, बंगाल की स्थिति इतनी भयानक है कि कुछ दिन पहले हिमताबाद के भाजपा विधायक देवेन्द्र नाथ राय को घर से उठाकर, बीच चौराहे पर रस्सी से लटकाकर बड़ी बेरहमी के साथ ...* द्वारा हत्या कर दी जाती है।

---

* Not recorded.

महोदय, बंगाल में ... * का संरक्षण प्राप्त विशेष समुदाय के लोगों द्वारा लगातार राजबंग्सी हिन्दू बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। चौपड़ा की 16 साल की मासूम लड़की मॉम्पी सिंहो को घर से उठाकर, सामूहिक बलात्कार करते हुए हत्या कर दी जाती है।

महोदय, बंगाल में हिन्दुओं के जीने का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। पश्चिम बंगाल को ... * बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके माध्यम से, केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन है कि जल्द से जल्द इन घटनाओं की सीबीआई जांच कराते हुए, बंगाल के हिन्दुओं की रक्षा करे, बंगाल की रक्षा करे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सुधीर गुप्ता को श्री निशीथ प्रामाणिक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संजय सेठ (राँची): धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मेरे संसदीय क्षेत्र रांची में एक विधान सभा क्षेत्र – सिल्ली है। सिल्ली विधान सभा क्षेत्र में रांची से सिल्ली और बंगाल की दूरी 65 किलोमीटर है। अगर आप रांची से चलेंगे तो नामकुन, टाटी, गोंदलीपोखा, अनगड़ा होते हुए सिल्ली मूरी तक पहले एक घण्टे में पहुंच जाते थे, लेकिन आज की स्थिति यह हो गई कि ढाई घण्टे लगते हैं। मेरी मांग है कि रांची-सिल्ली-मूरी की सड़क को एन.एच. में शामिल करके, फोर लेन बनाया जाए, ताकि सिल्ली, जो एक इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में आगे बढ़ रहा है, वह और फलीभूत हो और आगे बढ़े। यही मेरी मांग है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी बात को संक्षिप्त रूप में और एक मिनट में खत्म करें तो उचित रहेगा।

---

* Not recorded.

अगर सभा की सहमति हो तो सदन का समय इस सूची के पूरा होने तक बढ़ाया जाता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार में एन.एच. 81 मणिया से लाभा तक लगभग 24.5 किलोमीटर है। यह सड़क पश्चिम बंगाल को जोड़ती है और कटिहार शहर को बंगाल से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क पर 24.5 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है, लेकिन लाभा रेलवे स्टेशन के पास केवल 600 मीटर सड़क नहीं बनी है, जिसके कारण यह सड़क अवरूद्ध है। आपके माध्यम से, माननीय पथ परिवहन मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि इस सड़क को अविलम्ब बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने श्रीनगर-गढ़वाल क्षेत्र में यूपीएससी परीक्षा केन्द्र खोलने हेतु आकर्षित करना चाहता हूं।

उत्तराखण्ड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जिसका 90 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी है। वहां से दिल्ली और देहरादून आने के लिए सीमित साधन हैं, जिससे वहां के परीक्षार्थियों को यूपीएससी की परीक्षाओं में सम्मिलित होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उत्तराखंड के टूरिस्ट स्थान जैसे चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के परीक्षार्थियों के लिए विभिन्न यूपीएससी की परीक्षाओं को देने के लिए श्रीनगर, गढ़वाल एवं अत्यंत सहज परीक्षा केंद्र रहेगा, क्योंकि उन्हें देहरादून जैसे केंद्र जो कि 200 से 300 किलोमीटर दूर पड़ता है, विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से बहुत सारे परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित

रह जाते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि श्रीनगर में हेमंतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, एनआईटी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान हैं तथा वह गढ़वाल क्षेत्र का शिक्षा केंद्र है इसलिए यहां यूपीएससी की परीक्षा केंद्र की अत्यंत आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि छात्र हितों को देखते हुए यूपीएससी की परीक्षा श्रीनगर, गढ़वाल में कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): अध्यक्ष जी, उत्तराखंड राज के 16793 गांवों में से लगभग 1582 गांव खाली हो चुके हैं। जहां पहले बच्चों की किलकारियां, माताओं-बहनों के मंगलगीत, बुजुर्गों की सामूहिक चौपाल लगा करती थी तथा गाय-भैंस आदि पालतू जानवरों से चहल-पहल रहती थी, आज वहां मकानों के आंगन में घास उग गई है। बंदर, लंगूर, सूअर, बाघ, चीते आदि जानवर उनके ऐशगाह बन गए हैं। सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती प्रदेश के गांवों का खाली होना बहुत ही गंभीर बात है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन गांवों को पुन: बसाया जाए। जो लोग दूसरी जगह रोजगार की तलाश में चले गए हैं, उनको यहां दोबारा बुलाया जाए, इसके लिए एक आर्थिक पैकेज देना बहुत आवश्यक है, जिससे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, जिससे रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकें।

मान्यवर, मैं आपसे पुन: निवेदन करता हूं कि इस ओर बहुत बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमाएं चीन, नेपाल और तिब्बत से मिलती हैं। सीमाओं का मजबूत होना आज की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को एडवोकेट अजय भट्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): अध्यक्ष जी, अरुणाचल प्रदेश जब यूनियन टेरिटरी था और सिक्स्थ शेड्यूल कांस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में था। वर्ष 1987 में जब से अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना, सिक्स्थ शेड्यूल वहां से ओमिट किया गया। आपको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश 99.99 परसेंट ट्राइबल प्रदेश है। हमारी मांग है और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश असेम्बली में भी यह पास हुआ कि आर्टिकल-371 h को अमेंड किया जाए और उसमें ट्राइबल राइट्स, फारेस्ट, वॉटर, लैंड रिसोर्स राइट्स और कस्टमरी प्रैक्टिस को रेस्टोर किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को श्री तापिर गाव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): महोदय, पश्चिम बंगाल के माल्दहा जिले का अधिकांश भाग गंगा और फुल्हर नदी पर बसा हुआ है। प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ और कटाव के कारण कई गांवों जैसे महानंद टिला, बिलईमारी, काल्हा, देवीपुर, उत्तर-दक्षिण बकुरिया गांव के लोगों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। महानंद टिला, बिलईमारी गांव गंगा से सिर्फ 150 मीटर की दूरी में बसे हुए हैं। जो गांव नदी में विलीन हो चुके हैं, वे जंजाली टौला, हुसैनपुर, चीना बजार दुर्गाराम टौला, चौधरीपारा आदि हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार और विभागीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गंगा और फुल्हर नदी के बारे में कटाव की रोकथाम के लिए स्थानीय इकाइयां योजना बनाकर समस्या का समाधान करें।

अभी तक जो लोग प्रभावित होकर सड़कों पर जाने को मजबूर हैं, उनके पुनर्वास एवं रोजगार की व्यवस्था की जाए तथा कटाव के कारण उन्हें हुई क्षति का मूल्यांकन करते हुए मुआवजा दिया जाए।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कोरोना से संक्रमित होने वाले डॉक्टर्स एवं हेल्थ केयर वर्कर्स की ओर दिलाना चाहता हूं, जिनके ऊपर कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा अटैक्स हुए हैं, उनको कलंकित किया गया है, कई जगहों पर बहिष्कृत भी किया गया है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है एवं अन्य कई तरह की परेशानियां हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स एवं डॉक्टर्स को उठानी पड़ी हैं। जब कि वे 24 घंटे इस महामारी में लोगों की जान बचाने में कुर्बान एवं शहीद होते रहे हैं।

महोदय, भारत सरकार के अनुसार 87 हजार हेल्थ केयर वर्कर्स इनफेक्टेड हुए हैं, जिनमें से 573 की जानें गई हैं। आईएमए के अनुसार करीब 307 डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है एवं 2,006 डॉक्टर्स इनफेक्टेड हुए हैं, जिनमें 188 प्राइवेट जनरल प्रैक्टिसनर्स भी हैं, जो डायरैक्ट पेशेंन्ट्स के कॉन्टेक्ट एवं उनकी सेवा में थे, उनकी मृत्यु हुई है। बिहार में भी 25 डॉक्टर्स की मृत्यु हुई हैं। डॉक्टर्स के परिवार भी कोरोना से प्रभावित हुए हैं। महामारी के समय डॉक्टर्स फैटर्निटी ने अपनी कुर्बानी देकर राष्ट्र की सेवा की है एवं सेवा करते-करते शहीद हो गए हैं।

महोदय, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं। मैं एक डॉक्टर एवं माननीय सांसद होने के नाते आपकी छत्रछाया में सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकारी डॉक्टर्स हों या प्राइवेट हों, जो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। उनके बच्चों एवं परिवार को शहीदों की भांति सोशल सिक्योरिटी दी जाए एवं क्वालिफिकेशन के आधार पर नौकरी एवं शहीद की तरह उनको क्षतिपूर्ति दी जाए। धन्यवाद।

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र गुना व अशोक नगर जिला मुख्यालय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। नगर के

आस-पास ग्रामीण परिवेश व कृषि उपज मंडी में उपज बिक्री के कारण यातायात व जनसंख्या के दबाव में सतत् वृद्धि हो रही है, जिसके कारण नगर विस्तार हेतु एक रिंग रोड की महती आवश्यकता है, जिससे नगर में बाहरी वाहनों का दबाव कम हो सके एवं शहर का विस्तार होने से नगर के मध्य में संचालित व्यापारिक व औद्योगिक परिवहन नगर के बाहर से हो सके तथा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो सकें।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि सेंट्रल रोड फंड के तहत गुना व अशोक नगर में रिंग रोड बनाने की स्वीकृति देने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आजादी के 70 सालों के बाद मेरे गृह जिले अशोक नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 346 की जो सौगात प्रदान की है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2016 में मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में पहला एनपीसीडीसीएस प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक आदि गंभीर रोगों की रोकथाम एवं उपचार हो। उस क्रम में उन्होंने हमारे जिले के सभी 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में योग के शिक्षक और आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की थी, जिनके कारण उन्होंने लगतार सामुदायिक केन्द्रों के साथ नीचे उतर कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक और जागरूकता कैंपों के माध्यम से इन रोगों के प्रति जागरूकता भी पैदा की, जिससे हमारे जिले में रोकथाम के अवसर मिले। उस क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने थर्ड पार्टी के रूप में उस उक्त प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लखीमपुर के उस प्रोजेक्ट की सराहना भी की। उसके साथ-साथ यह भी बताया कि इस समय के

दौरान लगभग 5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई और उन लोगों की काउंसिलिंग करके उनको जागरूक किया गया। उक्त प्रोजेक्ट से कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में भी मदद मिली है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी यह जानकारी आ रही है कि लखीमपुर जनपद से उस उक्त प्रोजेक्ट को हटाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय आयुष मंत्री जी और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त एनपीसीडीसीएस प्रोजेक्ट को सभी सामुदायिक केन्द्रों पर जारी रखने की कृपा की जाए।

डॉ. राजदीप राय (सिल्चर): महोदय, मैं आपके सामने बहुत ही संगीन विषय रख रहा हूं। असम के लगभग सभी लोगों में यह चर्चा का विषय है कि असम में दो पेपर मिल्स हैं, एक पंचग्राम पेपर मिल और दूसरी जागी रोड में पेपर मिल है, जिनमें चार हजार लोग परमानैंट और कॉन्ट्रैक्चुअल रूप में काम करते हैं। उनके अलावा नॉर्थ ईस्ट के करीब एक लाख बैम्बू ग्रोवर्स उन दो मिल्स पर डिपेंडेंट थे। कुछ साल पहले ये दोनों मिल्स बंद हो गई। हमारा यह पोल प्रॉमिस था, हम लोगों ने चुनाव से पहले बोला था कि इन मिल्स को चालू करने के लिए जो भी जरूरी काम होगा, वे काम करेंगे।

लेकिन आज के दिन ये मिलें बंद होने के कारण दलालखोर लोग और जो लोग मिलों को नष्ट करने में लगे हुए थे, वे आज रास्ते पर आकर उलटा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत कर रहे हैं यानी हम लोगों पर अँगुली उठा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से, विशेषकर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर को मेरा एक सजेशन है, अगर वे उन पर ध्यान दें, तो अच्छा होगा।

पहली बात यह है कि वहां पर जितना स्टाफ है, जिनके एरियर बाकी हैं, चाहे पीएफ हो या ग्रेच्युटी हो, उनको दो या तीन हिस्सों में बांटकर दिया जाए, तो बहुत अच्छा होगा। मिलों को चालू

करने के लिए जैसे भी हो, किसी प्राइवेट पार्टी को देकर या पीपीपी मोड में यानी कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का हो और कुछ हिस्सा प्राइवेट पार्टी का रहे, अगर इस प्रकार से ये शुरू किए जाएं तो हमारे असम के लोग सरकार को बहुत-बहुत दुआएं देंगे।

दूसरी बात, मैं आपके बारे में कहना चाहता हूं। आपकी देख-रेख में लोक सभा टीवी को, जैसे हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं और रात के साढ़े बारह-एक बजे तक रहते हैं और लोक सभा टी.वी. के लोग हमारे साथ आपकी देख-रेख में रहते हैं, उनके लिए एक गाइडेंस की जरूरत है। वे दिन भर डिबेट्स-न्यूज में व्यस्त रहते हैं। आज के दिन पूरे देश में इसका प्रचार हो रहा है।...(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, लोक सभा में लोक सभा के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ।

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ज़ीरो ऑवर में अपने लोक सभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लोक-हित में एक समस्या को उठाने का मौका दिया है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ।

कुरुक्षेत्र एक महाभारतकालीन धार्मिक नगरी है, जहाँ पर सर्वमानव जाति के लिए युद्ध के मैदान में भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की धरती पर श्री कृष्णा सर्किट-1 और श्री कृष्णा सर्किट- 2 के माध्यम से 48 कोस की परिक्रमा में 134 महाभारतकालीन धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। मेरे कुरुक्षेत्र शहर में देश-विदेश से हर रोज हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री एवं श्रद्धालु आते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय नितिन गडकरी जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ क्योंकि कुरुक्षेत्र शहर से एक ही सड़क गुजरती है, जिसके ऊपर ट्रैफिक का बहुत भारी दबाव रहता है और हर रोज काफी संख्या में श्रद्धालु वहां आते हैं। वह सड़क पेहवा, पुंडरी, कैथल, हिसार और राजस्थान को जोड़ती है।

आपके माध्यम से मेरी अपील है कि वहां पर एक रिंग रोड बनाया जाए, इसकी पैमाइश भी हुई है, इससे पहले भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था। इसलिए वहां पर जल्दी रिंग रोड बनाने का काम शुरू किया जाए।

मैं आपके माध्यम से इतनी ही अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नायब सिंह सैनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

हमारे यहाँ वर्षों से एक ट्रेन संचालित हो रही है। पिछली सरकार ने इस ट्रेन का नाम लीलण एक्सप्रेस रखा था। लीलण, वीर तेजाजी महाराज, जिन्होंने एक हजार साल पहले गायों के लिए कुर्बानी दी, की घोड़ी थी। जब उनका बलिदान हुआ, तो ढाई-तीन सौ किलोमीटर उनके गांव पहुंचकर वह सती हुई थी।

ट्रेन संख्या 12467 / 12468 जैसलमेर-बीकानेर-नागौर-जयपुर रूट पर संचालित होती आ रही थी। रेलवे बोर्ड ने नयी समय सारणी में मार्ग परिवर्तन का प्रस्ताव दिया, जो एक गलत निर्णय है। उक्त ट्रेन जयपुर से कूचामन-मकराना-डेगाना-मेड़ता-मुंडवा-नागौर-नोखा-बीकानेर-जैसलमेर मार्ग पर

चलती थी। इस ट्रेन में सैंकड़ों लोग, कर्मचारी और सेना के जवान आवागमन करते हैं। धार्मिक पर्यटन और सामरिक दृष्टि से भी यह मार्ग महत्वपूर्ण है। इसलिए आप तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारी को निर्देशित करें।

अध्यक्ष महोदय, यह ट्रेन पहले नागौर से गुजरती थी। अब इसके रूट को चेंज कर दिया है, विशेषकर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली नागौर है, उनकी घोड़ी के नाम पर ही इस ट्रेन का नाम लीलण एक्सप्रेस रखा गया था, इसलिए इससे लोगों की जन-भावनाएं जुड़ी हैं।

अत: मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है - मैं उनसे बात भी करूंगा – कि वे इस रूट पर पुन: इस ट्रेन को चालू करवाएं, क्योंकि अपनी सरकार के समय इस ट्रेन का नाम लीलण एक्सप्रेस रखा गया था। लोगों के अंदर इसको लेकर भारी आक्रोश है, मैं निवेदन करता हूं कि लीलण एक्सप्रेस को पुन: नागौर जिले के अंदर से होते हुए जयपुर आने वाले रूट पर चलाएं।

इसका एक फायदा यह है कि लोग उधर से आते हैं और शाम को वापस उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दो ट्रेन्स चलती हैं। इससे जैसलमेर से जयपुर आने-जाने में सुविधा रहती है। मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि आप सरकार को इस बारे में सूचित करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर को श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और गडकरी जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उज्जैन-झालावाड़ टू-लेन रोड सैंक्शन किया है।

इस रोड पर काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं, ट्रैफिक का काफी लोड है और सैकड़ों परिवार के लोगों की जानें इन दुर्घटनाओं में चली गई हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय गडकरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको वे अगर फोर-लेन बनाने के लिए स्वीकृत कर देंगे तो इससे काफी परिवार सुरक्षित हो जाएंगे। यह रोड कोटा के लिए भी जाती है। आपको भी इस रोड की पूरी जानकारी है कि इस पर काफी लोड है।

अत: आपके माध्यम से मेरा गडकरी साहब से निवेदन है कि इस रोड को वे फोर-लेन करवाने की कृपा करें, क्योंकि उज्जैन में सिंहस्थ भी आता है, इसलिए सिंहस्थ को भी ध्यान में रखते हुए इसे फोर-लेन करना बहुत जरूरी है। यही मेरा आपसे आग्रह, अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, भारत में राजस्थान प्रदेश मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र होने के साथ-साथ कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोज़गार देने वाला व्यवसाय है। वर्तमान में प्रदेश के 33 जिलों में से 23 जिलों में मार्बल एवं ग्रेनाइट के खनन और उत्पादन का कार्य हो रहा है। इसमें लगभग 50 लाख लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।

वर्तमान में पूरे प्रदेश में मार्बल एवं ग्रेनाइट की लगभग 3,000 इकाईयां संचालित हैं। ये सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की परिभाषा में आती हैं, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन वर्तमान में उक्त दोनों उत्पादनों पर दिनांक 10.11.2017 से जीएसटी की दर 18 प्रतिशत चली आ रही है।

जीएसटी की दर तय करते समय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की भारी उपेक्षा की गई। उनकी अनदेखी का परिणाम है कि पूर्व में उत्पादन पर सेल-टैक्स की दर पांच परसेंट थी। उक्त दर के चलते

गत ढाई वर्षों में इन दोनों उत्पादनों के खनन एवं प्रसंस्करण में संभावित नया निवेश थम सा गया है। वहीं दूसरी ओर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत रहने से आने वाले समय में संभावित निवेश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते वैश्विक मंदी के चलते हजारों इकाईयों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते मार्बल एवं ग्रेनाइट का विशाल व्यापार भी चौपट होने की संभावना है।

महोदय, आपके माध्यम से केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदया से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आगामी जीएसटी अनुसूची में परिवर्तन के समय राजस्थान प्रदेश में मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पादन की वर्तमान जीएसटी दर 18 प्रतिशत से पांच प्रतिशत करने की कृपा करें। यह सर्वविदित है कि किसी भी उद्योग में नए निवेश से उछाल आता है और निवेशकों को आकर्षित करने का यह सहज और सरल उपाय है कि करों में छूट प्रदान की जाए।

महोदय, मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अजमेर जिले में किशनगढ़ मार्बल एवं ग्रेनाइट मंडी है, उसको मार्बल हब घोषित किया जाए, ताकि वहां से ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। इससे हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा मुद्रा आएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भागीरथ चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. सुभाष सरकार – क्या आप बंगाली में बोलेंगे?

*DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA): Hon'ble Speaker Sir, I will speak in Bengali. My Parliamentary Constituency Barkura has four assembly segments which are mostly populated by the SC-ST, Backward class people. In that area approximately 50,000 migrant labourers have returned from various places after lockdown and hundred days of work has been arranged for these hapless people. But they are not receiving their wages in time. This situation prevails throughout West Bengal. However our Hon'ble Prime Minister has allocated Rs. 40,000 crores of additional sum of money for their benefit but that is not reaching to these poor people.

Even today I got a report which states that 16 labourers worked in a particular site, whereas payments were made for 25 workers; again two genuine workers out of the 16 were not paid anything at all. Sir, through you I request the Ministry of Rural Development to look into the matter and instruct the State Government to fix the problem. The Centre should seek a report from the State as to why wages are not being paid in time and to see whether the names of the beneficiaries are correctly incorporated in the list or not. Similarly Hon'ble Prime Minister has been kind enough to extend an aid of Rs.150 crore to Bankura Medical College for the construction of a Super Speciality Block. The work has been completed, all infrastructure is in place. But the State Health Department is not using the building and the equipment. Thus I urge upon the Centre to ask the

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

State Government to take over the hospital block immediately and convert it into a Covid facility without further delay.Thank you.

*SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON) : Hon'ble Speaker Sir, our Hon'ble Ex Prime Minister Atal Behari Vajpayeeji had decided to complete the Interlinking of River Project. Nar-par Girna Project is a very important project of my constituency in Northern Maharashtra but, it has not been completed for the last 30-32 years. Sir Girna project is the largest project in Northern Maharashtra which has a capacity of 22 TMC and in Nar-par rivers ravine, we have plenty of rainfall every year. Godavari river which originates at Trimbakeshwar and then flows via Nashik, Kopargaon, Telengana State and empty out in Bay of Bengal. The water of Taptee river also flows towards Gujarat. In this way we have sufficient water availability around us, but still we have to face drinking water scarcity.

If we really want to resolve it, this Interlinking of Rivers Project need to be expedited. We should divert the water of Nar-par river towards Girna river and joined to Lower Taptee Project. Interlinking would help to find a permanent solution for scarcity of water in this area.

Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, धन्यवाद । मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, क्योंकि जो बात मैं बोल रहा है, वह बहुत गम्भीर है । ओडिशा मेरी मां है और मेरी मां के बारे में आज कुछ फेक न्यूज इसी सदन में मेरे सामने बोली गई है । मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि मुझे दो मिनट ज्यादा वक्त दें तो मैं अपने दिल की बात बोल पाऊंगा ।

माननीय अध्यक्ष : आप केवल एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिए ।

श्री अनुभव मोहंती: सर, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी अपनी बात खत्म कर सकूं । मैं हमारे सनातम धर्म के चार धामों में से एक धाम से हूं, जिसे जगन्नाथ पुरी धाम बोलते हैं । वहां पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपनी बहन के बिना घर से बाहर नहीं निकलते हैं । साल में एक बार जब वे अपने भक्तों को मिलने के लिए बाहर निकलते हैं तो वह अपनी मौसी के यहां जाते हैं । जब वह मौसी के यहां से वापस आते हैं तो घर के अंदर घुसने से पहले माता लक्ष्मी से उनको अनुमति लेनी पड़ती है, उनको मनाना पड़ता है, फिर वह मंदिर में वापस जाते हैं । यह ऐसी मिट्टी है, ऐसी जगह है, जहां पर माताओं, बहनों, स्त्रियों और महिलाएं जिस रूप में हों, सबको इज्जत और बहुत सम्मान से पेश करते हैं, उनको इज्जत देते हैं ।

आज इसी सदन में एक माननीय सदस्य, जो ओडिशा से हैं, उन्होंने यहां कुछ गलत तथ्यों को रखा है, जिससे मुझे बहुत शर्म आ रही है । वह इतने जाने-माने और पढ़े-लिखे इंसान होते हुए भी किस तरह से इस तरह की बात यहां पर कर पाए । पहली बहुत छोटी बात यह है कि उनको यह समझ में आना चाहिए था कि जो ओडिशा का स्टेट मैटर है, उसको यहां नहीं बोलना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि वह यहां पर महिलाओं के सम्मान के बारे में बात कर रहे थे । महिलाओं के ऊपर जो विपत्ति है, जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने बोला । सर, ओडिशा नम्बर तीन पर स्टैंड करता है, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं और

अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा। मुझे किसी सदस्य से यहां पर कोई कम्प्लेंट नहीं है। अगर क्राइम अगेंस्ट वूमेन में नम्बर वन पर काउंट किया जाए तो शायद जो रिपोर्ट बता रही है, उसमें उत्तर प्रदेश है और वहां पर उन्हीं की सरकार राज कर रही है।

मैं ओडिशा के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक साहब ने वर्ष 2000 में जब पहली बार मुख्य मंत्री के पद पर आसन ग्रहण किया, तब एक ही साल के अंदर उन्होंने मिशन शक्ति करके एक मूवमेंट मूव किया, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए सोचा। आज की तारीख में 70 लाख महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। सर, आप जानकर हैरान होंगे कि कोविड - 19 के टाइम में 1,174 एसएचजीज़ ने 33 लाख मास्क्स बनाए।

कई हजार ग्रुप्स ने 8.5 मिलियन लोगों को मील्स पहुंचाए हैं। उन्होंने खुद से वह खाना बनाया है। मैं उस राज्य से हूं।

मैं आपके माध्यम से इतनी विनती करना चाहूंगा कि आज की तारीख में सबसे दुखद चीज फेक न्यूज है। स्प्रेडिंग ऑफ फेक न्यूज, ... *खबरों को अफवाह की तरह फैलाकर युवाओं को मिसलीड करने का काम होता है, इसको अगर हम लोग नहीं रोकेंगे तो कोई नहीं रोकेगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार और प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा, वह हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एनक्रेज करते हैं। उन्हीं की पार्टी के जो नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं, उन्हीं की पार्टी के जो नेशनल वाइस प्रज़िडेंट हैं, उनकी एक संस्था के काफी सारे स्टाफ ने ... *(व्यवधान)

* Not recorded.

*SHRI DILIP SAIKIA (MANGALDOI) : Speaker Sir. Thank you. I would like to speak in Assamese. Honourable Speaker Sir, after Jammu & Kashmir, Assam has the second largest Muslim population. It has 34% Muslim population and as per estimates, after 2021 census there will be 35% Muslim population in the state. Out of 126 Assembly constituencies, in 82 constituencies (LACs), there are minimum 20,000 Muslim voters revealed in recent survey.

This statistics, therefore, has compelled us to think that a situation may arise when Assam becomes a Jammu & Kashmir. Therefore, I hope that the government of India, under honourable Prime Minister Modi and the entire Parliament together should enact a Population Control Law. Unless we come out with population control policy, Assam will take the direction of Jammu & Kashmir. It is not only Assam, but the manner in which Muslim population is increasing in West Bengal and Bihar, Jammu & Kashmir like situation may erupt in these states also. Therefore, through the Parliament, I put forth my demand to the government to come out with a vibrant population policy. This is my first demand.

Secondly, this is for the third time I am mentioning that my District (Darrang) is not yet in the railway map. I once again urge upon the Railway Minister and Government of India to include Darrang district in the railways map. I, as a Member of Parliament elected from Darrang district, the headquarter of the

* English translation of the speech originally delivered in Assamese.

district, am demanding this for the 4th time to include my district in the railway map. This is my humble submission. Thank you. Namaskar.

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं बुलंदशहर लोक सभा क्षेत्र से आता हूं और बुलंदशहर लोक सभा दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। देश की राजधानी दिल्ली से बुलंदशहर मात्र 75 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं पहले भी सदन में कई बार आग्रह कर चुका हूं कि मेरे यहां प्रदेश में सर्वाधिक दूध के प्लांट हैं, चार शुगर मिल्स हैं, आम की पैदावार में प्रदेश में नंबर वन पर है और दिल्ली के लिए सब्जी और फल की व्यवस्था यहां से होती है। गंगा जी के 12 पावन घाट हैं। यह एनसीआर के हिस्से में आता है, लेकिन एनसीआर के विकास से अभी तक वंचित है। मेरे यहां न तो मेट्रो की सुविधा है और न आरआरटीएस की सुविधा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से और माननीय शहरी विकास मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने आरआरटीएस की सुविधा के लिए बुलंदशहर को सेकेण्ड फेज में लिया है। लेकिन बुलंदशहर का नाम उसमें कहीं मेंशन नहीं है। गाजियाबाद से खुर्जा दर्शाया गया है, जबकि हेडक्वार्टर बुलंदशहर है । मैं आग्रह करूंगा कि बुलंदशहर से होकर उसको निकाला जाए ताकि बुलंदशहर हेडक्वार्टर से वह जुड़े और वहां के लोकल लोगों को उसका लाभ मिले।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजवीर दिलेर (हाथरस): धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय।

मेरी लोक सभा क्षेत्र हाथरस में हींग और रंग-गुलाल का कार्य बड़ी मात्रा में होता है। हाथरस को हींग की नगरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय भोजन के लिए हींग स्वाद के साथ-साथ अत्यंत

पाचक भी है। जिसके लिए कच्चा माल उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आयात होता है।

इस पर आयात शुल्क 29.9 प्रतिशत है तथा अन्य खर्चें भी लगते हैं, जिस कारण से इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। हींग को हाथरस में तैयार करके भारतीय उपभोक्ताओं के अलावा कुवैत, सऊदी अरब सहित अनेक देशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि हींग पर आयात शुल्क को कम करने तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए जाने के साथ ही साथ, इस उद्योग के लिए विशेष पैकेज प्रदान किया जाए, ताकि इस उद्योग को बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजवीर दिलेर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। महोदय, वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की वजह से जिस प्रकार से पूरी दुनिया के लोग हिन्दुस्तान में आकर इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं और यहां पर अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, उसी प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में बिजली, लॉ एंड आर्डर एवं हर प्रकार की व्यस्थाओं को भी सुदृढ़ किया है। आज की तारीख में पूरे देश के इंडस्ट्रलिस्ट उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं।

महोदय, मुझे बड़े ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक उद्यमी थे, जिनका नाम इन्द्रकांत था, जो लोहे के व्यवसायी थे, अभी कुछ दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने अपनी हत्या से दो दिन पहले एक वीडियो वायरल किया था कि अगर मेरी हत्या होती है, तो वहां के पुलिस अधीक्षक को उसका जिम्मेवार माना जाए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। माननीय

योगी जी ने उनको सस्पेंड किया और उनके खिलाफ धारा 302 के तहत एफआईआर भी लिखी गई है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक तरफ मुंबई में कोई घटना होती है, जब कसाब ने मुंबई पर हमला किया था, तो मुंबई पुलिस के एक कॉन्सटेबल तुकाराम ने एके-47 लिए हुए कसाब को पकड़ा था और अपनी शहादत दी थी। जहां एक तरफ कॉन्सेटबल भी शहीद हुए थे, वहीं दूसरी तरफ वहां के ज्वाइंट कमिश्नर श्री हेमंत करकरे जी भी शहीद हुए थे। दिल्ली में जो बाटला हाउस कांड हुआ था, जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी शहीद हुए थे। एक तरफ तो पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस जैसे बड़े पदों पर पहुंचकर कुछ लोग देश और प्रदेश की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ उद्यमियों और व्यापारियों द्वारा इस प्रकार की अनेकों शिकायतें मिल रही हैं और जनता में भय का वातावरण है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करके अपनी बात पूरी करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो वातावरण है, मैं भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि एक बार पूरे देश में ऐसे जितने भी उच्च अधिकारी हैं, जिन पर आरोप लगे हुए हैं, मैं यह कहता हूं कि अगर उसमें राजनीतिक लोग भी हों, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए। जिनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं, उनकी गंभीर जांच कराई जाए और इस प्रकार के लोगों को दंडित करने का काम किया जाए।

***श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली) :** अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। महोदय, आप वीरों की भूमि से आते हैं। मैं आपके सामने शिक्षा और नौकरियों में मराठा समाज को दिए जाने वाले आरक्षण के संदर्भ में अपने शब्द रखना चाहता हूं। जब-जब इस देश पर आक्रमण हुआ है, तब-तब महाराष्ट्र उन आक्रमणों के खिलाफ जागा है, तब-तब मराठा वीरों ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। आपने

* Hindi translation of the speech originally delivered in Marathi.

पानीपत में देखा होगा कि जब अहमद शाह अब्दाली इस देश पर आक्रमण करने आया था, तो एक ही दिन में सवा लाख मराठा वीरों ने अपना खून पानीपत की भूमि पर बहा दिया था। एक कवि ने कहा है कि –" यदि महाराष्ट्र मरा तो राष्ट्र भी मरेगा, मराठों के बगैर राष्ट्र भी नहीं चलेगा, मराठा पराधीनता का हमेशा प्रतिकार करेगा और यही इस राष्ट्र का आधार बनेगा।"

महोदय, हिन्दुस्तान का जो आधार रहा है, वह हमारा मराठा वीर रहा है। मराठा वीरों ने देश और धर्म को बचाने के लिए शहीद होने के काम किया है। आज वही मराठा वीर आरक्षण तथा शिक्षा और नौकरी नहीं मिलने के कारण बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं। वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को कानून के माध्यम से आरक्षण दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वैध घोषित किया गया था। लेकिन 9 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस कानून पर स्टे लगा दिया गया है। वर्ष 2020-21 में भर्ती होने वाली प्रक्रिया में यह आरक्षण नहीं लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के कारण मराठा समाज के लोगों के साथ अन्याय होगा, जिनको बहुत वर्षों के संघर्षों और आंदोलनों बाद आरक्षण का अधिकार मिला है, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह विनती है कि मराठा समाज को दिए जाने वाले आरक्षण को सुरक्षित रखा जाए और इस वर्ष इस पर लगी रोक को हटाने के लिए निर्णायक कदम उठाए जाएं।

धन्यवाद। जय हिन्द, जय महाराष्ट्र।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हेमन्त पाटिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): महोदय, आपने मुझे अपने लोक सभा क्षेत्र खरगोन-बड़वानी के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात रखने का अवसर दिया है। मैं अपने पूरे क्षेत्र की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे खरगोन-बड़वानी लोक सभा क्षेत्र में 95 पर्सेंट से ऊपर कृषि करने वाले अत्यधिक किसान लोग रहते हैं। वहां पर कपास, मिर्ची, सोयाबीन, पपीता एवं गन्ने की अत्यधिक पैदावार होती है। परंतु जब किसानों के बेटे महाविद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो उन्हें कृषि विषय नहीं मिल पाता है। मेरे ही संसदीय क्षेत्र में कसरात विधान सभा है। उस कसरात विधान सभा में एक सतराटी जगह है, जहां पर कृषि प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है और पिछले दिनों हमने वहां पर दौरा किया था। वहां पर डेढ सौ एकड़ जमीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वहां पर कृषि महाविद्यालय खोला जाए या कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि अगर यह खोला जाएगा तो वहां पर किसान के बेटों को रोज़गार भी मिलेगा और उन्नत खेती का भी हमको लाभ मिल पाएगा।

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी विशेष रूप से दलहनों पर एमएसपी बढ़ाया है।

महोदय, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ और आपके माध्यम से एक विशेष समस्या अपने क्षेत्र की यहां रखना चाहता हूँ। चाहे बुंदेलखंड हो, झांसी हो, ललितपुर हो, मेहरोनी हो, मंडावला या रानीपुर से रक्सा तक बीमा कंपनियां हमारे किसानों से, जब किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लेती हैं, तब वह पैसा पूरा का पूरा बीमा के लिए वसूल लिया जाता है। परंतु जब दलहन का नुकसान पिछले साल हुआ तो बताया जाता है कि अब इनका आधार, इनका बैंक का खाता, इनका खसरा-खतौनी का नंबर मैच ही नहीं करता है। कभी नाम मैच नहीं करता है, कभी किसी न किसी चीज़ की समस्या सामने रख दी जाती है। दिक्कत यहां पर आती है कि जब ये कंपनियां पैसा लेना चाहती हैं, तब सब कुछ मैच करता

है। मेरे वहां करोड़ों रुपये किसान भाइयों को नहीं मिल रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्रालय से यह कहना चाहूंगा कि हमारे चाहे रक्सा हो या रानीपुर हो, सारे के सारे किसान भाई इस चीज़ से बहुत दिक्कत में हैं, उनकी रकम ली गई है और बीमा किया गया है, यह रकम उनको जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अनुराग शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, 10 मई, 1857 को मेरठ से क्रांति का शुभारंभ हुआ था। सन् 1857 के प्रथम अमर शहीदों की स्मृति में मेरठ महानगर में शहीद स्मारक बना हुआ है। यह स्थल मेरठ की संस्कृति एवं इतिहास से जुड़ा होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस स्थल पर अमर-जवान ज्योति प्रज्ज्वलित करने की योजना वर्ष 1988 से लंबित है। अनेक बार इस संबध में मांग की गई है। मैंने स्वयं इस संबंध में अनेकों बार गेल के अधिकारियों तथा मेरठ केंट एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत की है, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ के शहीद स्मारक पर अमर-जवान ज्योति को निंरतर प्रज्ज्वलित करने की व्यवस्था कराई जाए, ताकि मेरठ की क्रांति धरा से 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 23 सितंबर, 2020 को सायं छह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

22.45 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eighteen of the Clock on Wednesday, September 23, 2020/Asvina 1, 1942 (Saka)